खण्ड-314, अंक-7
शनिवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1897
(22 मार्च, 1975 ई0)

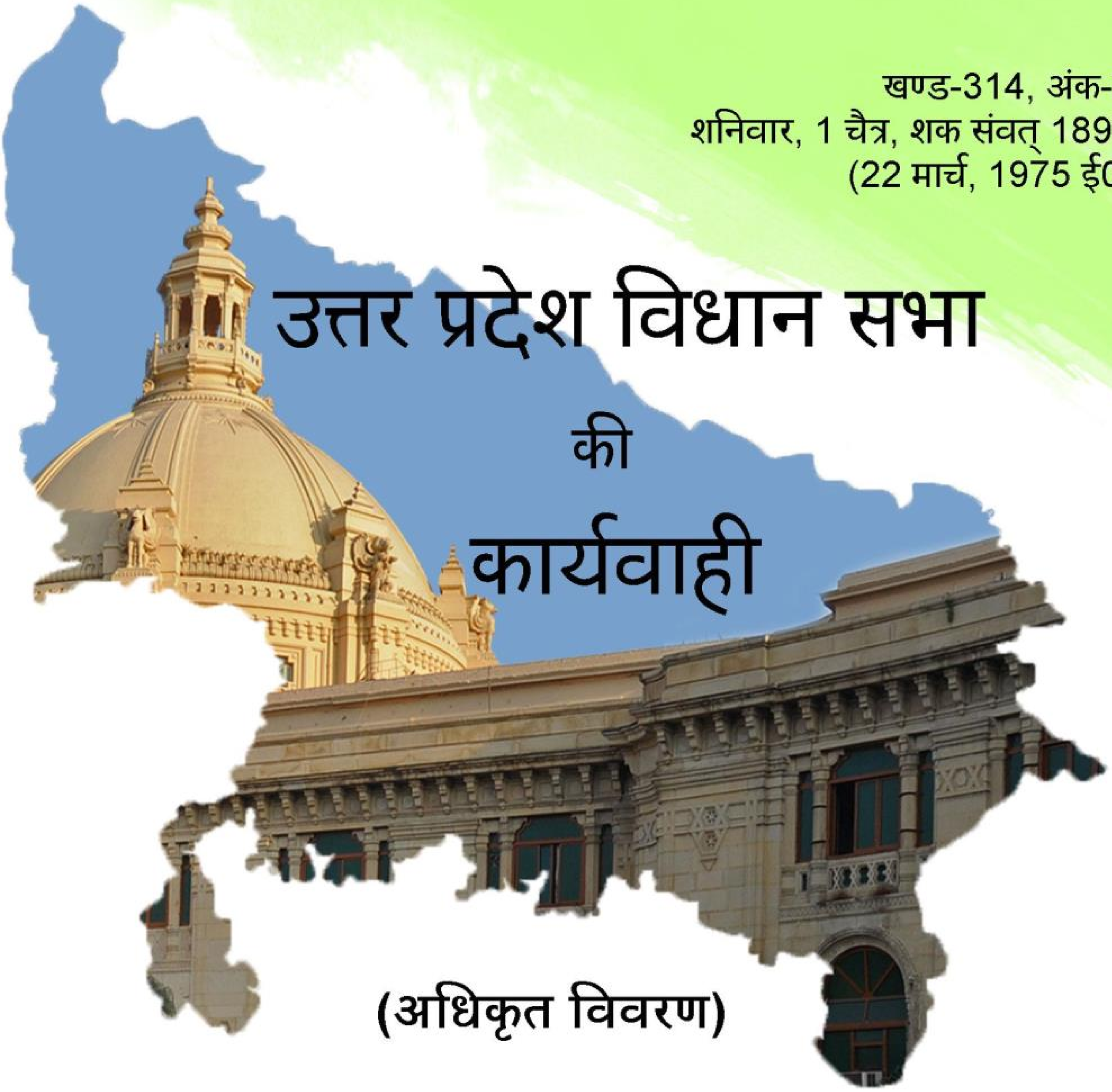

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 314 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 22 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 10 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 366

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह मेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर,जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथूराम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेमसुन्दर नरायण सिंह, श्री

फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बांके लाल,श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह,श्री
रघुराज सिंह,श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह " जूदेव", श्री
रणधीर सिंह,श्री
रफीउल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री

राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी,श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रमरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामरेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)

श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री

उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

आज की कार्य सूची के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कल आप उठाते। अभी नहीं। सचिव जो सूचना दे रहे हैं उसके बाद आप उठावें।

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 1975, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 मार्च, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1975, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 मार्च 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 मार्च, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

कार्यसूची के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो कार्यसूची प्राप्त हुई है इसमें अन्य दिनों की भांति विशेषाधिकार के सम्बन्ध में, नियम 56 के सम्बन्ध में, नियम 51 के सम्बन्ध में कोई चीज नहीं रखी गयी है जबकि कार्य प्रक्रिया नियमावली के अनुसार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य जानते हैं कि शनिवार को प्रश्न नहीं होते। शनिवार को छुट्टी रहती है। लेकिन सभी दलों की सहमति से दो कामों के लिये आज हम बैठे हैं। इसमें दो राय नहीं हुई। जो कार्य-मंत्रणा समिति से तय हुआ वह यह कि 10 बजे से 12 बजे तक यह विधेयक लिया जाय. . . . . .

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

10 बजे से 12 बजे तक।

श्री अध्यक्ष--

जी हां। इसके बाद मांग पर चर्चा. . . . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह तो मान्यवर, नियमों के विरुद्ध किया गया है। यही मेरी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष--

यह अनियमित नहीं है। सबकी राय थी कि आज यह ले लिया जाय। इसकी पृष्ठ भूमि में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। जबसे विधान सभा बुलायी गयी है और हम काम कर रहे हैं, बीच में अनिवार्यतः हमको बहुत दिनों तक उठना पड़ा। आकस्मिक नहीं, बल्कि हम समझते थे कि यह काम जब आ जायेंगे तो हम उनके लिये पूर्व में जो छुट्टी दे रहे हैं जैसे 1 तारीख से 11 तारीख तक उन्हें ले लेंगे इन सभी बातों को देखते हुए जितने भी विरोधी दल के लोग कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य हैं, उनकी सहमति ली और यहां तक भी किया कि जहां कहीं एक आध जगह दुश्वारी, कठिनाई आयी तो चौधरी साहब को टेलीफोन किया गया और फिर यह सब तय करके रखा गया। अब सामान्य कार्य जो आपका है, यह नियम 315 में 28 नम्बर पर है। उसको आपने ले लिया पहले पर, उस निर्णय के अनुसार। यह जो निर्णय हुआ यहां भी बताया गया और सदन का भी निर्णय हो गया। उस समय कोई एतराज कर सकते थे, जब कार्य-मंत्रणा समिति का निर्णय सदन के समक्ष रखा गया था। जब सदन ने उसे स्वीकार किया तब उसके अनुसार यह कार्य विधिवत् हो रहा है। कहीं कोई नियम का अतिरेक, व्यतिक्रम या उल्लंघन नहीं है। दो कामों को पूरा करने के लिये हम बैठ रहे हैं।

कतिपय विषय

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैंने नियम 301 में एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष--

आज नहीं, उसे सोमवार को हम लेंगे।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यह कभी कार्यसूची में नहीं रहता, इसलिये आज आप ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके हक को काटता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक हम उसे देख न लें तो कैसे लें?

श्री मधुकर दिघे--

आप विषय तो सुन लेते।

श्री अध्यक्ष--

आज हम नहीं ले रहे हैं, सोमवार को कहें तभी निर्णय भी दे देंगे ।

श्री मधुकर दिघे--

आप आज 12 बजे ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

आज नहीं । आज समय का अभाव है । आज मांगों पर चर्चा होगी । यह पहले ही कार्य-मंत्रणा समिति में तय हो गया है, उसी के अनुसार कार्य होगा ।

श्री मधुकर दिघे--

मैंने जब एक बार आपको लिखकर दे दिया है, तो मुझे दुबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे आज आपकी सूचना नहीं मिली है । सर्वश्री सत्य प्रकाश मलिक, शतरुद्ध प्रकाश और श्री जंगबहादुर की सूचना मिली है, खैर, हम सोमवार को देख लेंगे ।

श्री मधुकर दिघे--

इन माननीय सदस्यों के साथ मेरा भी होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

इस समय वही हमारे सामने हैं । दूसरी एक सूचना जो मिली है, उसमें श्री माधव प्रसाद और श्री ओम प्रकाश सिंह का भी नाम है । आपका नहीं है ।

श्री मधुकर दिघे--

हमने संसदीय विभाग को दिया है । वह आया क्यों नहीं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जब प्यून उसको देकर आया है तो आया क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

बाद में उसका पता लगवा लेंगे । इस समय पहले संकल्प प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मान्यवर, जनरल डिस्कशन बजट पर हो चुका है । मैंने पहले दिन जब सवाल उठाया था, तब आपने कहा था. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

इस समय प्रस्ताव यह है कि श्री राम प्रकाश त्रिपाठी अननुमोदन का संकल्प रखेंगे । आप पहले उस पर विचार करें ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैं तो बजट लिट्रेचर के सम्बन्ध में कह रहा था ।

श्री अध्यक्ष--

वह कार्य सूची 3 पर है ।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

कार्य सूची में संशोधन नहीं छापा गया है । केवल नाम छाप दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

जो संशोधन नियमित नहीं है वह कैसे रखेंगे आउट आफ आर्डर है।

(श्री श्रीनारायण के खड़े रहने व बोलते रहने पर)

बिना समझे क्यों बोलते हैं ? कब आपको बोलना है यह भी आपको नहीं मालूम है, आप इस तरह से क्यों खड़े हो जाते हैं ?

अब श्री बाबूलाल वर्मा अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने बाबू लाल वर्मा को संकल्प प्रस्तुत करने के लिये बुलाया है। अब इस समय आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न हो सकता है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जो मैंने लिखा कर दिया है कटौती का प्रस्ताव वह छोड़ दिया गया, छपा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आपको कुछ बुद्धि से काम लेना है। बाबू लाल जी को मैंने संकल्प प्रस्तुत करने के लिए बुला लिया है। इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

व्यवस्था का प्रश्न मैंने रखा है।

श्री अध्यक्ष--

आप स्वयं अव्यवस्थित हैं। इस तरह से अविवेक का परिचय न दिया करें। अब वह संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है, इसमें किसी माननीय सदस्य को क्या वैधानिक आपत्ति हो सकती है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैंने दूसरा सवाल उठाया था।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974†

*श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :--

"यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 का अननुमोदन करता है।"

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बहस के लिये दो घंटा निर्धारित है। 15 मिनट बीत चुके हैं इसलिए उतना समय इसके लिए और बढ़ा दिया जाय। मान्यवर, यह विधेयक

---

†14 मार्च, 1975 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1973 में पारित किया गया था और आज यह फिर सदन के सामने कुछ संशोधनों के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार का यह आशय था कि किसानों को उनकी भूमि के विकास के लिए, अधिक अन्न उपजाने के लिए ज्यादा संसाधन जुटाए गए हैं और इसके लिए उनको पर्याप्त मात्रा में ऋण दिया जाय ताकि वह ज्यादा अन्न पैदा कर सकें और अन्न के मामले में अपना प्रदेश आत्म निर्भर बन सके। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में आपने यह दिखाया है कि ज्यादा पैदावार बढ़े। लेकिन इस विधेयक की कुछ धाराओं में ऐसा प्राविधान किया गया है जिसके कारण किसान जो कर्जा लेगा उस कर्ज की अदायगी के लिए जो कठिनाइयां सामने आती हैं, उनको दूर करने की ओर इस सरकार का ध्यान नहीं गया है।

पूरे प्रदेश में किसानों की ओर से यह आम शिकायतें आ रही हैं कि उनका नाम फर्जी दर्ज कर दिया गया अथवा यह हुआ कि किसान ने कर्जा लिया लेकिन विभाग वालों ने दस साल तक कर्जा नहीं मांगा और अब उनसे पूरा कर्जा मय ब्याज के अदा करने के लिए कहा जा रहा है। परिणाम यह होता है कि उसकी जायदाद व खेत कुर्क हो जाते हैं और वह सारी सम्पत्ति से विहीन हो जाता है। लिहाजा धारा 14 का मैं विरोध करता हूं और उसे इसमें से निकाल दिया जाय। इसीलिए मैंने इस विधेयक का अननुमोदन किया है। मैं उदाहरण के लिए बतला दूं कि हमारे क्षेत्र में अनेक किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंपिंग सेट्स लिए, ट्यूबवेल्स लगाए लेकिन असल में हुआ यह है कि फर्जी अंगूठे लगा कर कर्जे उनके नाम से ले लिए गये हैं और उसकी अदायगी में उनकी जायदाद कुर्क कर ली गयी है। आपने यह प्राविधान किया है कि अगर कोई किसान कर्जा लेता है, कर्जा अदा नहीं करता है तो कर्जा अदा करने के लिए उसने जो जमीन प्लेज कर रखी है, उस कर्जे की अदायगी हेतु तहसीलदार और जिलाधिकारी उसके नाम डिग्री जारी कर देगा। और उसकी सारी प्रापर्टी जब्त हो जाएगी और सरकार के हाथ में चली जाएगी। सरकार कहती है कि हमारी मंशा तो यह है कि किसानों को कर्ज दिया जाय ताकि वह अपने साधन जुटाकर खेती का विकास कर सके, लेकिन सरकार के मन में दाल में काला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में किया है और बैंकों के जरिए वह किसानों को कर्जा बांटेगी। इस तरह से लोग फर्जी कर्जा लेंगे और उसके किसान फंस जायेंगे। दूसरी बात यह है कि जो कर्जा आप देते हैं उसे जब किसान अदा नहीं कर पाएगा तो उसके खेत सरकार के पास चले जायेंगे और इस प्रकार कर्ज की अदायगी में ही किसान के सारे खेत चले जायेंगे। अब यह सरकार उनके खेतों को जब्त करने में आ गई है।

इसीलिए इस विधेयक के बारे में मेरा सुझाव है कि जैसे आप कर्ज दो तरह के देते हैं—एक तो वह है जो लम्बे समय के लिए दिया जाता है जिसे दीर्घकालिक कर्जा कहते हैं और दूसरा थोड़े समय के लिए होता है जिसे अल्पकालिक कर्जा कहते हैं। तो इस दूसरे दीर्घकालिक कर्ज के बारे में मेरा सुझाव यह है कि इस कर्ज पर कम से कम 5 साल तक किसान से कोई ब्याज न लिया जाय। अगर आप उससे ब्याज लेते हैं तो वह कर्ज अदा नहीं कर पाएगा। 20 साल के अन्दर 15 सालों में आसान किस्तों में वह कर्जा अदा करे। पांच साल के बाद आप 4 फीसदी ही ब्याज उससे लें। इसका कारण यह है कि आज देश में खाद्य की विकट समस्या है और यह सबसे भयंकर समस्या बनी हुई है। अगर आप उसे कर्ज नहीं देंगे तो वह खेती नहीं कर पायेगा। आज जब आप खाद्य की समस्या हल नहीं कर पाते हैं तो विदेशों से आपको अनाज मंगाना पड़ता है जिसका आपको करोड़ों रुपया ब्याज का ही देना पड़ता है जिससे यहां घाटा हो जाता है। पिछले साल 295 करोड़ रुपये का आपने विदेशों से अन्न मंगाया है और 155 रु0 क्विन्टल से 180 रुपये क्विन्टल किया है। तो अगर यह पैसा आप अपने किसानों को ही दिए होते, उनसे ब्याज न लिए होते, तो जो आज आपको घाटा हो रहा है, वह न होता और साथ ही किसानों को फायदा होता।

[श्री बाबू लाल वर्मा]

आप जानते हैं कि किसान पूरे समाज को खिलाता है, मोटा कपड़ा पहनता है, नंगा रहता है और पूरे समाज की सेवा करता है, खेत में तपस्या करता है और अन्न उपजाता है। इसलिए सरकार को किसानों के लिए कर्ज की व्यवस्था अवश्य सुलभ करनी चाहिए। भारतीय जनसंघ समय-समय पर इस प्रकार के प्रस्ताव पास करता रहता है और सरकार को उसने इस सम्बन्ध में सुझाव भी दिए हैं। मेरा सरकार से यह सुझाव है कि वह किसान को जो कर्ज दे उस पर सरकार 5 साल तक कोई ब्याज न ले।

दूसरी बात मैं माननीय तिवारी जी से यह कहना चाहता हूं कि किसानों को कर्ज तो आप देंगे लेकिन जब वह उसे अदा नहीं कर पायेगा तो आप उसकी कुर्की करा देंगे, डिक्री करा देंगे लेकिन पैसा अवश्य वसूलेंगे लेकिन जो किसान का पैसा सरकार के पास बकाया है, उसके लिए आपने कोई विधेयक पास नहीं किया, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इस समय साढ़े सोलह करोड़ रुपया किसानों का गन्ने का बकाया है और और इस साल का 5 करोड़ रुपया बकाया है। उनके इस पैसे के भुगतान के लिए क्या व्यवस्था आपने की है? इसमें उन चीनी मिलों के ऊपर भी उनका पैसा है जो चीनी मिल आपने अधिग्रहीत कर ली हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिन किसानों का पैसा सरकार के पास बकाया है, उसकी अदायगी के लिए चाहे सरकार की जायदाद को कुर्क करके या मन्त्री जी की कार बेचकर, व्यवस्था की जानी चाहिए और तब उसकी वसूली होनी चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि जैसा आपने जिलाधिकारी को अधिकार दे दिया कि वह कुर्क कर ले और वह कुर्क हो, गई उसमें जो खर्चा है वह भी उसमें लिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह गलत आदमी को कर्जा दिया गया, सही आदमी को रुपया नहीं मिला फिर भी उसके नाम डिक्री हुई तो फिर उसमें आप क्या करने जा रहे हैं? मैं तो कहूंगा कि जो गड़-बड़ी करने वाले अधिकारी हैं, डी० एम० या तहसीलदार जो हैं, उनसे अदा कराया जाय। अगर आप यह पाबन्दी लगा देंगे तो कर्जा अदा करने में गड़बड़ी नहीं होगी। इन बातों को सरकार स्वीकार करे और किसानों के ऊपर किसी भी हालत में ब्याज न लगाये।

तो इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि यह जो संशोधन आया है और जो अध्यादेश जारी किया है, यह किसानों पर छुरी चलाने वाला है इसे वापस लिया जाय। इससे पहले किसानों के जो बकाया है उनके लिए अध्यादेश लाया जाय, उसके लिए विधेयक लाया जाय ताकि किसानों का जहां-जहां बकाया है, जो सरकार ने देना है और सरकार दे नहीं पा रही है, उसके लिए सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। किसानों का रुपया उनको मिल जाय, क्योंकि किसान पर कोई बकाया सरकार का रहता है तो उसके लिये सरकार उनको जेल में बन्द करती है उसकी जायदाद को कुर्क कर लेती है लेकिन जो सरकार के ऊपर है उसे नहीं देती है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस पर जो संशोधन आए हैं वह किसानों के गले में छुरी चलाने वाले हैं। यह किसानों के हित में नहीं है। जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा, जब किसान खुशहाल होगा, तब देश का हित होगा, तब देश खुशहाल होगा। अगर अन्न का उत्पादन बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। किसान की हालत ठीक होगी तो देश की हालत ठीक होगी।

दूसरी बात मान्यवर, सवा 6 एकड़ तक वालों को जो कर्ज देते हैं वह अदा नहीं कर पाते हैं। उसको सहायता देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो उसको कर्जा दिया जाता है वह पर्याप्त हो। जैसे अगर किसी किसान को ट्यूबवैल बनाने के लिए आप ढाई हजार रुपया कर्जा देते हैं या पम्पिंग सेट लगाने के लिए कर्जा देते हैं तो उसमें उसका खर्चा 6 हजार से ऊपर होता है तो वह बाकी पैसा कहां से लाये जिस कारण पम्पिंग सेट लग नहीं पाता है और जो पैसा उसने लिया होता है वह खर्च हो जाता है। तो आप उसकी पूरी रिकवरी कर लेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसानों को आप पर्याप्त कर्जा देंगे। जिस काम के लिये वह रुपया लेता है उसके लिए पूरा रुपया दिया जाय तभी किसान अपने पावों पर खड़ा हो पायेगा। आप उनको पर्याप्त पैसा दीजिए और पर्याप्त मात्रा

में दीजिए। तभी आप किसानों की सहायता की व्यवस्था कर सकेंगे। इसलिएए मैं इस विधेयक का अननुमोदन करता हूं। आप एक अच्छा नया विधेयक लायें जिसमें यह बात भी होगी कि जो सरकार के ऊपर किसान का बकाया होगा, जो देनदारी सरकार को होगी उसे लेने का किसान को हक होगा, उसे भी डिक्री करने का हक होगा।

श्री अध्यक्ष--

अध्यादेश का आप अननुमोदन कर रहे हैं, विधेयक का नहीं।

श्री बाबू लाल वर्मा--

इन शब्दों के साथ मैं अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष--

जो 301 के मामले हैं, वह हम सोमवार को लेंगे, सिर्फ श्री ओम प्रकाश जी का लेंगे जिसका सम्बन्ध आज के इस विधेयक से है। शेष सोमवार को लेंगे।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठ जायं। एक साहब उधर से इधर छलांग लगा कर चले आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, 301 के बारें में आपने कुछ कहा हम सुन नहीं पाए।

श्री अध्यक्ष--

301 के सम्बन्ध में जो सवाल आये हैं उनको हम सोमवार को लेंगे या किसी दूसरे दिन लेंगे। यह जो विधेयक आज रखा जा रहा है, उस विधेयक के सम्बन्ध में मैं इजाजत दूंगा।

श्री बाबू लाल वर्मा द्वारा सदस्यों तथा मंत्रि परिषद् के सदस्यों को केनिंग का अधिकार श्री अध्यक्ष को देने सम्बन्धी पत्र

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय बाबू लाल वर्मा ने पत्र लिखा है, अब मैं उसको पढ़े देता हूं--"सेवा में, माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा, महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में माननीय अध्यक्ष को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। इतना ही नहीं, उन्हें किसी सदस्य को हमेशा के लिए सदस्यता से वंचित कर देने का भी विशेषाधिकार है। किन्तु दुःख है कि माननीय अध्यक्ष जी को किसी सदस्य पर अध्यापकों की तरह केनिंग करने का अधिकार नहीं है। सभी सदस्यों की इच्छा है कि माननीय अध्यक्ष को किसी भी सदस्य की तथा मन्त्रि-परिषद् के सदस्य की भी केनिंग करने का अधिकार मिलना चाहिए--" माननीय सदस्य ने मेरें कहने के बावजूद स्वयं अपनी बात कही, मैं पत्र पढ़ नहीं रहा था। आज उन्होंने दिया कि वापस ले रहा हूं। आज मुझे मजबूरन पढ़ना पढ़ा, मैं नहीं पढ़ रहा था। सभी सदस्यों की ओर से आप लिख रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष को किसी भी सदस्य की तथा मन्त्रि-परिषद् के सदस्य की केनिंग का अधिकार होना चाहिए।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

हमारी इच्छा नहीं है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

आप ठीक से देख लें 'केनिंग, के बजाए 'ट्रेनिंग' तो नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा है--"अस्तु हम सभी विधायकों की ओर से आपसे आग्रहपूर्वक अनुरोध करते हैं कि सदन की नियम प्रक्रिया में जोड़ दिया जाए--"माननीय अध्यक्ष जब भी चाहे किसी भी सदस्य अथवा मन्त्रि-परिषद् के सदस्य की केनिंग कर सकते हैं।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

कोई चीज यों ही उपहास में कही जाए, तो उसको इतनी सीरियसनेस नहीं देनी चाहिए। इससे कौन सहमत हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

फिर बाबूलाल वर्मा ने कल यहां कहा, उस पर जोर दिया जब मैंने उनसे कहा कि यह निजी पत्र है, इसको मैं नहीं रखूंगा और शायद सदन भी चाहता था कि न रखा जाए, लेकिन माननीय बाबू लाल वर्मा ने 19 तारीख को पत्र लिखा और फिर एक पत्र लिखकर भेजा है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, इधर बिलकुल सुनाई नहीं देता है जब आप बोलते हैं। कई लोगों को यहां नीचे कान लगाए रखना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--

मेरा खयाल है कि मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। आप देखें . . . .

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

19 तारीख को एक पत्र मैंने आपको लिखा था।

श्री अध्यक्ष--

आपने एक पत्र निजी मुझे लिखकर भेजा है, मैं आवश्यकता यहां नहीं समझता हूं कि इसको पढ़ूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

निजी पत्र यहां न पढ़ें।

श्री बाबू लाल वर्मा--

एक मिनट का अवसर दे दें। वह पत्र सभी माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुरूप है और सभी यह चाहते हैं कि आपको यहां केनिंग का अधिकार मिले। स्कूल में लड़के जब गलत जवाब देते हैं तो मास्टर केनिंग करते हैं, उसी प्रकार जब यहां पर मन्त्री गलत जवाब दें या इस तरह से कोई उद्दण्डता करें तो आप केनिंग करें, उसको सजा हो।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

आप के ही हाथ मजबूत कर रहे हैं। आप हाथ उठवाकर पूछ लीजिए सभी तैयार होंगे।

श्री अध्यक्ष--

अत : माननीय बाबूलाल के पत्र को यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

मैंने कहा--माननीय बाबूलाल वर्मा जैसे लोग जब स्पीकर होंगे तो वे बेंत का प्रयोग करने का प्राविधान नियमों में समाविष्ट करा लेंगे (हंसी) अभी पूरा करने दीजिए "आज माननीय बाबू लाल वर्मा ने ....

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस सारी बेवकूफी का पत्र आज ही पढ़ा जायगा। यह हमारी तरफ से नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप गलत बात कहते हैं। अगर इस तरह से आप एक बिलकुल अव्यवस्थित व्यवहार का नमूना बनना चाहेंगे तो हम को आपको टोकना पड़ेगा।

(शोर) (कई सदस्य खड़े हो गये और काफी शोर हुआ)

श्री बांके लाल--

ये शब्द वापस लें। उनसे कहिए।

एक सदस्य--

माननीय काशीनाथ मिश्र ने जो कहा है उसको वापस लें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, यह सभी माननीय सदस्यों की राय है कि यह किसी सदस्य को यह लिख देने का, बगैर बातचीत किए, मशविरा किए, क्या अधिकार है कि सभी माननीय सदस्यों की राय है?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं है। यह दूसरा प्रश्न है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह दूसरा प्रश्न नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, कि बेवकूफी (शोर) ....

श्री अध्यक्ष--

आप नहीं वापस लेते हैं? अनावश्यक ढंग से, जब मैं खड़ा था आपने अनुचित आक्षेप किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उसे वापस लें नहीं तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। इस तरह से मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं किसी को या आपको मैं खड़ा था, मैं पहले बैठ जाता उसके बाद कुछ आप कहते। लेकिन जब मैं खड़ा हूं ....

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने पत्र को कहा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ मिश्र, अब कार्यवाही नहीं चलेगी, नियमों से चलेगी। मैंने कह दिया वापस लें, बस।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप जो कहेंगे, मैं करूंगा। आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

कोई बात आपकी नहीं सुनता। बिलकुल आप एकदम वापस लें।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर शोर)

आप बैठें।

एक सदस्य--

आप जिस पत्र को पढ़ रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष--

किसी को बोलने की इजाजत नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने पत्र को कहा मैंने आपको, किसी माननीय सदस्य को नहीं कहा। मैंने कहा यह पत्र। मैंने किसी को नहीं कहा। न मैंने आपको कहा न किसी माननीय सदस्य को। मैंने कहा बेवकूफी का पत्र है। हमारी राय नहीं ली गयी है, जब तक किसी की ...(व्यवधान) यह पत्र बेवकूफी का है। यह मैंने कहा।

श्री अध्यक्ष--

जब आप वापस नहीं लेते हैं, तो मैं आज दिन भर के लिए आपको निकालता हूं। आप निकल जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

(शोर के बीच) मैं जाता हूं।

(श्री काशीनाथ मिश्र सदन से बाहर चले गए।)

श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, आप क्षमा कर दें। आपके आदेश का पालन हो गया। आप क्षमा कर दें।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रकार से बोलना अव्यवस्थित है। मैं खड़ा हूं, जितने खड़े हैं सब अव्यवस्थित हैं।

माननीय बाबूलाल जी वर्मा का जो आज पत्र मिला है उसको मैं पढ़ता हूं--"निवेदन है कि नियमावली में संशोधन करने सम्बन्धी एक पत्र मैंने आपको लिखा था। मैं उसे वापस लेता हूं।"

प्रश्न यह है कि माननीय बाबूलाल वर्मा का अपना पत्र दिनांक 19 मार्च, 1975 का, जो मैंने अभी पढ़ा है, उसको वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(वित्त मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)--

मान्यवर, एक बात कहने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने वित्त मन्त्री को कहा है। आप कृपया बैठिये वरना आपको भी निकालूंगा (कुछ रुक कर) मैं आपको दिन भर के लिए निकालता हूं।

(श्री राजबहादुर चन्द सदन से बाहर चले गए।)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, १९७४ (क्रमागत)

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) . . .

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि वह निजी पत्र था (व्यवधान) . . . .

श्री अध्यक्ष--

(वित्त मंत्री से) आप प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस पर संवैधानिक आपत्ति श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने की है।

*श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, हमने एक सूचना दी है कि यह माना जाता है कि जब सरकार की ओर से कोई विधेयक प्रस्तुत हो तो बड़ी परिस्थितियों पर, विधेयक के शब्दों पर तथा अन्य पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करने के बाद प्रस्तुत करें क्योंकि वह विधेयक जनता के कार्य का नियन्त्रण करता है भार डालता है या सुविधायें देता है। इसलिये माना जाता है कि सचिवालय द्वारा गम्भीरता से विचार करने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें मामूली त्रुटियां नहीं होंगी नीतिगत कमियां हो सकती हैं। लेकिन व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए।

यह जो विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है इसमें नीतिगत कमियां ही नहीं हैं बल्कि व्याकरण की भी बहुत सी कमियां हैं जिससे लगता है कि विधेयक बिना विचार किए लापरवाही के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके खण्ड (3) में जहां शब्द "प्रभाव" लिखा है वहां शब्द "प्रभार" होना चाहिए। खण्ड 10 में "वह तहसीलदार" के स्थान पर "उक्त तहसीलदार" होना चाहिए। खण्ड 14 में "ऐसे भूमि" के स्थान पर 'ऐसी भूमि" होना चाहिए तथा शब्द "दायीं" लिखा है उसके स्थान पर शब्द "उत्तरदायी" होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

सदन में जो यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है यह बड़ी लापरवाही के साथ किया जा रहा है। इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। शाब्दिक संशोधन तक छोड़ दिए गए हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने इसके प्रूफ तक देखने की चिन्ता नहीं की है। एक संशोधन की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि सरकार सदन से साथ मखौल करती है, इस विधेयक को पूर्ण विचार कर रखने का प्रयास नहीं किया गया है। इस कारण सरकार की ओर के 20 संशोधन पेश किए गए हैं। मैं संशोधनों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो भावना होनी चाहिए, वह नहीं है। हर माननीय सदस्य को संशोधन पेश करने का अधिकार है। जब सरकारी पक्ष की ओर से .....

श्री अध्यक्ष--

आप संक्षेप में कहिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इतना ही नहीं, इस संशोधन में एक दो बातें ऐसी हैं जो नीतिगत हैं। मेरा आरोप है सरकार पर कि जो विधेयक लाया गया है वह न तो पूर्ण रूप से विचार किया गया है बल्कि लापरवाही से किया गया है। इसलिये आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक के ऊपर विचार करने की अनुमति न दें। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी इसमें पंडित हैं अगर वह इस तरह का विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो और भी गम्भीर विषय है। अगर कोई और मन्त्री पेश करता तो मुझे इतना दुख न होता। इसमें नीतियों का बहुत संशोधन है और किसानों पर बहुत बड़ा भार पड़ने वाला है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। समय हो गया। माननीय तिवारी जी इन्होंने आपत्ति की है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य, मिर्जापुर ने जो आपत्ति व्यक्त की है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। त्रुटियां छापे के कारण रह गयी हैं। इन छापे की त्रुटियों को ठीक करने के सम्बन्ध में दूसरें सदन में प्रश्न उठा था कि जो त्रुटियां इस तरह की हैं उन्हें चेयरमैन स्वयं ठीक कर दें या संशोधन द्वारा ठीक हों। तो चूंकि यह प्रश्न दूसरें सदन में उठा था और दूसरे सदन में यह निर्णय हुआ था कि यह संशोधन द्वारा ही छापे की त्रुटियां ठीक की जायं। इसीलिए यह संशोधन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मैं सहमत हूं कि भूलें नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी यह भी होता है कि कानूनी भाषा में संशोधन रखे जाते हैं और उनके बाद पढ़ने में इन्टरप्रेटेशन लगाने में दूसरे अर्थ निकलते हैं। तो इस सम्बन्ध में कुछ बैंकों से बातचीत हुई और भारत सरकार से भी सुझाव आए कि पठन पाठन में गलती न रह जाए तो भाषा बदलनी पड़ी। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसको वह स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

जो आपत्ति माननीय ओम प्रकाश सिंह ने उठायी है और जो उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया है तो ध्यान आकृष्ट हो गया एक दूसरे का। माननीय ओम प्रकाश सिंह का जो पत्र है उसको पढ़े देता हूं। "आज आदरणीय सदन में उत्तर प्रदेश कृषि उधार विधेयक, 1974 प्रस्तुत होने जा रहा है। विधेयक पढ़ने से प्रतीत होता है कि वह बड़े अपरिपक्व तथा अनुभवहीन हाथों से बनाया गया है। मुझे यह देख कर भी अधिक आश्चर्य हुआ कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके भार साधक मन्त्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संसदीय अनुभव की दृष्टि से सम्मानजनक स्थान रखते हैं उसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ।" यह निर्णय का विषय नहीं है। फिर "विधेयक में व्याकरण की भी भारी भूल है लगता है कि मुद्रण के समय प्रूफ भी नहीं दिया गया है।" यह कारण नहीं बन सकता है किसी विधेयक के न आने का, क्योंकि आप एतराज भी कर रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। कमियों की ओर सरकार का भी ध्यान दिया गया प्रतीत होता है क्योंकि शासक पक्ष की ओर से भी संशोधन आए हैं। इसके बारे में कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। अगर सरकार इस योग्य न हो तो संशोधन करने के सम्पूर्ण अधिकार श्री ओम प्रकाश सिंह को समर्पित हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह जो संशोधन विधेयक है यह किसानों को उन सभी सहूलियतों को प्रदान करने के लिए किया गया है जिनका उल्लेख माननीय ओम प्रकाश जी ने अपने भाषण में किया। अभी तक केवल भूमिधर किसानों को अधिकार था कि वे अपनी भूमि को बन्धक रख कर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते थे। अब सीरदार और आसामियों को भी यह अधिकार इसके द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ बैंकों को जो भूमि बन्धक रखने में कठिनाई थी, वह भी इससे दूर की गई है क्योंकि जनता का जो रुपया बैंकों में रहता है, तो बैंकों को भी प्रथम जिम्मेदारी होती है कि जो रुपया उनके यहां डिपोजिट होता है, उसके इन्टरेस्ट को वे सुरक्षित रखें। एक ओर इन्वेस्टमेन्ट ठीक से हो और दूसरी ओर जिन लोगों ने रुपया डिपोजिट कर रखा है, उन्हें ब्याज मिलता रहे। तो एक ओर जहां पर लोगों को कर्ज मिलता रहे, वहां यह भी आवश्यक है कि पूंजी सुरक्षित रहे, वापस आती रहे। तो इसके लिए भी कुछ निश्चय किए गए हैं। स्टेट बैंक के जो प्रबन्धक हैं श्री तलवार, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसने सारे देश के लिए एक ढांचा बनाया था कि किस प्रकार से बैंक कर्जा देंगे और उस रकम की वसूली के लिए बैंकों को क्या-क्या सहूलियतें दी जायं। यदि ऐसा न किया गया होता तो बैंकों में जो डिपोजिट्स हैं, उसका सही विनियोजन हमारे प्रदेश में नहीं हो सकता था। सदन ने उसकी स्वीकृति भी दी है। एक हजार करोड़ रुपया बैंक्स और फाइनेन्शियल इन्सटीट्यूशन्स द्वारा पांचवीं योजना काल में हमारे प्रदेश में विनियोजित है। उसमें से 750 करोड़ रुपया किसानों को कृषि के उत्पादन के लिए कर्ज देने का अन्दाजा है। यह धनराशि भूमि बंधक बैंक के अलावा भी है जिसका हम विचार रखते हैं। तलवार कमेटी के आधार पर हमने उन्हीं बैंकों को सहूलियतें दी हैं, इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। मुझे आशा है कि इसकी आवश्यकता को देखते हुए सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री राजबहादुर के निलम्बन की समाप्ति

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दफा 299 में 4 सेक्शन्स हैं। क्षमा कीजिएगा कि प्रस्तुत विधेयक के बारे में, कुछ नहीं कह रहा हूं। आपने माननीय काशीनाथ मिश्र और माननीय राज बहादुरचन्द का आज के लिए जो निलम्बन किया है, उसके बारे में आप से अपील करता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में मैं कहने ही जा रहा था कि आप खड़े हो गए। माननीय त्रिवेनी ने प्रार्थना की है कि इन दोनों को क्षमा करते हुए, बुला लिया जाय तो उनको क्षमा किया जाता है, अब वे आ जायं।

श्री राम मूर्ति--

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र तो ऐसे इन्टेलिजेन्ट हैं कि वे कभी सोच भी नहीं सकते हैं आपको इन्सल्ट करने की। वे बहुत समझदार हैं। अगर कोई बात आवेश में कह भी दी हो, तो उन्हें आप क्षमा कर दें। वे आपकी दिल से इज्जत करते हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, इन्टेलिजेन्ट वे अवश्य हैं। कभी-कभी वे अपनी इन्टेलिजेन्स प्रकट करने के लिए ऐसे शब्द बोल देते हैं, जिसकी माननीय सदस्य से अपेक्षा नहीं की जा सकती। आपने इस बारे में जो निर्णय लिया था वह भी ठीक था और अब जो उन्हें क्षमा करने का निर्णय लिया है, यह भी ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है वह आदेश वापस लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974 (क्रमागत)

*श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर दे दे।

मान्यवर, विधेयक पेश करते समय माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इस विधेयक से कृषकों को सुविधा मिलेगी लेकिन जो व्यावहारिक कठिनाइयां कृषकों की हैं, उनकी तरफ मन्त्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया। आज कृषक जब कर्ज लेता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है। रजिस्ट्रार आफिस में पैसा बन्धा हुआ है कि इतना पैसा दीजिए तब रजिस्ट्री होगी। इसके अलावा बैंकों में भी परसेन्टेज बंधा हुआ है कि इतना रुपया दीजिए तब चर्ज मिलेगा। इस तरीके से किसान हर जगह पीसा जा रहा है। एक टेबिल से दूसरी टेबिल पर उसका प्रार्थना-पत्र तभी जायगा जब वह दस रुपये का नोट देगा। हमारे मन्त्री महोदय ने इसका कोई ख्याल नहीं किया और कहते हैं कि किसानों को इससे बड़ा लाभ होगा। रिश्वत का इतना बोलबाला है कि जो बैंक इनको कर्ज देता है वह किसानों से यह भी कहता है कि फलां दुकानदार से ही आपको मशीन या पम्पिंग सेट खरीदना होगा नहीं तो आपको लोन नहीं दिया जायगा। परिणाम यह होता है कि किसान मजबूर हो कर उसी दुकानदार से खरीदता है और उसमें बैंक व दुकानदार के समझौते के आधार पर रुपया बंधा रहता है जो कि बैंक के लोगों को भी मिलता है और दुकानदार भी लेता है। साथ ही साथ गवर्नमेन्ट ने पम्पिंग सेट्स या इस तरह की मशीनों का जो मूल्य निर्धारित किया है वह उस मूल्य पर दुकानदार मशीन नहीं देता है। वह पैसा ज्यादा लेता है और रसीद कम की देता है नहीं तो वह कह देते हैं कि मशीन नहीं मिलेगी। मजबूर होकर किसान सोचता है कि कौन कर्ज लेने जाय और परेशानी में पड़े। परिणामस्वरूप उसका खेत सूखा रह जाता है और वह फसल नहीं बो पाता। मेरा सुझाव यह है कि जैसे उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा तो किसान अपनी सम्पत्ति का, जमीन का इन्तखाब लेता है। तो मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप कर पुन: संशोधन लायें कि किसान बैंक में अपना इन्तखाब जमा कर के कर्ज ले ले। दूसरे, जैसे कोई आदमी गाय पाले और उसको चारा वगैरह न खिलाए लेकिन दूध चाहता हो और जब गाय दूध न दे तो उसको चाबुक लगता हो, उसी तरीके से सरकार किसान को चाबुक मारती है। जैसा ओम प्रकाश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने कहा कि विधेयक बिना समझे-बूझे ले आया गया है। उन्होंने पहले कहा कि जब लोन दिया और उसकी अदायगी नहीं हो पायी तो बैंक का मैनेजर, तहसीलदार या अधिकारी को लिख देगा कि उस किसान की सम्पत्ति जो जमानत पर दी है, उसको बेच कर कर्ज अदा कर दिया जाय। उसमें यह संशोधन करना चाहिए था कि जब बैंक लिख कर भेजे तो तहसीलदार स्वयं जानकारी तो पहले कर ले कि वास्तव में इसके ऊपर कर्ज है भी या नहीं। बैंक कभी-कभी गड़बड़ करते हैं, कर्ज किसी का है और नाम किसी का लिख कर भेज देते हैं। इससे किसानों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी। मन्त्री महोदय को इसमें यह भी संशोधन करना चाहिए कि जब बैंक तहसीलदार को लिखे तो तहसीलदार को उसकी सूचना किसान को भेजनी चाहिये और पहले यह जांच करना चाहिए कि वास्तव में बैंक का कर्जा उस किसान पर बाकी है या नहीं। जब जांच में यह पता चले कि बाकी है तभी तहसीलदार को उसकी वसूली करना चाहिए।

इसमें यह भी किया गया है कि तहसीलदार इस प्रकार जो वसूली करेगा उसमें जो खर्च आएगा वह भी किसान को देना पड़ेगा। ऐसा क्यों रखा गया है? तहसीलदार या उसके जो भी कर्मचारी इसको वसूल करेंगे वे तो सरकारी कर्मचारी होंगे, सरकार से उनको पैसा मिलेगा, फिर यह किसान से वसूल करने की क्या बात है? जिस तरह से एक व्यक्ति गाय के चाबुक लगाकर बिना कुछ उसे खिलाये पिलाए दूध दुहता है, उसी प्रकार से यह सरकार किसान के चाबुक लगाना चाहती है। इस विधेयक में इसलिए आवश्यक सुधार की आवश्यकता है वरना यह प्रदेश अकाल की स्थिति में पहुंच जायेगा।

किसानों को जो ऋण दिया जाता है उस पर ब्याज की दर भी उस ब्याज दर से अधिक होती है जो उद्योग- ऋणों पर वसूल किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों के ऋण पर ब्याज की दर वही होनी चाहिये जो ब्याज-दर उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है।

जिस प्रकार से बैंक अन्य कामों के लिए ऋण देती है सम्पत्ति का ब्योरा आदि लेकर, उसी प्रकार किसानों को भी उनके इन्तखाब की बेसिस पर ऋण दिया जाय।

हमारी सरकार ने फैक्टरियों, कारों, मकानों आदि के बीमों की तो व्यवस्था की है, मगर किसान के खेत के बीमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान की फसल के बीमा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, किसान और प्रदेश का भी उससे भला होगा।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वहां इन सारी बातों पर जो मैंने कही हैं, विचार हो सके।

श्री अध्यक्ष---

(श्री अवधेश कुमार से) चूंकि समय कम है, बोलने वाले माननीय सदस्य अधिक हैं, इसलिए माननीय सदस्य कृपया 5 मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करें।

*श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक पर कुछ वैधानिक आपत्ति की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह संशोधन उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए किया जा रहा है, मगर मान्यवर, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में भी संशोधन किया जा रहा है उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश कुमार]

धारा 20 और 21 में। मैं एक वकील होने के नाते इससे सहमत नहीं हूं कि अगर एक विधेयक में हम संशोधन ला रहे हैं तो उसके द्वारा दूसरे अधिनियम में भी हम संशोधन कर सकते हैं। मेरे विचार से इसमें यह वैधानिक त्रुटियां हैं और माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे। मान्यवर, माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संशोधन विधेयक में जो धारा 20 और 21 रखी गयी है, वह बिलकुल अवैधानिक है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। क्योंकि अनियमित होने की वजह से उच्च न्यायालय में जब यह जाएगा तो वहां इसकी धज्जियां उड़ेंगी और यह सारा विधेयक वहां अनकांस्टीट्यूशनल करार दे दिया जाएगा।

माननीय आशाराम जी के संशोधन का समर्थन करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष की ओर से जो इतने अधिक संशोधन लाये गये हैं, वही इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेकों त्रुटियां रह गयी हैं।

अब मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा। इस संशोधन विधेयक में यह रखा गया है कि किसान अपनी भूमि बैंक को बन्धक के रूप में रखेगा, तो उसके बाद फिर जमानतदार की क्या आवश्यकता है? जमानतदार के प्रोविजन को निकाले जाने की बात कही गयी होती तो मैं उसका स्वागत करता लेकिन इसमें जमानत देने की बात निकालने की कोई बात नहीं कही गयी है बल्कि यह प्रोविजन रखा गया है कि जिस प्रकार कर्जा लेने वाले से उस धन को वसूल किया जा सकता है उसी प्रकार से जमानतदार से भी वह वसूल किया जाएगा। जब आप किसान की सम्पत्ति बन्धक के रूप में रख रहे हैं तो जमानतदार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि यह जो खंड 12(ग) है, उसको हटा देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

जब खंड के बारे में बात आवे तब आप इसको कह सकते हैं। अभी तो सामान्य चर्चा है।

श्री अवधेश कुमार--

एक दूसरी बात जो मैं माननीय मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं वह यह कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा भूमिधरों के साथ एक बड़ा भारी धोखा किया गया है। धारा 3 में यह कहा गया है कि भूमिधर, सीरदार, असामी और गवर्नमेन्ट लेसीज, सब की भूमि हस्तान्तरण करने के योग्य होगी, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिधर को लगान का दसगुना और बीस गुना जमा करने के बाद यह अधिकार दिया गया है परन्तु इस ऐक्ट के अन्दर अब यह प्रोविजन करना कि सब के ऊपर सामान्य रूप से यह लागू हो जाएगा, भूमिधरों के साथ एक धोखा है। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस संशोधन विधेयक को इन सारे मसलों पर विचार करने के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, जो संशोधन माननीय आशाराम जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो कठिनाई हमारे वित्त मन्त्री जी को बैंकों की वसूली में दिखलाई पड़ रही है, परन्तु हमें काश्तकारों की कठिनाइयां भी दिखलाई पड़ रही हैं, और उसकी मजबूरियां हैं। आपको मान्यवर, यह पता है कि इस प्रदेश में लगातार 5-6 फसलें खराब होती जा रही हैं और उन खराब फसलों का परिणाम यह निकला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि लैन्ड डेवलप बैंक ने नोटिस निकाल दिया, पिछले साल की एक लम्बी लिस्ट निकाल दी कि इतने आदमियों को हमने बेदखल करने का नोटिस दिया है और नीलामी हो रही है। यह प्रक्रिया सारे प्रदेश में जोरों से चल रही है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आज हमको यह प्रचार करना पड़ेगा कि जब किसान की 5-5 फसलें लगातार खराब हो जायं या एक फसल खराब हो जाय तो उसको मौका मिलना चाहिए और उसकी किस्त को आगे सरका देना चाहिए। अभी जैसा हमारे अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इसमें विधेयक द्वारा दूसरे विधेयक की धारा 20 और 21 में संशोधन किया जा रहा है। ऐसा करने से मैं भी सहमत नहीं हूं और इसलिये मैं कहता हूं कि इसको प्रवर समिति को जाना चाहिए।

मान्यवर, कठिनाई पड़ रही है। आप देखें कि बैंक का मैनेजर एक साल के अन्दर 30-35 हजार की एम्बेसडर–फियेट कार खरीद लेता है। कैसे खरीद लेता है मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। जितने पम्पिंग सेट और कर्ज किसान लेता है, उनकी कीमत बंधी होती है और उनके डीलर निश्चित होते हैं। उसी डीलर से उसको सामान खरीदना पड़ता है। मशीन कुछ है, प्लेट किसी दूसरी कम्पनी की लगी है। तो इस तरह से काश्तकार को लूटने की खुली छूट बैंकों को है। मान्यवर, ऐसा होना चाहिए कि किसान कहीं से सामान खरीद ले और उसकी रसीद दे दे जिससे वह लूट से बच जाय। जैसा हमें मालूम पड़ा कि लैन्ड रेवेन्यू की तरह यह पैसा वसूल करेंगे, ठीक है। वसूल कीजिए। लेकिन आपके इसी तरह से प्रदेश में जो कर्ज हैं, जितने इन्डस्ट्रियल लोगों पर कर्ज हैं व्यापक रूप से इस नियम से वसूल करें। लैन्ड रेवेन्यू की तरह वसूल करें, तो मुझको खुशी होगी। यह सरकार इस हथियार को सिर्फ किसानों पर ही क्यों चला रही है। बड़े-बड़े उद्योगपति, पूंजीपतियों को आप क्यों अछूता छोड़े दे रहे हैं?

हमारे बाबू लाल वर्मा जी ने जो कहा उसको मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं। आज करोड़ों रुपया गन्ने का, किसान का, मिलों पर बकाया है। तो बैंकों को चाहिए कि वह किसान के ऊपर जो पैसा उनका बकाया है, उसके लिए किसान की जमीन नीलाम न करे बल्कि मिलों से वसूल कर लें जिससे किसान की जमीन नीलाम होने से बच जाय। किसान को जब पैसे की जरूरत होती थी तो वह कर्ज लेता था और आज भी वह गांव के साहूकार के पास कर्ज लेने के लिए जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि किसान को बैंकों से फसलों के ऊपर कर्ज मिलना चाहिए जिससे कि उसको दूसरे के सामने हाथ न खोलना पड़े और उसी की फसल पर कर्ज मिल जाय।

मान्यवर, आपने कहा कि तहसीलदार नोटिस देगा। नोटिस में उसको जो पीरियड मिलना चाहिए, 30 दिन का, 2 महीने का जिससे वह पैसे का इन्तजाम कर सके, ऐसी बात का इसमें जिक्र नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। इतना ही नहीं, बैंक किसान की जमीन को खरीद लेगी। मैं यह नहीं कहता कि वह न खरीदे पर वह दूसरे के हाथ बेंच देगी। बेचने का प्राविधान कैसा हो, यह तरीका नहीं है। इसके अलावा स्टेट फार्म बनाये जायेंगे इसके लिए क्या जरिया बनाया है, इन बातों के लिए मैं कहता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय जिससे जो कमियां इसमें हैं वह दूर हो जायं। आपने कहा तलवार म हूब, तलवार लटक गयी और बिल आ गया। किसान की कठिनाइयां नहीं समझी गयीं, इसके लिए जरूरी है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे इनका निराकरण हो सके। प्रवर समिति में भेजने से, किसान को किस तरह से लूटा जा रहा है, उसकी क्या कठिनाइयां हैं, यह सब बातें निश्चित रूप से ठीक हो जायेंगी। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों के साथ कहूंगा कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय जिससे कमियों का निराकरण हो सके।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

मान्यवर, आशाराम जी ने जो संशोधन रखे हैं मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को सरकार ने प्रस्तुत किया है किसान को सुविधाजनक कर्ज दिलाने के लिए, यह विचार है सरकार का। श्रीमन्, जब कर्जा दिया जाता है तो वह वसूल भी होना चाहिए, यह सही बात है। किन्तु सरकार तो किसानों की हिमायती है इसलिए सरकार को कर्जा देने और वसूलने के साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कर्जा जो दिया जाता है वह वसूल क्यों नहीं हो रहा है? जमीन क्यों नीलाम हो रही है? इस विधेयक के अनुसार सरकार ने सारे पावर जैसे जमीन के नीलाम और फसल के नीलाम आदि के तहसीलदारों को दे दिये हैं। तहसीलदार फसल को नीलाम करके कर्जा वसूल कर सकता है। आगे दूसरी धारा के अनुसार दिया गया है कि सिविल न्यायालय के अनुसार वह व्यवस्था मानी जायेगी। सिविल सूट के अनुसार जो कर्जा वसूल होता है उसमें पूरी फसल नीलाम नहीं होती है बल्कि 1/3 बिकाऊ होती है, 2/3 कर्जदार के लिए छोड़ी जाती है इस प्रकार किस्तों में वसूल होता है लेकिन सरकार पूरी फसल को नीलाम कर देगी और उसका परिणाम यह होगा कि जो किस्त बाकी रह जाएगी वह देना बन्द हो जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा आगे खेती करने के लिए नहीं रह जाएगा।

मान्यवर, जहां तक जमीन नीलाम करने की बात है तो वह तहसीलदार कर लेंगे और सिविल कोर्ट तक जाने की नौबत नहीं आती है। इसलिए इसमें घोर अन्याय होता है। किसान ऐसे कानूनों को नहीं जानते हैं। लेकिन मन्त्रिगण योग्य हैं और कितने वकील भी हैं वह नहीं जानते होंगे कि किसान को कितनी परेशानियां होंगी। जो कर्जा लिया जाता है वह चेक के रूप में दिया जाता है। किसान को गलत सामान दिया जाता है। मोटर लोग खरीद लेते हैं, बैंक कर्जा देता है और फार्म भरा लेता है, खरीदने के बाद मोटर चलती नहीं है लेकिन कर्जा वसूल किया जाता है। इस प्रकार जो विधि बनाई गई है, उसमें किसान के संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। किसान से विकास कर, लेवी लेते जा रहे हैं लेकिन सस्ते ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था नहीं है। किसान जो आसामी होते हैं उनको कर्जा देने की व्यवस्था की गयी है किसान जो असली काश्तकार नहीं है, उनकी फसल नीलाम नहीं हो सकती है। वह बटाई पर खेती करवाते हैं और आधी खुद लेते हैं और आधी फसल लेता है असली किसान। लेकिन आसामी किसान से जो कर्जा वसूलने में कुर्की होगी तो उसकी पूरी फसल की होगी। इस प्रकार असली किसान कहां जाएगा इसकी व्यवस्था नहीं है। इसके साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, यह विधेयक, 1973 में ग्राम सभा में प्रस्तुत हुआ था और उसी समय यह अधिनियम बन गया। जहां तक किसानों को ऋण देने का सवाल है तो इस प्रश्न के ऊपर न इधर के बैठने वालों में और न उधर के बैठने वालों में मतभेद हो सकता है। आज 80 प्रतिशत जन किसान है और उनकी तरक्की के लिये सरकार को सोचना होगा। जहां तक विद्युत्, सिंचाई और खाद की व्यवस्था की है, वहां सरकार को इस बात को भी सोचना होगा कि वे किसान जो धनाभाव के कारण अपनी खेती की तरक्की नहीं कर सकते हैं उनको पैसा कहां से आएगा, उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसी के तहत में यह बिल लाया गया है। जब यह अधिनियम बन गया तो उसमें बहुत सी कमियां बैंकों और सरकार को दिखाई पड़ीं। यह बात सही है कि जैसे उनको पैसा देना आवश्यक है वैसे ही इस बात की भी आवश्यकता है कि जो पैसा देने वाली एजेन्सी हैं, चाहे सरकार हो या बैंक, उनका पैसा समय से वसूल हो जाय, यह भी एक आवश्यक बात है और इसलिए बैंकों ने इस पर विधिवत् विचार करने की कोशिश की है कि पैसा जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप बैंकों से देते हैं वह पैसा उनको वाजिब तरीके से मिल जाय। इसकी पूरी गारन्टी होनी चाहिये और उसी विचार के तहत यह बिल लाया गया है। अब यह बात दूसरी है कि इसके अन्दर कुछ कमियां रह गयी हैं, मैं आपके सामने पेश करूंगा जिसके कारण यह आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए।

जहां तक ऋण देने की बात है उसमें अगर आप देखें कि जिस समय जमींदारी थी इस प्रदेश में उस समय 18 करोड़ रुपया वाजिब होता था लगान का लेकिन 7 करोड़ रुपया ही सरकार को मिलता था लेकिन आज यह लगान 28 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा जो किसानों के ऊपर टैक्स लगे हैं उनका जो बोझ वर्तमान बजट में दिखाई पड़ता है उससे लगता है कि किसानों के ऊपर लगातार टैक्स का बोझा विकास कर के और दूसरे करों के रूप में लग रहा है और लगेगा और उनके अलावा इन्डाइरेक्ट टैक्सेज उसके ऊपर अलग से हैं। अब उनको ऋण देकर खेती की तरक्की करने की बात कही गयी है।

अभी जो बजट भाषण माननीय वित्त मन्त्री जी ने रखा है उसके पृष्ठ 36 पर आपने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर क्रेडिट ऐक्ट, 1973 तथा उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर क्रेडिट आर्डिनेन्स (अमेंडमेंट), 1975 का लेकिन उसके बाद आपने कहीं उसमें यह जिक्र नहीं किया है कि आखिर इस साल इस प्रदेश के कितने किसानों को कितना-कितना कर्जा किन-किन बैंकों के माध्यम से दिया जायगा। आगे आपका कहना है कि एक करोड़ रुपया हम पंचवर्षीय योजना के अन्दर ऋण के रूप में देंगे। आपने आगे जो ऋण की योजनायें इसमें रखी हैं उनका स्वागत तो होना ही चाहिए क्योंकि काफी बड़ी राशि किसानों के लिए रखी है लेकिन इस बिल में मुझे बहुत सी कमियां दिखाई पड़ी हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने पहले सिर्फ भूमिधरों को राइट दिया था लेकिन अब असामियों और सीरदारों पर भी ध्यान दिया है और उनका प्राविजन इसमें रखा है। इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि असामी और सीरदार ही ऐसे किसान हैं जो छोटे होते हैं और जो दूसरों से खेत लेकर बोते हैं और उसमें अपनी रोजी चलाते हैं। वे भी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों से फायदा उठा सकें, यह करके आपने बहुत अच्छा किया है लेकिन जो किसान अपने खेत को बटाई पर देता है, उसके लिए इसमें नहीं बताया गया है कि पैसा किससे वसूल किया जायगा जिसको खेत बटाई पर दिया गया है या असली किसान से वसूल किया जायगा। मैं समझता हूं कि आगे चल कर कठिनाई पड़ेगी जिसको आपको फेस करना होगा।

दूसरी कठिनाई यह है कि आपने इसमें चकबन्दी से निकली जमीन का प्राविधान किया है कि जो जमीन चकबन्दी से निकलेगी उससे वह ऋण वसूल किया जायगा। यह भी आपने अच्छा ही किया क्योंकि जमीन के बन्धक करके रख दिया जाता है और जब वह जमीन निकल गयी तब उसके एवज में जो दूसरी जमीन आयी तो लामुहाला बोझ उस पर आना ही चाहिए। लेकिन जो कठिनाई है वह यह है कि आपने, जो जमीन किसान बैंक में बन्धक रखेगा उसके लिए आपने चार व्यवस्थायें कर दी हैं। एक तो तहसीलदार करेगा, दूसरे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी करेगी, तीसरे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा और चौथे बैंक करेगा। यह चार व्यवस्थायें एक ही विधेयक के द्वारा क्यों की गयीं। इसी चीज को लेकर जिस दिन हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया जायगा तो यह विधेयक अल्ट्रावायरस हो जायगा क्योंकि जब दो या उससे अधिक आलटरनेटिव दिए जायेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि हाई कोर्ट उसको आल्ट्रावायरस घोषित कर देगा। 11वीं धारा में इस विधेयक में तहसीलदार को, 12 में प्रेस्क्राइब्ड अथरिटी को, धारा 13 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और उसके बाद आपने अधिकार बैंक को दे दिया। अगर आपने तहसीलदार को रखा था कि वह लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल करके देगा तो फिर उसी को रखते, यह चार-चार व्यवस्थायें करने की क्या जरूरत थी? जैसा अवधेश जी ने कहा कि आप इस विधेयक के माध्यम से

[श्री त्रिवेणी सहाय]

सीलिंग ऐक्ट को भी चेंज कर रहे हैं। जबकि आर्डिनेन्स के माध्यम से केवल एक ही विधेयक को चेंज करने की बात की गयी है। मेरा यह कहना है कि आपने इस तरह से जल्दी में बिल लाकर यह कोशिश की है कि यह विधान सभा से पारित हो जाय तो इसको आप प्रवर समिति में भेज दें जहां कि इस पर विधिवत् विचार हो। यह विधेयक अच्छा है लेकिन इस पर पूरी तरह से विचार होना चाहिये ताकि किसानों को उससे लाभ हो सके।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सवाल है यह ठीक है कि छोटे किसान, सीरदार और आसामियों की बात इसमें सोची गयी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छोटे किसान पैसा ले लेते हैं लेकिन जब उनकी फसल मारी जाती है और उनसे वसूली की जाती है तो उनकी जमीन नीलाम हो जाती है और इस तरह वह अपनी जमीन से वंचित हो जाते हैं। मान्यवर, यहां के कोई अर्थशास्त्री नहीं बल्कि फोर्ड फाउन्डेशन के अर्थशास्त्री आये थे और उन्होंने यहां का पूरा लेखा-जोखा लेने के बाद लिखा कि आज तक जो पैसा मिला वह बड़े किसानों को मिला। कुलक्स को मिला और उन्हें ही उसका फायदा हुआ और छोटा किसान उस फायदे से वंचित रहा। हमारा सुझाव यह है कि छोटे किसानों को सीधे बैंकों से सम्बन्धित न करें जिससे कि उसे अपनी स्थावर सम्पत्ति रेहन रखनी पड़े। हमारा सुझाव है कि छोटे किसानों को पैसा दिया जाय और वसूल उनसे काइंड में किया जाय। किसान ने फसल पैदा की। मान लीजिए उसने गेहूं पैदा किया तो उससे आप काइंड में वसूल कर लें। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उसकी जमीन को नीलाम करके पैसा वसूल किया जाय। जो भी ऋण या तकावी आप छोटे किसानों को दें तो उसे काइन्ड में वसूल करें। यह हो सकता है कि आप यह कह दें कि यह व्यवस्था 5 से 10 एकड़ वालों के लिये है। उसके ऊपर वालों की चाहे जमीन रहन रखवायें या नीलाम करायें, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर छोटे किसानों को राहत देना है तो उनसे वसूली काइन्ड में होनी चाहिये।

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, इस विधेयक की सार्थकता तो इस तथ्य से ही सिद्ध हो सकती है कि माननीय त्रिवेणी सहाय जैसे प्रबल व्यक्ति ने इस विधेयक का चार अंशों में स्वागत किया है। शायद यह पहला ही अवसर हो जब उन्होंने ऐसा किया है। यह मैं मानता हूं कि तहसीलदार वसूल करेंगे बकाया की तरह लेकिन यह प्राविधान इसलिए आवश्यक है कि बैंकों में भी जनता का ही पैसा जमा है और उससे जो ऋण दिया जाता है तो वह वापस होना जरूरी है। मैं माननीय त्रिवेणी सहाय, माननीय आशाराम जी और माननीय ओम प्रकाश जी की इस बात से सहमत हूं कि जो भी ऋण दिया जाय अगर उसका सही ढंग से उपयोग हो तो फिर उसकी वसूली में दिक्कत नहीं होगी। एक बात यह कही गयी कि सीलिंग ऐक्ट में तरमीम की जा रही है। तरमीम कोई नहीं की जा रही है बल्कि सीलिंग ऐक्ट में और लैन्ड होल्डिंग ऐक्ट में बैंक की परिभाषा एक की जा रही है- आशा राम जी ने एक बात का उल्लेख और किया था। जैसा कि मैंने बतलाया हम किसान को छूट दे रहे हैं कि दस हजार रुपये तक जो कर्जा बैंकों से लेते थे उन्हें स्टाम्प शुल्क से मुक्ति थी। अब अगर कोई किसान 20 हजार रुपये तक पम्पिंग सेट, ट्यूबवेल्स खरीदने के लिए बैंक से कर्जा लेता है तो उसे स्टाम्प शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। तो इस तरह से दुगुना किया जा रहा है, इसलिए इस बजट में इसका भी प्राविधान है। एक तो यह सुविधा दी जा रही है। दूसरी सुविधा यह दी जा रही है कि ट्रान्सफर आफ प्रापरटी ऐक्ट के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुताबिक अब तक केवल, 4 बड़े शहरों में टाइटिल डीड लेकर वह इक्वेटेबिल मारगेज कर सकते थे। वह संख्या शहरों की अब 19 की जा रही है। यह भी किसानों को बड़ी सुविधा है ताकि वह बैंकों से ऋण ले सकें। यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि 20 हजार तक ट्यूबवेल्स और पम्पिंग सेट पर स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

2--उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1973 की धारा 2 का संशोधन

(1) खण्ड (क) में, शब्द "जिसमें सिंचाई के स्रोतों का विकास करना, फसलों को उगाना तथा उनकी कटाई करना भी सम्मिलित है" के स्थान पर कोष्ठक तथा शब्द "(जिसके अन्तर्गत सिंचाई के स्रोतों का विकास करना भी है), फसलों को उगाना तथा उनकी कटाई करना" रख दिए जायं;

(2) खण्ड (ग) में उप-खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:

"(5) कोई वित्त पोषक बैंक या केन्द्रीय बैंक (जैसा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में परिभाषित है) जो भूमि विकास बैंक न हो;"

(3) खण्ड (ङ) में शब्द "स्वीकृत" के स्थान पर शब्द "चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व या पश्चात् स्वीकृत" रख दिए जाएं और सदैव से रखे गये समझे जायें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3—5

धारा 3 का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"3—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जायें, समस्त भूमिधरों, सीरदारों, असामियों और सरकारी पट्टेदारों को उनके खाते के अधीन धत भूमि का अथवा उक्त भूमि में उनके किसी हित का, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि या हित पर कोई प्रभाव सृजित करने अथवा उसे बन्धक रखने का अधिकार भी है, सामान्यतया, बैंकों या किन्हीं निर्दिष्ट वर्ग के बैंकों के पक्ष में, ऐसे बैंकों से वित्तीय सहायता लेने के प्रयोजनार्थ, संक्रमण करने का अधिकार निहित कर सकती है, और ऐसी अधिसूचना जारी किए जाने पर, ऐसे भूमिधर, सीरदार, असामी और सरकारी पट्टेदार को, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा, अनुदान अथवा अन्य संलेख में इसके प्रतिकूल किसी बात के, या किसी रूढ़ि या परम्परा के होते हुए भी, अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संक्रमण करने का अधिकार होगा।"

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "जिस पर तथा जिससे फसल उगाई जाय" के स्थान पर शब्द "जिस पर तथा जिससे फसल या उपज उगाई जाय" रख दिये जायं;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द तथा अंक "की धारा 39" निकाल दिये जायं।

धारा 5 का निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 5 निकाल दी जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर रखी जाने वाली नई धारा 3 की चौथी पंक्ति में शब्द "प्रभाव" के स्थान पर शब्द "प्रभार" रख दिया जाय और पांचवीं पंक्ति में शब्द "सामान्यतया बैंकों या" के स्थान पर शब्द "बैंकों के पक्ष में सामान्यतया अथवा" रख दिये जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं मंजूर करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर रखी जाने वाली नई धारा 3 की चौथी पंक्ति में शब्द "प्रभाव" के स्थान पर शब्द "प्रभार" रख दिया जाय और पांचवीं पंक्ति में शब्द "सामान्यतया बैंकों या" के स्थान पर शब्द "बैंकों के पक्ष में सामान्यतया अथवा" रख दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 3, खण्ड 4 और खण्ड 5 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 6 व 7

धारा 6 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(1) कोई कृषक जो ऐसी भूमि अथवा किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, जो उसके स्वामित्व में हो अथवा जिसमें उसका कोई हित हो, प्रभार सृजित करके किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में या परिस्थितियों के अनुसार लगभग उसी प्रकार के प्रपत्र में या यथाविधि स्टाम्पित पत्र पर यह घोषणा कर सकता है कि इसके द्वारा वह, यथास्थिति, ऐसी भूमि, अथवा उसमें अपने हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर, बैंक के पक्ष में प्रभार सृजित करता है।"

नयी धारा 6-क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात् :—

चकबन्दी क्रियाओं के दौरान आबंटित भूमि के प्रभार या बन्धक का अन्तरण

"6-क—जहां किसी कृषक द्वारा धृत कोई भूमि कृषक द्वारा बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार या बन्धक के अधीन हो और उक्त भूमि में कृषक का अधिकार, हक तथा हित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अध्याय 4 के अधीन अन्तिम चकबन्दी योजना के लागू किए जाने के फलस्वरूप समाप्त हो गया हो, तो ऐसा प्रभार या बन्धक कृषक को आबंटित तत्सम भूमि को और उक्त योजना के अधीन देय प्रतिकर, यदि कोई हो, को अन्तरित और उससे बद्ध, हो जाएगा।"

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 6 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 6(1) के स्थान पर रखी जाने वाली धारा 6(1) की चौथी पंक्ति में शब्द "में" तथा शब्द "यथाविधि" के बीच आये शब्द "या" को निकाल दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 6(1) के स्थान पर रखी जाने वाली धारा 6(1) की चौथी पंक्ति में शब्द "में" तथा शब्द "यथाविधि" के बीच आए शब्द "या" को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 6 और खण्ड 7 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 8

8—मूल अधिनियम की धारा 7 में, शब्द तथा अंक, "उत्तर प्रदेश सहकारी धारा 7 का समिति अधिनियम, 1965 की धारा 39 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि संशोधन

विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 22 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी", के स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि-विकास बैंक अधिनियम, 1964 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी" रख दिये जायं।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 8 की चौथी पंक्ति में शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "तथा" रख दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 8 की चौथी पंक्ति में शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "तथा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 8 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 9

धारा 9 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 9 में --

(क) उपधारा (1) में, शब्द "तदर्थ हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हो" के पश्चात् शब्द "विहित रजिस्ट्रीकरण फीस सहित" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात् :--

"(2) उप-रजिस्ट्रार, उपधारा (1) में अभिदिष्ट लेख्य की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर, यथाशक्यशीघ्र, तथा यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि उक्त लेख्य यथाविधि स्टाम्पित किया गया है, उसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित बुक संख्या 1 में लगा देगा।

(3) जहां उप-रजिस्ट्रार की यह राय हो कि उक्त लेख्य यथाविधि स्टाम्पित नहीं किया गया है अथवा उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उद्भूत होने वाली कोई त्रुटि है तो वह लेख्य की प्रतिलिपि को बैंक के पास यह अपेक्षा करते हुए वापस कर देगा कि बैंक तीस दिन अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसे उप-रजिस्ट्रार तदर्थ अनुज्ञात करे, मूल प्रति के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करा दे अथवा त्रुटि को दूर करा दे।

(3-क) इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 में किसी बात के होते हुए भी, बैंक कमी को पूरा करायेगा या त्रुटि को दूर करायेगा।"

(ग) उपधारा (4) में शब्द "स्टाम्प की कमी पूरित होने" के पश्चात् शब्द "या त्रुटि दूर किये जाने, जैसी भी दशा हो," रख दिये जायं।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 9 के उपखण्ड 3(क) को निकाल दिया जाय तथा उसके पश्चात्वर्ती खण्डों को पुन: संख्यांकित कर दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 के उपखण्ड (क) को निकाल दिया जाय तथा उसके पश्चात्वर्ती खण्डों को पुन : संख्यांकित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 9 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 10

नयी धारा 9-क और 9-ख का बढ़ाया जाना

10--मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जाय, अर्थात् : --

अधिकार अभिलेख में प्रभार या बन्धक को दर्ज करना

"9-क--जहां प्रभार सृजित करने, फेरफार करने या बन्धक रखने की लेख्य की प्रतिलिपि धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये भेजी गई हो तो बैंक तहसीलदार या ऐसे अन्य पदाधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाय, ऐसे प्रभार, फेरफार या बन्धक की विशिष्टियों की सूचना दे सकेगा। वह तहसीलदार या अन्य पदाधिकारी प्रभार, फेरफार या बन्धक की विशिष्टियों को उस भूमि से जिसके सम्बन्ध में ऐसा प्रभार सृजित किया गया हो या बन्धक रखा गया हो या फेरफार किया गया हो, सम्बन्धित अधिकार-अभिलेख में दर्ज करेगा।

उन्मोचन प्रमाण-पत्रों का रजिस्ट्रीकरण

9-ख--जहां किसी भूमि या उसमें हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर प्रभार या उसके बन्धक के सम्बन्ध में किसी घोषणा या फेरफार का धारा 9 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण किया गया हो, और उसके द्वारा प्रतिभूति वित्तीय सहयता की धनराशि का भुगतान बैंक को कर दिया गया हो अथवा ऋण को अन्य प्रकार से उन्मोचित कर दिया गया हो, तो बैंक इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा और उक्त धारा के उपबन्ध ऐसे प्रमाण-पत्र के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 10 द्वारा प्रस्तावित नई धारा 9-क की पांचवीं पंक्ति में शब्द "वह तहसीलदार" के स्थान पर शब्द "उक्त तहसीलदार" रख दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 द्वारा प्रस्तावित नई धारा 9-क की पांचवीं पंक्ति में शब्द "वह तहसीलदार" के स्थान पर शब्द "उक्त तहसीलदार" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 10 द्वारा प्रस्तावित नई धारा 9-क की सातवीं तथा आठवीं पक्ति में शब्द "बन्धक रखा गया हो या फेरफार किया गया हो" के स्थान पर शब्द "फेरफार किया गया हो या बन्धक रखा गया हो" रख दिए जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 द्वारा प्रस्तावित नई धारा 9-क की सातवीं तथा आठवीं पंक्ति में शब्द "बन्धक रखा गया हो या फेरफार किया गया हो" के स्थान पर शब्द "फेरफार किया गया हो या बन्धक रखा गया हो" रख दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 10 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 11 व 12

नयी धारा 10-क का बढ़ाया जाना

11--मूल अधिनियम के अध्याय 4 में धारा 11 के पूर्व निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

उपज तथा जंगम वस्तुओं का अभिहरण और विक्रय

"10-क--(1) जहां किसी कृषक को दी गई किसी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में कोई राशि उसके देय होने के दिनांक को असंदत्त रह जाय तो वित्तीय सहायता देने वाला बैंक अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को यह आवेदन दे सकेगा कि वह बैंक के पक्ष में प्रभारित जंगम सम्पत्ति या फसल या अन्य उपज का अभिहरण तथा उसकी बिक्री करके देय राशि की वसूली करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा आवेदन उस उपधारा में अभिदिष्ट राशि की वसूली को कराने के लिये जंगम सम्पत्ति के विक्रय के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपधारा में अभिदिष्ट सम्पत्ति का अभिहरण तथा उसकी बिक्री करने के प्रयोजनार्थ कार्यवाही विहित रीति से कर सकेगा।

(4) इस प्रकार वसूल की गई कोई राशि, वसूली के व्यय को काटने और सरकारी देयों या अन्य पूर्विक प्रभार को, यदि कोई हो, चुकाने के पश्चात् बैंक को अन्तरित कर दी जायेगी।"

धारा 11 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 11 में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात् :—

"(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी (जिसे आगे विहित प्राधिकारी कहा गया है) किसी बैंक के आवेदन पर, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि किसी कृषक को दी गयी वित्तीय सहायता के फलस्वरूप बैंक को देय धनराशि का भुगतान उस भूमि अथवा उसमें किसी हित या अन्य स्थावर सम्पत्ति का, जो ऐसी धनराशि का भुगतान करने के लिये प्रभारित अथवा बन्धकित हो, बिक्री करके किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन विक्रय का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि कृषक पर, देय धनराशि का भुगतान करने के लिये विहित प्राधिकारी द्वारा नोटिस तामील न कर दिया गया हो।

(1-क) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा आवेदन उक्त उपधारा में अभिदिष्ट राशि की वसूली को कराने के लिये भूमि या उसमें हित या अन्य स्थावर सम्पत्ति की बिक्री के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद हो।"

(ख) उपधारा (4) निकाल दी जाय और सदैव से निकाली गई समझी जायगी।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 11 में प्रस्तावित धारा 10-क की उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित लिख दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कार्यवाही करने के पूर्व तहसीलदार किसान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दे कर यह सुनिश्चित कर सकेगा कि बैंक की सूचना ठीक है अन्यथा कृषक को हुई हानि की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होगी।"

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह तो पहले से ही संतुष्टी हो जायगी तभी वसूली के लिये लिखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 11 में प्रस्तावित धारा 10-क की उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित लिख दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कार्यवाही करने के पूर्व तहसीलदार किसान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर यह सुनिश्चित कर लेगा कि बैंक की सूचना ठीक है अन्यथा कृषक को हुई हानि की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 11 द्वारा बढ़ाई जानेवाली नई धारा 10-क को पुनः संख्यांकित करके धारा 10-ख कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा 10-ख के पूर्व निम्नलिखित नई धारा 10-क रख दिया जाय, अर्थात् :--

न्यायालय की आदेशिका द्वारा कुर्की और बिक्री पर रोक को हटाना

"10-क-किसी विधि की कोई बात बैंक को किसी ऐसी भूमि या उसमें हित को जिसे कृषक ने कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये बैंक को प्रभारित या बंधिकित किया हो, सिविल न्यायालय के माध्यम से कुर्क करने और बेचने से, और ऐसी बिक्री के आगम को उस कृषक द्वारा देय समस्त धन जिसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दिलाया गया व्यय तथा खर्च भी है, के प्रति लगाने से किसी प्रकार से न रोकेगी।"

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 11 द्वारा बढ़ाई जाने वाली नई धारा 10-क को पुनः संख्यांकित करके धारा 10-ख कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा 10-ख के पूर्व निम्नलिखित नई धारा 10-क रख दिया जाय, अर्थात् :--

न्यायालय की आदेशिका द्वारा कुर्की और बिक्री पर रोक को हटाना

"10-क-किसी विधि की कोई बात बैंक को किसी ऐसी भूमि या उसमें हित को जिसे कृषक ने कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये बैंक को प्रभारित या बंधिकित किया हो, सिविल न्यायालय के माध्यम से कुर्क करने और बेचने से, और ऐसी बिक्री के आगम को उस कृषक द्वारा देय समस्त धन जिसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दिलाया गया व्यय तथा खर्च भी है, के प्रति लगाने से किसी प्रकार से न रोकेगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड 11 में शब्द "निम्नलिखित धारा" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित धारायें" रख दिय जायें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ११ में शब्द "निम्नलिखित धारा" के स्थान पर शब्द "निम्नलिखित धारायें" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, एक व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यहां पर कोई माननीय सदस्य सो सकता है जबकि सदन की कार्यवाही चल रही हो ?

श्री अध्यक्ष--

सो सकता है लेकिन स्नोर नहीं कर सकता है। खुर्राटे नहीं ले सकता है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 11 द्वारा बढ़ाई जाने वाली धारा 10-क (जो पुनः संख्यांकित करके धारा 10-ख की जा रही है) के खंड (1) की अंतिम पंक्ति में शब्द "देय राशि की वसूली करे" के स्थान पर शब्द "वसूली के व्यय सहित देय राशि की वसूली करे" रख दिये जायं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

(श्री शारदा प्रसाद को इंगित करके) इनको सुन लीजिये, कभी-कभी तो खड़े होते हैं।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

यह जो संशोधन रखे जा रहे हैं, वह अपर हाउस में एक बार आ चुके हैं और फिर दुबारा संशोधन करके उसे वहां भेजकर क्यों इतनी फिजूलखर्ची की जाती है? पहले से ही ऐसा बिल क्यों नहीं बनाते जिस पर संशोधन की आवश्यकता न पड़े?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, सदन का यह अधिकार है कि वह उसमें संशोधन कर सकता है और इसकी आवश्यकता भी थी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

अध्यक्ष महोदय, आपके कमरे में वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री ने हमेशा यह आश्वासन दिया है कि हमें बिलों को सही तरीके से बनाना चाहिये जिससे दुबारा संशोधन की उसमें जरूरत न हो। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि कई बिल ऐसे भी हैं जो यहां पास हो गये और फिर उनको पास करने के बावजूद भी वापस लिया गया और अपर हाउस ने भी उसे थ्रू आउट कर दिया। तो यह जो 1 मिनट में 200 रुपया सदन का व्यय होता है तो जो सम्बन्धित अधिकारी हैं या मंत्री है वे इन बिलों को सही रुप से क्यों नहीं बनाते हैं। उस दिन भी इस सम्बन्ध में यहां पर चर्चा हुई। अपर हाऊस से पास कराया, जबरदस्ती यहां पर हमसे पास कराया गया। उस वक्त कहते हैं कि बड़ी मजबूरी है, हम अध्यादेश लाये हैं तो हाउस ने स्वीकार किया। परन्तु आज फिर वही चीज हो रही है। यहां पर पास होने के बाद, अपर हाऊस के पास होने के बाद दुबारा यहां पर संशोधन पेश किये जा रहे हैं, वह मंजूर भी होंगे। फिर विधान परिषद् में जायेंगे और फिर खर्च होगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी जल्दी क्यों होती है कि हम रोज संशोधन लायें। आप भविष्य में देख लें कि दिवारों पर क्या लिखा हुआ है। क्यों यहां पर आने से पहले, अपर हाउस में जाने से पहले क्यों नहीं देख लिया जाता है कि सही तरीके से हम पास करें। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद् ने किसी आदमी को इस कमी के लिये दंडित किया है, या नहीं।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है क्या आपके कमरे में जो बातें होती हैं क्या उस पर यहां पर चर्चा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

चर्चा नहीं होनी चाहिये। लेकिन माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया है जिसे पारित होने के समय उठाना चाहिये था, लेकिन फिर भी उठाया है कि सरकार ख्याल करें। माननीय वित्त मंत्री बता देंगे।

श्री नारायण दत तिवारी--

मान्यवर, अगर कोई नये विचार आ जाते हैं, या कोई अच्छे सुझाव आ जाते हैं तो बजाय इसके कि बाद में संशोधन विधेयक लायें, और दो सौ रुपया पर मिनट खर्च होता है। दूसरे दिन बैठा जाय तो इतना ज्यादा रुपया खर्च होता है। इसलिये एक ही बार में बैठक कर लें तो खर्च कम होगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

फिर विधान परिषद् में जायेगा और फिर यहां पर आयेगा। वहां पर अगर कोई मतभेद होगा तो फिर ज्वाइंट सेशन होगा और उसमें बैठ कर तय करेंगे। तो मेरा कहना है कि क्यों नहीं सही तरीके से पहले इसको देख लिया जाता है। यहां पर ऐसे बिल आते रहते हैं जिसमें समय-समय पर तब्दीली होती रहती है।

श्री अध्यक्ष--

संयुक्त समिति के बारे में जो मैंने निर्णय दिया श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के सवाल पर वह लागू होता है। संशोधन की जो बात है यह उनके अधिकार क्षेत्र में है ही, चाहे जो करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

आप यह समझिये कि फिर संशोधन आयेंगे तो क्यों नहीं पहले देख लिया जाता है?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, अधिक सावधानी से बनाते यह उचित था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 11 द्वारा बढ़ाई जाने वाली धारा 10-क (जो पुन: संख्यांकित करके धारा 10-ख की जा रही है) के खंड (1) की अंतिम पंक्ति में शब्द "देय राशि की वसूली करे" के स्थान पर शब्द "वसूली के व्यय सहित देय राशि की वसूली करें" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 11 और खण्ड 12 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 13

नई धारा 11-क का बढ़ाया जाना

13--मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

वैयक्तिक प्रतिभति की दशा में वसूली

"11-क (1) जहां बैंक द्वारा किसी कृषक को वित्तीय सहायता के रूप में कोई धनराशि प्रदान की जाय और कृषक देय दिनांक को ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करने में असफल रहे तो, धारा 10-क और 11 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना, बैंक का स्थानीय प्रधान अधिकारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, कृषक द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करते हुए कलेक्टर को, विहित रीति से, प्रमाण-पत्र भेज सकगा।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रमाण-पत्र उस दिनांक से जब प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट धनराशि देय हो जाय, तीन वर्ष के भीतर कलेक्टर को भेजा जा सकेगा।

(3) प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर कृषक से उसमें निर्दिष्ट धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा, और बैंक को देय धनराशि का, वसूली के व्ययों को कटाने और किन्हीं सरकारी देयों या अन्य पूर्विक प्रभारों, यदि कोई हों, को चुकाने के पश्चात् भुगतान किया जायगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "कलेक्टर" का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है जहां कृषक साधारणतया निवास करता हो अथवा धारा 2 के खंड (क) में अभिदिष्ट क्रियाकलाप करता हो अथवा जहां कृषक की कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति स्थित हो, और इसके अन्तर्गत उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है।"

श्री देवबहादुर सिंह--

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 13 द्वारा बढ़ाई जाने वाली मूल अधिनियम की नई धारा 11-क (1) की तीसरी पंक्ति में अक्षर तथा अंक '10-क' के स्थान पर अक्षर तथा अंक '10-ख' रख दया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 13 द्वारा बढ़ाई जाने वाली मूल अधिनियम की नई धारा 11-क (1) की तीसरी पंक्ति में अक्षर तथा अंक '10-क' के स्थान पर अक्षर तथा अंक '10-ख' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देवबहादुर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 13 द्वारा बढ़ाई जाने वाली मूल अधिनियम की नई धारा 11-क (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "कलक्टर" तथा शब्द "कृषक" के बीच में शब्द "वसूली के व्यय सहित" बढ़ा दिये जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 13 द्वारा बढ़ाई जाने वाली मूल अधिनियम की नई धारा 11-क (3) की प्रथम पंक्ति में शब्द "कलक्टर" तथा शब्द "कृषक" के बीच में शब्द "वसूली के व्यय सहित" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सत्य प्रकाश--

मान्यवर, खंड 13 द्वारा प्रस्तावित धारा 11-क की उपधारा (3) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"कार्यवाही करने के पूर्व जिलाधिकारी किसान के पक्ष को सुनकर यह सुनिश्चित कर लेगा--अन्यथा गलत वसूली की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर होगी।"

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मंत्री जी तो इसे मानेंगे नहीं, लेकिन इसमें बड़े दुन्द मचेंगे और बाद में फिर इनको करना भी पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, बाद में आपकी बात चलेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह अस्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 13 द्वारा प्रस्तावित धारा 11-क की उपधारा (3) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"कार्यवाही करने के पूर्व जिलाधिकारी किसान के पक्ष को सुनकर यह सुनिश्चित कर लेगा अन्यथा गलत वसूली की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर होगी।"

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 13 इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 14

नई धारा 12-क, 12-ख और 12-ग का बढ़ाया जाना

14--मूल अधिनियम के अध्याय 4 में, धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :--

स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने और उसका निस्तारण करने के लिये बैंक का अधिकार

"12-क--(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बैंक को किसी ऐसे भूमि या उसमें हित अथवा किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति को, जिसे कृषक ने अपने को प्रदान की गई किसी वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में बैंक को प्रभारित या बन्धकित किया हो, स्वयं अर्जित करने का अधिकार होगा।

(2) जहां कोई बैंक उपधारा (1) के अधीन कोई भूमि या उसमें हित अथवा कोई अन्य स्थावर सम्पत्ति अर्जित करता है तो वह, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उतने समय के भीतर जो विहित किया जायगा, किसी कृषक के पक्ष में ऐसी भूमि, उसमें हित या सम्पत्ति का विक्रय द्वारा निस्तारण करेगा।

विधिक प्रतिनिधियों से देयों की वसूली

12–ख––(1) जहां कृषक को प्रदत्त की गई वित्तीय सहायता से सम्बन्धित देयों के पूर्णतः चुकाये जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो धारा 10–क में अभिदिष्ट बैंक या तहसीलदार या धारा 11 में अभिदिष्ट विहित प्राधिकारी या धारा 11–क में अभिदिष्ट कलेक्टर देयों की वसूली के लिये कृषक के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा ।

(2) जहां ऐसे विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध वसूली के लिये कार्यवाहियां की जायें तो वे मृतक की केवल उस सम्पत्ति तक जो उन्हें प्राप्त हुई हो और जिसका सम्यकरूप से निस्तारण न किया गया हो, दायी होंगे और ऐसे दायित्व को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, तहसीलदार, विहित प्राधिकारी या कलेक्टर, स्वयं या बैंक के आवेदन पर ऐसे विधिक प्रतिनिधियों को ऐसा लेखा प्रस्तुत करने के लिये, जिसे वह उचित समझे, बाध्य कर सकता है ।

प्रतिभूओं से देयों की वसूली

12––ग––कृषक और उसके विधिक प्रतिनिधियों से देयों की वसूली से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी प्रतिभू से, जिसने किसी कृषक के व्यतिक्रम करने की दशा में उसके दायित्व का निर्वहन करने अथवा किसी वचन का पालन करने के लिये सत्याभूति की कोई संविदा की हो, और ऐसे प्रतिभू के विधिक प्रतिनिधियों, से ऐसे देयों की वसूली पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

श्री सत्य प्रकाश––

इसका विरोध तो प्रस्तुत किया गया है और मंत्री महोदय भी इस बात से सहमत होंगे कि किसान जो कर्जा लेता है तो सारे का सारा बन्धक रखकर ही पाता है। फिर भी उसके बाद सभी लोगों को उसमें घेरना उचित नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं, यह अनावश्यक है, इसको निकाल दिया जाए।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

माननीय सदस्य तो बैंकिंग पद्धति को अच्छी तरह जानते हैं और शायद उनका बैंकों में एकाउन्ट भी होगा। तो उस धन को सुनिश्चित बनाए रखने के लिये यह किया गया है।

श्री देवबहादुर सिंह––

मैं आपकी आज्ञा से खंड 14 में संशोधन प्रस्तुत करता हूं। खंड 14 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की नई धारा 12–क (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द "ऐसे भूमि" के स्थान पर शब्द "ऐसी भूमि" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड 14 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की नई धारा 12–क (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द "ऐसे भूमि" के स्थान पर शब्द "ऐसी भूमि" रख दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देवबहादुर सिंह--

मैं आपकी आज्ञा से खंड 14 में फिर एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं। खंड 14 द्वारा बढ़ाई जाने वाली मूल अधिनियम की नई धारा 12-क में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उसको (अर्थात् के बाद का अंश) भी पढ़ दें, अगर हो।

श्री अध्यक्ष--

यों भी हो सकता है और हो तो उसको भी रखें।

श्री देवबहादुर सिंह--

"(3) यदि बैंक की उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसकी बिक्री होने तक, जैसा कि उपधारा (2) में इंगित है, पट्टे पर देना है, तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी, और पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, उस सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।"

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 14 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की नयी धारा 12-क में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

"(3) यदि बैंक की उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसकी बिक्री होने तक, जैसा कि उपधारा (2) में इंगित है, पट्टे पर देना है, तो पट्टे की अवधि एक बार मे एक वर्ष से अधिक न होगी, और पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, उस सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देवबहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से खंड 14 में एक और संशोधन प्रस्तुत करता हूं। खंड 14 द्वारा बढ़ाई जाने वाली मूल अधिनियम की नयी धारा 12-ख (1) की द्वितीय पंक्ति में अंक एवं अक्षर "10-क" के स्थान पर अंक एवं अक्षर "10-ख" रख दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्वीकार।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 14 द्वारा बढ़ाई जाने वाली मूल अधिनियम की नयी धारा 12-ख (1) की द्वितीय पंक्ति में अंक एवं अक्षर "10-क" के स्थान पर अंक एवं अक्षर "10-ख" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से खंड 14 में एक और संशोधन प्रस्तुत करता हूं। खंड 14 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली नयी धारा 12-ख (2) की तीसरी पंक्ति में शब्द "दायी" के स्थान पर शब्द "उत्तरदायी" रख दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्वीकार।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 14 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली नयी धारा 12-ख (2) की तीसरी पंक्ति में शब्द "दायी" के स्थान पर शब्द "उत्तरदायी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 14 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 15 से 18

15--मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् :--

नई धारा 13-क और 13-ख का बढ़ाया जाना

"13-क--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी बैंक का किसी सहकारी समिति का सदस्य बनना विधिपूर्ण होगा।

बैंक किसी सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिये पात्र होगा

13-ख--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 60 की कोई बात किसी सहकारी समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बैंक से उधार लेने के लिये वर्जित न करेगी।"

बैंक से उधार लेने के लिये सहकारी समितियों की शक्ति

16--मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

धारा 15 का संशोधन

"स्पष्टीकरण--किसी सहकारी समिति को दी गई द्वितीय सहायता के सम्बन्ध में उससे अपने देयों की वसूली के लिये किसी बैंक द्वारा किया गया दावा विवाद समझा जायगा जिसे इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रार को अभिदिष्ट किया जायगा।"

17--मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) में--

धारा 19 का संशोधन

(क) शब्द "यदि किसी बैंक ने" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी बैंक ने" रख दिये जायें;

(ख) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा सदस्य जो उपधारा (2) में अभिदिष्ट किन्हीं कार्यवाहियों का पक्षकार नहीं था, अपने द्वारा समिति को देय ऋण के होने के सम्बन्ध में या उसकी धनराशि के सम्बन्ध में आपत्ति करता है तो उस आपत्ति का विनिश्चय समुचित निष्पादन कार्यवाहियों में किया जायगा।"

धारा 25 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम" के पश्चात् शब्द "जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस विहित करने के कोई नियम भी हैं," बढ़ा दिये जायें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 15, 16, 17 और 18 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 19

अनुसूची का प्रतिस्थापन

19—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात् :—

"अनुसूची"

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 6 (1) के अधीन घोषणा

चूंकि, मैं————————————(आयु————वर्ष)————————आत्मज————————निवासी————————————जिला————————,————————————बैंक (————————————————शाखा) से वित्तीय सहायता के रूप में————————————रुपये (————————————————रुपये) की धनराशि प्राप्त करने का इच्छुक हूं ;

और, चूंकि, उपर्युक्त बैंक————————के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता के रूप में मुझे उपर्युक्त धनराशि देने को रजामन्द हैं ;

अतएव, मैं, उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 6(1) के अधीन यह घोषणा करता हूं और स्वयं को तथा अपने वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करता हूं, अर्थात् :—

(1) मैं, उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2 (ख) द्वारा यथा-परिभाषित कृषक हूं।

(2) मैं नीचे निर्दिष्ट भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति का भूमिधर/सीरदार/आसामी/सरकारी पट्टेदार/स्वामी हूं अथवा मेरा नीचे निर्दिष्ट भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति में निम्नलिखित हित है—

(3) मैं उपर्युक्त बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये उस बैंक के पक्ष में उक्त भूमि या उसमें हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति पर एतद्द्वारा प्रभार सृजित करता हूं।

(4) मैं, वित्तीय सहायता की धनराशि का प्रतिसंदाय बैंक को. . . . . प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित निम्नलिखित रीति से करूंगा————————

(5) यदि मैं ऊपर वर्णित रीति से भुगतान करने में असमर्थ रहता हूं तो प्रभारित सपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और मैं बैंक के व्यय तथा अन्य परिव्यय और खर्चों का देनदार होऊंगा।

(6) मैं वित्तीय सहायता की धनराशि केवल इसके पूर्व उल्लिखित प्रयोजनों के ही लिये व्यय करूंगा और उपयोग में लाऊंगा।

(7) इस घोषणा की अन्तर्वस्तुएं मेरी निजी जानकारी में सत्य है और इसका कोई भी भाग मिथ्या या गलत नहीं है।"

बैंक के पक्ष में प्रभारित भूमि या उसमें हित अथवा अन्य स्थावर सम्पत्ति का वर्णन

गांव का नाम	परगना तथा तहसील का नाम	जिले का नाम	सर्वेक्षण संख्या नगर सर्वेक्षण संख्या		सीमायें		क्षेत्रफल
			गाटा (प्लाट) संख्या	गाटा हिस्सा	दक्षिण पूर्व	उत्तर पश्चिम	हेक्टर

कर निर्धारण ——— रुपया पैसा

लगभग मूल्य

विल्लंगम ——— प्रकार धनराशि

अभ्युक्ति यदि कोई हो

इसके साक्ष्य में, मैं, श्री————————————आज————————————वर्ष एक हजार नौ सौ————————————मैं————————————के————————————दिन————————————

हस्ताक्षर करता हूं।

साक्षी

निम्नलिखित की उपस्थिति में उपरिनामांकित द्वारा हस्ताक्षरित तथा परिदत्त—

(1) ————————————

(2) ————————————

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

समादर सहित उप रजिस्ट्रार को घोषणा के अधीन सृजित प्रभार————————————के ब्योरों को अपने कार्यालय में अभिलिखित करने के लिये अग्रसारित।

प्रबन्धक/एजेन्ट

————————————बैंक————————————

————————————स्थान————————————

समादर सहित प्रबन्धक/एजेन्ट————————————बैंक————————————को वापिस घोषणा के अधीन सृजित प्रभार को यथाविधि दाखिल कर लिया गया है।

उप रजिस्ट्रार"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से खंड 19 में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं—

खंड 19 द्वारा प्रस्तावित प्रतिस्थापित नयी अनुसूची के प्रस्तर (5) में शब्द "और खर्चों का देनदार होऊंगा" के स्थान पर शब्द "और खर्चों का और उस व्यय का, यदि कोई हो, तो बैंक को देय धनराशि की वसूली के लिये करना पड़े, देनदार होऊंगा" रख दिये जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वीकार।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 19 द्वारा प्रस्तावित प्रतिस्थापित नई अनुसूची के प्रस्तर (5) में शब्द "और खर्चों का देनदार होऊंगा" के स्थान पर शब्द "और खर्चों का और उस व्यय का, यदि कोई हो, तो बैंक को देय धनराशि की वसूली के लिये करना पड़े, देनदार होऊंगा" रख दिये जायं।

"तो" होना चाहिये या "जो" होना चाहिये ? यह देख लिया जायगा। शाब्दिक है।

शब्द "और खर्चों का और उस व्यय का, यदि कोई हो, तो बैंक को देय धनराशि की वसूली के लिये करना पड़े, देनदार होऊंगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 19 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 20 व 21

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 की धारा 3 का संशोधन

20—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960, जिसे आगे अधिकतम सीमा अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, खंड (1) निकाल दिया जाय।

धारा 5 का संशोधन

21—अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(घ) उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कोई बैंक या कोई सहकारी बैंक या कोई सहकारी भूमि विकास बैंक।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 20 और खंड 21 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड 22

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव करता हूं कि :--

खंड 21 के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड 22 बढ़ा दिया जाय--

"22--(1) उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

निरसन तथा अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या अधिकतम सीमा अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम और अधिकतम सीमा अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गयी बात या किया गया कार्य समझा जायेगा मानों यह अधिनियम दिनांक 25 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हो गया हो।"

श्री नारायण दत्त तिवारी--

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 21 के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय--

"22--(1) उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

निरसन तथा अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या अधिकतम सीमा अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम और अधिकतम सीमा अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायेगा मानों यह अधिनियम दिनांक 25 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हो गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि नया खंड 22 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावना रख दी जाय :

"भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।"

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावना रख दी जाय—

"भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बजट साहित्य न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मुहम्मद अमरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, आपके कमरे में और सदन में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो संसदीय मंत्री भी हैं और मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बजट के सम्बन्ध में जो लिटरेचर होगा वह जनरल डिसकशन से पहले दिलाया जायेगा। वह समय बीत गया और आज सिंचाई के अनुदान हैं और इस सम्बन्ध में जो विभाग की रिपोर्ट वह आज ही सुबह मिली है। किसी और विभाग की रिपोर्ट आज तक नहीं मिली जिसे हम सामान्य चर्चा में प्रयोग में ला सकें। आपको क्या कठिनाई है, जब बजट पर चर्चा हो रही है और कहने से मंत्रिगण नहीं मानते हैं तो हाउस कैसे चलेगा। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि जब तक तमाम लिटरेचर न मिल जाये और देने का वायदा भी किया गया है तो ऐसी दशा में हमारे पास और चारा नहीं रहेगा कि हम सदन की कार्यवाही को न चलने दें। हम क्या चर्चा कर सकेंगे जब हमारे पास कोई चीज ही नहीं है आप तमाम अपोजीशन को निकाल दें और बजट पास हो जाये।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

यह बारबार कहा जाता है कि कमरे में बात हुई ।

श्री अध्यक्ष--

आपसे क्या मतलब है ?

श्री मोहम्मद शकील अहमद--

व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का नहीं है । उन्होंने उठाया है ।

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले. . . .

श्री अध्यक्ष--

नहीं । माननीय असरार अहमद का यह एतराज है कि आपके विभाग से सम्बन्धित जो साहित्य उपलब्ध करने की प्रार्थना की थी उसके अनुरूप आपने उनको साहित्य उपलब्ध नहीं किया ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इसका मुझे अफसोस है । यह हमने बहुत पहले भेजा था, लेकिन इलाहाबाद से आने में देरी हो गयी, इसलिये देर से बंटा है, लेकिन आज सुबह बंट गया है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

यह बजट फरवरी में पास हो जाता तो क्या होता ? यह चीजें तो पहले से छापी जानी चाहिये थीं । वोट आन एकाउन्ट न होता तब कैसे उपलब्ध होता ? यह ऐसी बात है कि हमारे साथ अन्याय होता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप की आपत्ति है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

वास्तव में मुझे खेद है कि यह रिपोर्टों के छपने में देरी हुई । मैं जाकर गवर्नमेंट प्रेस से कहूंगा कि जितनी ऐसी रिपोर्ट्स हैं तुरन्त सारा काम रोक कर छपाये । मैं पूर्णतः सहमत हूं कि समय से उपलब्ध होनी चाहिये ।

विविध विषय

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, 301 नियम में जो सवाल उठाया था जिसके कागजात मैंने वहां पर दे दिए थे वह आ गये हैं और मैं हाउस में था नहीं मुझे मालूम हुआ कि आ गया है । उस सम्बन्ध में बहुत सी बातें हैं ।

श्री अध्यक्ष--

परसों ।

श्री मधुकर दिघे--

लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल हमारे ऊपर जो जनसंघ के माननीय सदस्य राजा कृष्णपाल सिंह ने लांछन लगाया। किसी को यह कह देना कि नियम और कानून का पालन नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसको आप सोमवार को उठावें।

श्री मधुकर दिघे---

इस सदन की गरिमा प्रजातंत्र और नियम व कानून के पालन के सम्बन्ध में राजा साहब को जितनी दिलचस्पी है, उतनी नहीं तो उनसे कम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आपने इस बारे में कुछ लिखकर नहीं दिया है। आप लिखकर देंगें तब हम इसको सुनेंगे।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी हमेशा आज्ञा का पालन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मौका मिलेगा।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, हमको यह मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आपका शिष्ट व्यवहार रहना अच्छा है। यह हमारे लिए कोई कृतज्ञता का प्रश्न नहीं है। यह आपकी कीर्ति में चार चांद लगायेगा। जिसको आपने लिख कर दिया है उसको देखूंगा। इसको भी लिखकर दें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां सदन में बार-बार यह सवाल उठाया जाता है कि जो आपके कमरे में फैसले होते हैं, उसके बारे में यह सदन नहीं जानता कि वे क्या-क्या निर्णय थे। तो मेरी प्रार्थना है कि यहां पर कोई ऐसी चीज होनी चाहिये जिससे हम सबको यह जानकारी हो जाया करे कि आपके कमरे में जो-जो बातें तय हुई हैं, वे क्या थीं। अगर यह हो जाया करे तो जो यहां पर बहुत से सवाल उठते हैं, वे न उठा करें।

श्री अध्यक्ष--

मेरे कमरे में नेताओं की बैठक हुआ करती है और कार्य मंत्रणा समिति की जिसमें आपके नेता लोग, जो उसके सदस्य हैं, भाग लेते हैं। जैसे लोगों ने आपको चुनकर यहां पर भेजा है, उसी प्रकार से आप भी उनको चुनकर भेजते हैं। यह आपके और उनके बीच का मामला है, उसमें मैं नहीं पड़ता हूं।

माननीय दिघे जी ने जो नोटिस दी है, वह, जैसा कि सचिव ने बताया, मिल गई है। दूसरी बात यह है कि बार-बार नहीं उठाना चाहिये, नियमावली के अन्तर्गत जो हो सकता है वह होगा।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

अभी आपने लिख कर कुछ नहीं दिया है। वह तो सोमवार को देखेंगे। अभी उस पर कुछ नहीं किया है।

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 57--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 82--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,20,13,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,08,64,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,46,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,74,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, पिछले साल मैंने इस सदन में यह अर्ज किया था कि हमारा प्रदेश कृषि का प्रदेश है। इसमें जरूरत इसकी है कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय। इस साल आप सब साहबान को मालूम है कि बारिश हमारे प्रदेश के एक हिस्से में इतनी हुई कि फ्लड आ गया और दूसरे हिस्से में इतनी कम हुई कि सूखा पड़ा रहा। लेकिन इसके बावजूद हमारी तीन ऐसी स्कीमें पूरी हुईं जिनकी बिना पर सिंचाई का काफी प्रबन्ध किया जा सका। इनमें से एक रामगंगा परियोजना है, दूसरी शारदा सहायक परियोजना और तीसरी गंडक नहर की योजना है। इनसे हमें बहुत बड़ी मात्रा में सिंचाई का साधन प्राप्त हुआ है। जो हमारी पुरानी नहरें थीं उनमें इस साल पानी बहुत कम रहा क्योंकि पहाड़ों पर बारिश कम हुई जिसकी वजह से गंगा और यमुना में पानी की इतनी कमी रही कि पिछले 70 साल में भी कभी पानी की इतनी कमी इन नदियों में नहीं रही। इसके बावजूद मुझे खुशी है कि हमारे महकमे के कर्मचारियों ने पूरी कोशिश की कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की जा सकती थी वह की और इन नहरों से भी पिछले साल से अधिक सिंचाई हुई है। बिजली की कमी होने की वजह से हमारे ट्यूबवेल भी पूरे नहीं चल पाये। इस सब के बावजूद

[श्री मोहम्मद महमूद अली खां]

भी खरीफ की फसल में 18 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई की गयी। इतनी सिंचाई जो अब तक प्रदेश में 68–69 में सबसे ज्यादा हुई थी उससे भी 1.62 लाख हेक्टेयर ज्यादा है।

यह भी सब सदस्यों को मालूम है कि इस साल सबसे ज्यादा दुश्वारी इसमें हुई कि पानी की आमतौर पे कमी की वजह से रजबहों और नहर की पटरियां बराबर कटती रहीं जिसकी वजह से जो पानी था वह भी आगे नहीं जा पाया। लेकिन इसके बावजूद जहां तक सिंचाई का ताल्लुक है, वह पूरे तरीके से की गयी और मुझे खुशी है कि इस साल जितनी सिंचाई हुई उसने पूरे रेकार्ड को तोड़ दिया है। यही सूरत है रबी की फसल की भी। पिछले साल रबी का 25 लाख हैक्टेयर रकबा सींचा गया था। उसकी जगह अबकी 29.2 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया जिसमें से अब तक 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबा में सिंचाई हो चुकी है और मुझे पूरी आशा है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो सकेगा। राम गंगा बांध परियोजना जून, 74 में पूरी हो गयी है और उससे भी सिंचाई हो रही है। यह बांध 126 मीटर ऊंचा है जो हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में सब से ऊंचा बांध है। रामगंगा झील में बरसात का पानी भर गया था। इस जमा किये गये पानी से लगभग 50,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सहूलियत दी गयी है। इस साल हमें उम्मीद है, इसमें बरसात का पानी भरने से 88 हजार हैक्टेयर रकबे में पानी देने में कामयाबी मिलेगी।

दूसरी खास बात इस स्कीम की यह है कि इससे 66 मेघावाट बिजली भी पैदा होगी।

शारदा सहायक परियोजना पर भी तेजी से काम हो रहा है, इस स्कीम से देश और प्रदेश का बहुत फायदा होगा और यह देश की सबसे बड़ी नहर बनने जा रही है। इसके अलावा घाघरा नदी पर बैराज भी बनाया जा रहा है। शारदा नहर पर बैराज का काम पूरा हो गया है। इससे करीब 1,76,000 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई के लिये पानी देना शुरू हो गया है। बाराबंकी, फैजाबाद और सुल्तानपुर को इससे फायदा होगा। इसके अलावा लखीमपुर और सीतापुर को भी पानी दिया गया है।

गंडक नहर के काम भी काफी हद तक पूरे हो चुके हैं। करीब 2400 किलोमीटर नहरें बनाने का काम था, इसमें से 2000 किलोमीटर नहर पूरी हो चुकी है। 71 हजार हैक्टेयर का लक्ष्य से अधिक सिंचाई का काम हो चुका है। करीब 85,500 हैक्टेयर सिंचाई हो चुकी है।

तराई और भाबर रकबे में सिंचाई की सहूलियत देने के लिये इस साल कोसी और हरिपुरा सिंचाई की स्कीमों को भी कुछ हद तक पूरा किया गया है। कोसी सिंचाई स्कीम के बैराज का काम पूरा हो गया है और बरसात से पहले इसमें फाटक लग जाने की उम्मीद है। हरिपुरा स्कीम का बांध पूरा हो गया है और नहरों के काम को जल्दी पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

राम गंगा स्कीम के तहत गंगा यमुना दोआब में नहरों के बनाने के काम को पूरा किया जायगा और इस स्कीम से 88 हजार हैक्टेयर नये रकबे को सिंचाई की सहूलियत दी जायेगी। गंडक स्कीम में नहरों के बनाने के काम के अलावा, नये नालों को बनाने और उनके चौड़ा करने का काम किया जायेगा ताकि इस रकबे में पानी के रुकने की जो शिकायत है, उसमें कमी हो।

इस वर्ष 1975–76 के लिये जो धनराशि हमें मिली है, उससे हम कोई नयी योजना शुरू नहीं कर पायेंगे और पूरी तवज्जह इस बात पर होगी कि जो भी योजनायें हमारी चल रही हैं वे सभी पूरी हो जायें। फिर भी कुछ जरूरी स्कीमों पर काम शुरू करने का इरादा है। नैनीताल जिले में जमरानी बांध पर काम शुरू होगा जिसके पूरा होनेपर नैनीताल, बरेली व रामपुर जिलों में 94,000 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी। हमीरपुर जिले में मौदहा बांध पर

काम शुरू होगा जिससे बुन्देलखंड के इलाके में 37,000 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई हो सकेगी। बहराइच और गोंडा जिलों की सिंचाई करने वाली बांयी तटीय घाघरा नहर, इलाहाबाद और मिर्जापुर में सिंचाई करने वाली मेजा बांध की क्षमता बढ़ाने की स्कीम और गंगा यमुना दोआब में खरीफ की सिंचाई में सहूलियत देने वाली मध्य गंगा नहर पर भी काम शुरू किया जायगा। शारदा सहायक योजना में घाघरा बैराज, लिंक नहर और दीगर नहरों पर काम करके 1,23,000 हेक्टर को सिंचाई की सहूलियत दी जायेगी। इन बड़ी स्कीमों के अलावा कुछ छोटी–छोटी स्कीमें भी जारी कर रहे हैं। जैसे रायबरेली और प्रतापगढ़ के जिले में सिंचाई के रकबे को बढ़ा रहे हैं और डलमऊ नहर की कैपेसिटी को बढ़ाने का इरादा है। गाजीपर में देवकली पम्प नहर का पहला चरण 76–77 में पूरा होगा लेकिन कोशिश की जा रही है कि इस साल भी वहां कुछ पानी सिंचाई के लिये दिया जा सके। इलाहाबाद में कमला नेहरू पम्प नहर से सिंचाई इसी साल हो जाने की उम्मीद है। अल्मोड़ा में राम गंगा से और नैनीताल में कोसी सिंचाई योजना पर काम शुरू कराने की कोशिश की जा रही है।

सिंचाई विभाग के ऊपर जैसा कि मैंने पिछले साल इस असेम्बली में आप से अर्ज किया था, अपनी आखिरी स्पीच में कि मैं यह मानता हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार की काफी ज्यादती है और मैंने आप सबसे यह दरख्वास्त की थी कि इस सिलसिले में आप मेरी मदद करें और मुझे मालूमात दें। सदस्यों ने मुझे इस सिलसिले में बहुत से मालूमात दिये और उन्हीं मालूमात का नतीजा हुआ कि काफी तादाद में भ्रष्टाचार के मामले हमारे सामने आये और उन पर ऐक्शन लिया गया और किये जा रहे हैं। मैं आपको वे फीगर्स बतला देना चाहता हूं– जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है या जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, उनकी तादाद क्या है। ऐसे मामले जो जांच के बाद साबित हुए, 15 आफिसरों को सजा दी गयी है। 12 आफिसरों को मुअत्तल किया गया है। 18 आफिसरों के मामलों को जांच की कार्यवाही के लिये भेज दिया है। 33 आफिसरों के खिलाफ इस वक्त जांच चल रही है। विभाग की बेहतरी के लिये समय-समय पर कर्मचारियों की योग्यता को देखने के लिये एक स्क्रीनिंग कमेटी बनायी गयी है। चुनांचे उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 3 असिस्टेंट इंजीनियरों को उनकी सर्विस पूरी होने के पहले ही रिटायर कर दिया गया है।

हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ दरियाओं के सम्बन्ध में हमारे बहुत से मामले ऐसे थे जिन पर आपस में मतभेद चल रहा था। मुझे खुशी है कि इस साल इस सिलसिले में हम काफी हद तक इस मतभेद को दूर करने में कामयाब हुए हैं। बानसागर बांध से तीनों प्रदेशों को सिंचाई के लिये पानी दिया जायेगा और उस सिलसिले में यह तय पाया है कि तीनों प्रदेश का कंट्रोल बोर्ड बना दिया जायगा। हम केन्द्रीय सरकार से प्रयास करेंगे कि जल्दी कंट्रोल बोर्ड बन जाय और उन पर तेजी के साथ काम शुरू हो सके। इन अल्फाज के साथ मैं इस बजट को पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि यह सदन उसे मंजूर करेगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)––

मान्यवर, श्री मोतीलाल देहलवी चारों अनुदानों पर कटौती के प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष––

यह तय हो गया है कि श्री मोतीलाल देहलवी कटौती के प्रस्ताव पेश करेंगे। यह तो मैं ही कह देता, आपको कहने की क्या जरूरत थी।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य–"सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा

[श्री मोती लाल देहलवी]

कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सुझाव देना।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इस कटौती प्रस्ताव के ऊपर ही।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

ये कहां से आ गये ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने अपना आदेश वापस ले लिया है।

एक सदस्य—

इन्होंने माफी मांग ली ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने माफी नहीं मांगी है भाई, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था जिसके लिये मांफी मागूं।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, उनके बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठा रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष—

पहले तो व्यवस्था का प्रश्न उनका उठा है।

श्री बांके लाल—

मान्यवर, क्या उनको सदन में आने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो वापस ले लिया है।

श्री बांके लाल—

लेकिन वह कहते हैं कि मैंने वापस नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष—

वापस लिया है तो ठीक है, नहीं तो बोलने का अधिकार नहीं है।

(शोर)

उनको बोलने का अधिकार है। मैंने अपना आदेश वापस ले लिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है, वह हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 189 (क) के अनुसार होना चाहिये। इसमें है " कि मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय"—मांग में अंतर्निहित नीति से अननुमोदन प्रकट करने के लिये ऐसा प्रस्ताव "नीति अननुमोदन कटौती" कहा जायगा। ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाले

सदस्य उस नीति का व्योरा सुतथ्यतया दर्शायेंगे जिस पर वे चर्चा करना चाहते हों। चर्चा सूचना में उल्लिखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे।

श्रीमन्, इसके अनुसार है कि 'मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय' इसके लिये है कि जो आल्टरनेटिव पालिसी हैं, तथ्य हैं ,उसका व्योरा दिया जाय। जैसे यह कहते हैं कि गंडक योजना नहीं चाहिये, या नहर को तोड़ देना चाहिये, या फलां योजना होनी चाहिये। इसके लिये तथ्यों के साथ प्रस्ताव रखना चाहिये। माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव में इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया केवल लिख दिया कि '1 रुपया घटा कर कर दी जाय।' तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कटौती के प्रस्ताव को खारिज करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद––

कटौती के प्रस्ताव 3 किस्म के होते हैं। जिसकी आलोचना करनी है, कोई आवश्यकता नहीं होती कि उसका व्योरा दिया जाय। सरकार की नीति के ऊपर व्योरे की जरूरत नहीं होती।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)––

मान्यवर, नियम तो यही है कि कटौती के प्रस्ताव के साथ व्योरा दिया जाता है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष ––

और किसी माननीय सदस्य को बोलना हो तो कहें। अब संसदीय कार्य मंत्री इस पर राय देंगे।

काशीनाथ मिश्र ने आपत्ति की है, कि नियम के अनुसार 'ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य उस नीति का व्योरा सुतथ्यतया दर्शायेंगे जिस पर वे चर्चा करना चाहते हों।'

तो माननीय असरार अहमद व माननीय त्रिवेणी ने इस पर अपनी राय दी, काशीनाथ मिश्र ने तो आपत्ति की ही है। आप इस पर अपनी राय दें।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)––

श्रीमन्, मुझे याद है कि जब मैं स्वयं कभी कटौती का प्रस्ताव रखता था तो उसका पूरा विवरण दिया करता था। लेकिन चूंकि आज इसका पहला दिन है, हो सकता है कि उनको इसका विचार न रहा हो, वह व्योरा देना चाहते हों। मान्यवर, आप अपनी रूलिंग मुकर्रर रखते हुये, अगर माननीय मोती लाल देहलवी व्योरा देना चाहते हों तो दें और लिखित रूप से व्योरा बाद में दे देंगे।

श्री अध्यक्ष––

चूंकि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, इसलिये मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र––

मान्यवर, यह तो रिकार्ड हो गया कि यह नियम के अनुसार नहीं था।

श्री बांकेलाल--

मान्यवर, इसमें बजट संबंधी आलोचनायें करेंगे और सदन के सम्मुख रखेंगे। मान्यवर, अगर विवरण देंगे तो एक पूरी पुस्तिका हो जायगी। जैसा बजट भाषण माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने दिया है वैसे ही एक किताब हो जायगी।

श्री अध्यक्ष-

यह भी ठीक कह रहे हैं, एक दृष्टि है।

माननीय बांके लाल ने कहा कि यह नीतियों के बयान का उद्देश्य नहीं है।

श्री बांके लाल--

मान्यवर, नीतियों का विवरण दिया जाय तो बजट जैसी मोटी किताब हो जायेगी। इसलिये केवल संकेत मात्र कटौती के प्रस्ताव में दिया गया है। अतः कोई आलोचना इन लोगों को नहीं करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

इस पर मैं बाद में अपनी लिखित व्यवस्था दूंगा।

*श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58-सिंचाई अधिष्ठान के संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा ठोस सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81-सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82-बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा ठोस सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आप देख चुके हैं कि माननीय सिंचाई मंत्री जो इतने लुचुर-पुचुर और ढीले किस्म के हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि हमें क्या-क्या पेश करना है। यह आप स्वयं देख रहे थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और जनता की नोटिस से संबंधित विभाग है। इसलिये अच्छा यही होता कि इस विभाग में कोई बहुत तेज मंत्री होते। नाजुक मिजाज मंत्री की इस विभाग में जरूरत नहीं है।

मान्यवर, सरकार की तरक्की के यह जो आंकड़े पेश किये जाते हैं, वह केवल मन लुभावन और जन भरवान वाले आंकड़े होते हैं। प्रश्न यह है कि इन तमाम आंकड़ों का 27 वर्ष से जो इन्होंने जमीन को पानी देने का प्रयास किया और जो धन उस पर खर्च किया उससे 27 वर्ष के बाद परिणाम क्या निकला? मान्यवर, यह किसी से छुपा नहीं है कि आज 27 वर्ष के बाद भी अपना प्रदेश और देश लभभग हर साल अकाल के मुंह की तरफ खड़ा रहता है। और यह अकाल अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों तरह के इस प्रदेश और देश में हो रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अच्छा तो यह होता कि इस सरकार से सम्पूर्ण प्रदेश की सम्पूर्ण खेतिहर जमीन के लिये एक योजना बनायी होती और उसके लिये यह तय किया होता कि 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में या 30 साल में, एक समय की सीमा बांधी होती कि इतने सालों में इस प्रदेश की सम्पूर्ण जमीन को पानी दे देंगे। किन्तु वह योजना आज तक नहीं बनी और न यह पूरे प्रदेश की पूरी जमीन को पानी अभी भी दे पाये हैं। नतीजा भुगत रहे हैं कि इस प्रदेश और देश पर इन्द्र और इन्दिरा का गुस्सा निकला करता है, प्रकोप हुआ करता है। यह कितनी विडम्बना की बात है कि हर साल जब पानी बरस जाय और इन्द्र की कृपा हो जाय तो श्रेय सब मिल जाता है इन्दिरा जी को कि बड़ी अच्छी योजना बनायी और इतनी जमीन को पानी मिल गया गौर अच्छी फसल पैदा हो गयी लेकिन जिस साल पानी नहीं बरसता उस साल सारा दोष इन्द्र पर डाल दिया जाता है कि पानी न बरसने की वजह से फसल अच्छी नहीं हो पायी। यह 27 सालों से किसानों के साथ एक खिलवाड़, एक मजाक, यह कांग्रेस सरकार करती आ रही है। आगे भी कोई इरादा अगर इनका सम्पूर्ण प्रदेश की सम्पूर्ण जमीन को पानी देने का होता तो बड़ी खुशी होती और विपक्ष के तमाम माननीय सदस्य इस बजट का स्वागत करते लेकिन आज इस बात के लिये बहुत दुख है कि आपने अभी तक इस तरफ कतई सोचा तक नहीं है कि सम्पूर्ण जमीन को पानी किस तरह से दिया जाय, इसके लिये आपने ध्यान ही नहीं दिया है। जब फसल आप पैदा नहीं करा पाते और जनता को भरपेट भोजन नहीं दे पाते तो आपका ध्यान कभी नसबन्दी की तरफ, परिवार नियोजन की तरफ जाता है। मेरे पास कल शाम को रोता हुआ एक आदमी आया। मैंने उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है तो वह शरम की वजह से बता नहीं रहा था लेकिन लिखकर एक दरख्वास्त उसने मेरे पास पेश करदी और उसमें लिखा हुआ था कि जबरन मेरी नसबन्दी करा दी गयी।

श्री अध्यक्ष--

इससे सिंचाई से क्या मतलब है ?

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं यह बता रहा हूं कि इनका ध्यान जब यह सिंचाई का प्रबन्ध न कर पाने के कारण पैदावार नहीं बढ़ा पाते तो उधर से लोगों का ध्यान हटाने के लिये मानव की पैदावार घटाने की तरफ आपका ध्यान जाता है। यह कोई कम गम्भीर बात नहीं है। आपको इस पर अफसोस करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि रोना चाहिए या नहीं। रो तो उतना ही सकते हैं जैसा किसी ने कहा है कि "रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ"। तो मान्यवर, आज दिन तक कोई योजना बनाई नहीं गयी और न बनाने की तरफ कोई ध्यान है। इनका ध्यान सिर्फ नलकूपों की तरफ गया हुआ है। आज नलकूपों की भी क्या हालत है। नलकूप बहुत खर्चीले हो गए हैं। एक समय था जब लोग कुओं से सिंचाई कर लिया करते थे और पूरा पानी उन्हें मिल जाया करता था। वह बैलों के जरिये रहट चला लेते थे और जमीन सींच लेते थे। इस कदर भुखमरी की हालत देश में नहीं होती थी जिस तरह की आज कल होती है। लेकिन इनका उस तरफ से ध्यान हट कर शोबाजी की तरफ चला गया। नलकूप बिजली से चलते हैं लेकिन बिजली की हालत यह है कि वह आंख मिचौनी किया करती है। अभी थोड़ी देर के लिए आई और फिर गायब हो गयी। नलकूप से और बिजली से बहुत गहरा ताल्लुक है।

श्री त्रिवेनी--

एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय देहलवी साहब कटौती का प्रस्ताव ले आए हैं सिंचाई पर और बोल रहे हैं फैमिली प्लानिंग पर।

श्री बांके लाल--

उनको मालूम ही नहीं कि बिजली से और नलकूपों से कोई सम्बन्ध है। वह ऐसे ही खड़े होकर एक विवाद उत्पन्न करते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, जब कुएं से सिंचाई होती थी तो वह उसका मालिक होता था और आज जब वह नलकूप पर निर्भर हो गया तो मोहताज हो गया इंजीनियर का। इन्जीनियरिंग विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मान्यवर, अव्वल तो बिजली मिलती ही नहीं। इन्जीनियर के यहां वह दौड़ा जाए और वहां खुशामद करे। उसके बाद भी जो बिजली आती है, वह आधे घंटे के लिए आई और फिर गायब। बिजली भी यह देते हैं रात में 12 बजे, 1 बजे। कड़ाके की सर्दी में भी यही समय इनका बिजली देने का है। रात-रात भर किसान खेत पर दौड़ कर जाता है और टकटकी लगाए देखा करता है कि कब बिजली आए।

दूसरी बात यह है मान्यवर, कि इन्होंने जैसी हालत पैदा कर दी है उसमें बहुत मुमकिन है कि किसान नलकूप उखड़वा दे क्योंकि जो खर्चा आ रहा है उसको किसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बिजली मिले या न मिले 15 रुपया प्रति हार्स-पावर चार्ज कर लेते हैं। यही नहीं, यूनिट बढ़ा दी जाती हैं। जहां पर श्रम करने वाले लोग हैं वहां पर मैं समझता हूं नलकूपों की कोई आवश्यकता नहीं है और नलकूप एक बहुत गम्भीर समस्या पैदा कर रहे हैं। जहां पर नलकूप की बहुतायत है, जहां पर यह माननीय मन्त्री चले जायं, वहां पर पानी गायब होता चला जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब पीने के पानी के लिए तरस जायेंगे। मैं नहीं जानता कि अन्य लोगों के यहां यह समस्या है या नहीं, लेकिन कम से कम मेरे क्षेत्र में पीने के पानी का अकाल पड़ा हुआ है और उसका प्रमुख कारण यह है कि जैसा मैंने बताया। मान्यवर, ठीक है इन्होंने नलकूपों को पानी देने के लिए पसन्द किया, लेकिन कम से कम इनको इस पर नजर रखनी चाहिए थी कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। दूरगामी परिणाम की तरफ इनकी नजर नहीं है। सबसे ज्यादा खेद और दुख की बात यह है। नतीजे के तौर पर आज किसान को उसके बुरे अन्जाम भुगतने पड़ रहे हैं। अगर पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई तो केवल यह तभी हल हो सकती है जब वहां पर पेड़ हों, दरख्त हों क्योंकि दरख्त ही नीचे के पानी को बनाये रख सकते हैं।

श्री निर्भय नरायन सिंह (जिला बलिया)--

ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य अस्वस्थ्य हैं। इससे इनका भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं कुयें के महत्व पर प्रकाश डाल रहा हूं और आपका ध्यान नलकूप पर लगा हुआ है। हो सकता है आप बड़े किसान हों। मान्यवर, इस पर इन लोगों ने नहीं सोचा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। पेड़ लगायेंगे तभी पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है, लेकिन पेड़ लगाने के लिए इनके पास जमीन नहीं है और जब यह समस्या पैदा हो जाएगी तो त्राहि-त्राहि मच जाएगी।

श्री अध्यक्ष--

पेय जल योजना सम्बन्धी विवाद अलग है। आप इस समय सिंचाई पर कहें।

श्री मोती लाल देहलवी--

नलकूपों से भी आज केवल साढ़े 32 प्रतिशत सिंचाई हो रही है। मान्यवर, इन 26 सालों में भी आप अगर देखें तो सिंचाई कामर्शियल होते हुए भी घाटे पर चल रही

है। अंग्रेजों के जमाने में यह महकमा कभी भी घाटे पर नही चला, लेकिन इस समय अगर आप देखें तो मालूम होगा कि सन् 1972-73 में ही इसमें लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और यह घाटा अब भी बना हुआ है। मान्यवर, इस प्रदेश में दूसरी समस्या बांध की है। यह लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि अमुक-अमुक बांध बन रहा है, अमुक बांध बन रहा है, और इतनी धनराशि खर्च कर दी। बांध बनवाते हैं बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि छितौनी बांध इनकी नजर के सामने हैं। छितौनी बांध में लाखों रुपया खर्च किया लेकिन उसकी समस्या आज दिन भी ज्यों-की त्यों बनी हुई है। और उस बांध पर लाखों रुपये का गोलमाल हुआ है। बांध से कोई स्थाई समाधान बाढ़ का नहीं हो सकता है। केवल कुछ समय तक के लिए ही समाधान हो पाता है। बाढ़ का स्थायी समाधान दरख्तों के लगाने से हो सकता है लेकिन दरख्त हैं नहीं। बांध बनाते हैं और नदियां अपने साथ मिट्टी ले आती हैं और जलाशय को मिटटी से भरती जाती हैं। सब बांधों की यही दशा हो रही है। इस तरह से कुछ वर्षों के बाद ये सारे बांध बेकार हो जायेंगे। लिहाजा मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि बाढ़ की समस्या के लिए वह कुछ स्थायी समाधान की व्यवस्था करें।

नलकूप भी एक बड़ी समस्या है शामिल बरहा की। किसान की फसल सूख रही है। सरकारी नलकूप बना हुआ है। कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। किसान मजबूर हो कर उनकी नाली से पानी निकाल लेता है। और बिना किसी जांच अथवा कार्यवाही के सरकार उससे पैसा वसूल कर लेती है, यह अभियोग लगाकर कि सरकारी नाली से पानी लिया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र––

नीति विषयक बात कहिए।

श्री अध्यक्ष––

आपका काम बिलकुल हलका कर रहे हैं, न नलकूप लगें और न बांध बने।

श्री मोती लाल देहलवी––

आपकी नीति नलकूप लगाने की नहीं, लूप लगाने की है। यह नीति विषयक नहीं है। आपकी समझ में न आए तो क्या किया जाय। किसान अपने नलकूप का पानी अपने खेत में ले जाता है और सरकारी नलकूप का पानी इस्तेमाल नहीं कर रहा है लेकिन उस पर सरकारी पैसा चार्ज करना कितना अनुचित और अन्यायसंगत है। यह किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वह अपने खेत पर डर की वजह से अपने नलकूप से पानी नहीं ले जा पाता रहा है और सरकारी नलकूप से पानी लेने का जो उस पर अभियोग लगाया जाता है उसके लिए पहले कुछ जांच की व्यवस्था होनी चाहिए और बिना जांच के उससे आपको पैसा नहीं वसूल करना चाहिए। यह किसान पर बहुत अनुचित मार पैसे की पड़ती है। यह भी बदकिस्मती है कि 27 साल के बाद भी इस सरकार का इंजीनियर अभी तक यह नहीं जानता कि नहर का पानी किसान को कब तक देना चाहिए और कब बन्द कर देना चाहिए और कब उसकी सफाई करनी चाहिए। माननीय चौधरी साहब के पास जब वह विभाग था तो उन्होंने एक आदेश लागू किया था कि 5 नवम्बर से 15 नवम्बर तक नहरों का, बम्बों का पानी बन्द होना चाहिए और उनकी सफाई करानी चाहिए। लेकिन उनके विभाग से हटते ही सब समाप्त हो गया।

मान्यवर, आज हो यह रहा है कि जब फसल को पानी की जरूरत होती है तब नहर और बम्बों में पानी नहीं आता। इजीनियर लोगों से किसान और विधायक खुशामद करते रहते

[श्री मोती लाल देहलवी]

हैं लेकिन पानी नहीं मिल पाता है और पानी के बगैर फसल सूखा करती हैं। जब किसान को पानी की जरूरत नहीं होती है तो अमूमन पानी नहर और बम्बों में बहता रहता है। यह कितनी दुख की बात है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह एक अच्छा सुझाव है कि इस तरह के आदेश मन्त्री जी जारी करें कि जब पानी की जरूरत हो, उस समय नहर और बम्बों में पानी मिले और जब पानी की जरूरत न हो उस समय उनकी सफाई होनी चाहिये बम्बों का पानी बन्द करके . . . .

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यही किया गया है।

श्री मोती लाल देहलवी--

देख तो 27 साल से रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा है। मान्यवर, इस नहर और बम्बे के मामले में एक समस्या यह भी है कि एक जमाना था जब कि इस विभाग के इंजीनियर लोग नहर कोठी पर घोड़े पर चढ़कर जाते थे और किसानों की समस्याओं को सुनते थे जिससे किसानों को बड़ी सहूलियत होती थी। लगाम पकड़ कर किसान अपने खेत पर उन्हें ले जाता था और तब वह देखता था कि उन्हें क्या परेशानी है। लेकिन 27 साल के बाद यह हालत हो गई है कि इन्जीनियर साहब टी०ए०, डी० ए० तो बना लेते हैं, मोटर-कार से गए, कुछ घन्टा रुके और शहर वापस लौट आए। वहां पर रुकने का कष्ट ही नहीं करते। अगर रुकें तो किसान अपना दुखदर्द, अपनी परेशानी उनको बताकर उनका समाधान निकालने की कोशिश करते। साथ ही यह इंजीनियर और विभाग दोनों के लिए सहूलियत की बात होती। आज इंजीनियर साहब को यह पता नहीं है कि कहां पर कुलाबा लगाने की जरूरत है और कहां पर नहीं है, इसका कोई ज्ञान उन्हें नहीं है। वह किसी खेत पर जाने की जरूरत ही नहीं समझता और न वह इस जरूरत को ही महसूस करता है। तो मान्यवर, ज्यादा अच्छा हो, यदि मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें। इंजीनियर लोग नहर कोठी पर रुकें और किसान को किसान के नौकर की हैसियत से सुनें मालिक और अफसर की हैसियत से वे उन्हें न देखें। एक जमाना था जब किसान आसानी से अपनी तकलीफें बता दिया करता था।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

आपने जो घोड़े की तजवीज रखी है, वह मंजूर हो चुकी है और सबको आदेश भेजे जा रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

अभी मन्त्री जी ने एक शुभ-सूचना दी है . . . . .

श्री अध्यक्ष--

अभी केवल आपको ही दी है, आपसे गुफ्तगू है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह बड़े दुख की बात है कि आज जनता भ्रष्टाचार से पीड़ित है। जैसे हम लोग कहा करते थे भ्रष्टाचार की जड़ राजनीतिक लोगों में है। वह कुछ ऊंचाई से है जो दिल्ली से शुरू होती है। मान्यवर, हमारा विश्वास है, अगर वह शुद्ध हों, पवित्र हों, तो मान्यवर विभाग में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है और यही कारण है कि सिंचाई विभाग में बहुत जोर से भ्रष्टाचार है, बहुत व्यापक भ्रष्टाचार है। मैं किसी बुरी नियत से माननीय मन्त्री जी को नहीं कह रहा हूं मैं उन्हे एक शुभचिंतक के नाते सलाह देना चाहता हूं। हमारी जानकारी में है कि मन्त्री जी के यहां एक रेलवे का कोई क्लर्क है, जो वहां रहते हैं और वह मन्त्री जी के कामों में बड़ी मदद करते हैं, हर प्रकार के कामों में

मदद करते हैं। अच्छा होगा कि मैं यह कहूंगा कि सार्वजनिक जीवन बहुत शुद्ध और साफ होना चाहिए। अगर इसमें वह सुधार कर लें तो मान्यवर, बहुत मुमकिन है कि उनके विभाग में आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाय।

मान्यवर, जब घर के मुखिया में कोई दोष होता है तो स्वाभाविक है कि परिवार के दूसरे लोगों में वह आ ही जाते हैं। यही हाल इस विभाग में है। मान्यवर, जिस तरह से कहें कि हवा दिखलाइये, जैसा मन्त्री जी भी कह रहे हैं कि हमारी मदद करें भ्रष्टाचार के मामले में, मुझसे तो वह बहुत बुजुर्ग हैं, तो वह ठीक वही बात कह रहे हैं जैसे कि कहा जाता है कि हवा दिखाइए। तो हवा को कहां से दिखाया जाय। मान्यवर, जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता है ठीक उसी तरह से भ्रष्टाचार को देखा नहीं जा सकता है, उसकी अनुभूति, उसका अनुभव मन्त्री जी को भी है और अन्य सभी लोगों को भी है, प्रदेश के सम्पूर्ण निवासियों को भी है।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि जब मुखिया सख्त होता है, जब हैड सख्त होता है तो उसके नीचे के छोटे लोगों को गलत काम करने की हिम्मत नहीं होती है। इसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि मान्यवर, अगर किसी भ्रष्ट आदमी को, किसी भ्रष्ट आफिसर को किसी इल्जाम में पकड़ा गया हो तो उसको दन्ड देने के बजाय इनाम दे दिया जाय तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए यही अवगुण हुआ करते हैं। आज यही इस विभाग में हो रहा है, । नतीजा यह हो रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दूसरे लोगों को भी हिम्मत हो रही है। जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहते हैं, वह हतोत्साहित होते हैं, वह देखा करते हैं कि ईमानदारी को कोई महत्व नहीं है और बेईमानी की कीमत है तो फिर बेईमानी प्रोत्साहित होती है और ईमानदारी हतोत्साहित होती है। आज इस विभाग में भी वही हो रहा है। इस विभाग में जो मुख्य अभियन्ता है, पहले कभी गन्डक परियोजना में वह अधिशासी अभियन्ता थे और इनके दो सहायक अभियन्ता थे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने धन का गोलमाल किया। शिकायत पर उक्त दो सहायकों को वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया था।

मान्यवर, आजकल जो मुख्य अभियन्ता हैं, उनके विरुद्ध विजिलेंस में इन्क्वायरी हुई थी। मान्यवर, अगर कोई व्यक्ति किसी हीनियस क्राईम में, कोई चोरी, डकैती में पकड़ा जाता है पुलिस उसको जेल भेज देती है। यह जानते हुए कि यह अभियुक्त सही है, अदालत में कभी-कभी सन्देह का लाभ पाकर वह बरी हो जाता है। लेकिन होता यह है कि उसकी यह हिस्ट्री-शीट खुल जाती है, उसकी निगरानी होती है। लेकिन आज कल इनके यहां ऐसा नहीं होता है। मुख्य अभियन्ता के खिलाफ विजीलेंस में मामला गया, बजाए उनको दन्ड देने के हुआ क्या? उन्हें इनाम मिल गया और यह यमुना परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता बना दिए गए। न कोई निगरानी हुई और न कोई कैरेक्टर रोल में बैड एन्ट्री हुई। कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए कोई मामला नहीं मिला, तो सन्देह का लाभ पाकर बरी हो जाता है, तो भी कम से कम यह इनाम तो नहीं देना चाहिए था। जो लोग इस मामले को जानते हैं, विभाग के अन्य अफसरों पर इनका क्या असर पड़ेगा, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। यह सब काम कैसे होते हैं। कोई अफसर गलत काम में पाया गया और दन्ड पाने के बजाए उसको ईनाम मिल जाता है। कोई न कोई कारण होता है, चाहे बड़ी-बड़ी सिफारिश का कारण हो या अन्य कोई कारण हो लेकिन इतना साफ है कि इस तरह के अफसर अपने विभाग में लाखों रुपये का धन कमाते हैं और उनके अन्दर धन की महान शक्ति होती है। यह तो गजब की ताकत है, यह आप और हम सभी लोग जानते हैं। आप इस विधान सभा में भी इसे बहुत दिनों से देख रहे हैं और आप जानते हैं कि विधायक किस तरह से खरीद लिए जाते हैं। अफसर तो अफसर विधायकों की भी खरीदारी हो जाती है, तो बहुत बड़ी ताकत धन की होती है। मैं नहीं

कह सकता इसमें क्या कारण है, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि यह बहुत आपत्तिजनक है और बहुत शोचनीय है।

श्री अध्यक्ष--

विधायक कैसे खरीदे जाते हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी-

यशपाल कपूर तो आए थे। उनकी चर्चा भी यहां हुई थी।

श्री अध्यक्ष--

क्या यहां के विधायकों के बारे में आप कह रहे हैं या कहीं और की बात है ?

श्री निर्भय नरायन सिंह--

जो कहा गया है, इस पर मुझे आपत्ति है। इसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

इनकी बात बहुत ही अनुचित है, आप इसे देखें। यह नाम बताएं।

श्री मोती लाल देहलवी--

यह मैंने प्रासंगिक बात कही है, यह बहुत बार कही गई है और जाने कितने बार इसी सदन में कही गई है।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)--

बात देहलवी जी की ठीक है। अब भी कहता हूं और अन्य लोग भी कहते हैं। मैं उनके नाम दे सकता हूं। मेरे पास पूरी ऐसे लोगों की लिस्ट है जो खरीदे गए हैं। मैं उनके नाम देने को तैयार हूं। मैं उन सबके नाम जानता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष--

वैसे हो सकता है कि उनको जानकारी हो।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, आज सिंचाई के अनुदान पर बहस हो रही है, किन्तु....

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री दीप नारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)--

मेरा प्रीविलेज का प्रश्न मोती लाल देहलवी, विधायक के खिलाफ बनता है। यही चीज जब ओम प्रकाश जी ने कही थी तो उनके खिलाफ प्रीविलेज का नोटिस आपने स्वीकार किया था। इसलिए इनके खिलाफ भी एक प्रीविलेज का नोटिस लाया जाए। मैं नोटिस दे रहा हूं, इसे स्वीकार किया जाए।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल--

बड़े-बड़े विद्वानों का मत है कि प्रजातांत्रिक पद्धति में पार्लियामेंट के मेम्बर और असेम्बली के जो मेम्बर हैं, इन्हीं के द्वारा शासन संचालित होता है। यह सब से सुप्रीम बाडी है। अगर पार्लियामेंट के मेम्बर और असेम्बली के मेम्बर भ्रष्ट हो गए तो इसके मानी है कि पूरा देश भ्रष्ट हो गया। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं कि किसी व्यक्ति का नाम सदन में लेकर

भ्रष्ट कहा जाय, यह अच्छी बात नहीं है और यह भी बात अच्छी नहीं है कि सभी एम० एल० ए० भ्रष्ट हैं। यह भी कहना ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपने दल के माननीय मोती लाल देहलवी जी से निवेदन करूंगा कि वह कटौती के प्रस्ताव पर अपना विवेकपूर्ण विचार रखें और जो आलोचनायें होती हैं उसे ढंग से आलोचना करें। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर सदन में यह कहना . . . . .

श्री मोती लाल देहलवी––

नाम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष––

अगर नाम लिया होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। माननीय बांके लाल जी ने बहुत सुन्दर बात कही है।

श्री दीप नारायण पाण्डेय––

मैं आपको नोटिस दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष––

वह यहां नहीं उठाया जाता है। लिख कर दीजिएगा।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)––

अध्यक्ष महोदय, नाम न लेने का मकसद होगा कि जितने विधायक हैं सब बेईमान हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)––

मान्यवर, कोई आदमी आलोचना की बात तो कह सकता है। वह किसी का नाम न ले। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार।

श्री अध्यक्ष––

जो आक्षेप की बात है उसको निकाल देंगे। या जब आप देंगे तब देखा जायगा।

श्री मोती लाल देहलवी––

मान्यवर, इसी तरह से बनारस में . . . .

श्री अध्यक्ष––

आप कितना समय लेंगे ?

(श्री गंगा प्रसाद ने माइक्रोफोन के बिना कुछ कहा जो सुनायी नहीं पड़ा।)

श्री मोती लाल देहलवी––

इसी तरह से बनारस में एक अधीक्षण अभियन्ता थे जो अब रिटायर हो गए। वह रिटायर होने के बाद इसी महानगर में एक सिनेमा बनवा रहे हैं। मान्यवर, उनके विरुद्ध शिकायत थी कि इन्होंने 95 लाख रुपये के सप्लाई आर्डर से धन कमाया और आज इनका सिनेमा महानगर में बन रहा है। मान्यवर, जाहिर है, कोई अधीक्षण अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता अपनी तनख्वाह से इतना धन नहीं बचा सकता है कि वह सिनेमा बनवा सके। मान्यवर, आप जानते हैं कि कितना धन सिनेमा में लगता है। उनको बड़े सम्मान के साथ रिटायर कर दिया गया।

[श्री मोती लाल देहलवी--]

मान्यवर, इस विभाग में पदोन्नति के कोई नियम, कायदे नहीं बने हुए हैं। बिल्कुल मनमानी चल रही है जब जिसको चाहा पदोन्नत कर दिया, जब जिसको चाहा तब पदावनति कर दिया। इस तरह के मामले प्रकाश में आए हैं। एक अधीक्षण अभियन्ता को रिवर्ट किया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उनको रिइन्स्टेट कर दिया गया। यह बहुत बड़े कलाकार मालूम होते हैं। रात को 11-12 बजे तक अपने दफ्तर में बैठते हैं। अपने दरवाजों के सूराखों को मोमबती से ढंकवा दिया है। खुदा जानें वहां वह क्या करते हैं। लेकिन यह मानी हुई बात है कि जितने गलत और बुरे काम होते हैं वह अन्धेरे में ही किए जाते हैं। यह अपने घर पर 4-4 चपरासी रखे हुए हैं चौका बर्तन तथा अन्य घरेलू काम के लिए, जब कि यह सरकारी आदेश है कि चपरासियों से कोई भी घर का काम नहीं ले सकता। एक चपरासी ने चौका बर्तन करने से इन्कार कर दिया तो उसका तबादला कर दिया। उसने मन्त्री जी को दरख्वास्त दी है कि मुझे परेशान किया जा रहा है इसलिए कि मैंने उनका चौका बर्तन करने से इन्कार किया। जब सरकारी नियम है कि कोई चपरासी किसी के घर पर काम नहीं करेगा तो जब चपरासी ने मन्त्री जी को दरख्वास्त दी है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मान्यवर, रामगंगा परियोजना का बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है। 15 साल से यह योजना चल रही है। इसके प्रारम्भ में जितना धन रखा गया था, उससे तिगुना धन इस पर खर्च हो चुका है। लेकिन यह योजना अभी तक पूरी नहीं हुई। अब मैं भ्रष्टाचार के बारे में बता दूं और उनको भी जानकारी होगी। हमें बड़ा अफसोस है कि भ्रष्टाचार को वह पकड़ना चाहते हैं और हम सबका सहयोग भी चाहते हैं लेकिन वह यह नहीं बताना चाहते हैं कि उनके विभाग में कहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश है।

(इस समय 1 बजकर 19 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री माता प्रसाद पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री मोती लाल देहलवी--

जितना समय आप हमें खुशी से देंगे, हम बोलते जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय तो समाप्त हो गया। लेकिन 5 मिनट में आप समाप्त कर दीजिए।

श्री मोती लाल देहलवी--

मन्त्री जी को अपने विभाग की जानकारी होनी चाहिये अगर वह सही माने में भ्रष्टाचार दूर करने की इच्छा रखते हैं तो सब से पहले यह जानकारी करनी चाहिये कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार की कहां गुंजाइश है। ट्रान्सफर के मामले में भ्रष्टाचार होता है। जिस जगह पर ज्यादा धन कमाने की गुंजाइश होती है वहां के लिए लोग पैसा देकर ट्रान्सफर कराते हैं। दूसरे जो सामान खरीदा जाता है, उसमें गुंजाइश रहती है। आज भी करोड़ों रुपयों का सामान सिंचाई विभाग में बेकार पड़ा हुआ है। और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। भविष्य में होगा या नहीं होगा, माननीय मन्त्री जी को इस ओर देखना चाहिए। मैं एक उपयोगी सुझाव दे रहा हूं अगर मन्त्री जी को पसन्द आए। अभी तक मान्यवर, सिंचाई विभाग में 2 तरह की मशीनें और सामान खरीदे जाते हैं। एक तो छोटी किस्म की मशीनें और एक बड़ी किस्म की मशीनें। इनकी खरीदारी मान्यवर, हर डिवीजन से और हर सर्किल में होती है और वही इनका रख-रखाव करता है।

मान्यवर, खरीदारी सिंचाई वर्क शाप से होती है। सिंचाई वर्क शाप में जो सामान नहीं मिलता है उस सामान को खरीदने की व्यवस्था इक्विपमेंट सर्किल टेन्डर वगैरह से करता है। मान्यवर, हमारा सुझाव है और इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा, काम अधिक होगा। अभी हालत यह है कि किसी जगह पर कोई सामान की जरूरत है, काम बन्द पड़ा हुआ है वह पुरजा या सामान नहीं मिल रहा है इसलिए काम बन्द है, सिंचाई नहीं हो रही है। अभी तक यह चल रहा है, मान्यवर। हालत यह है कि किसी सर्किल में सामान जरूरत से ज्यादा पड़ा हुआ है और एक तरफ वहां कमी होने के कारण काम बन्द है और किसान परेशानी उठा रहा है। नलकूप नहीं चल रहे हैं। मेरा उपयोगी सुझाव है कि अच्छा होगा कि एक कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स बना दिया जाए और उसका काम यह रहेगा। काम की सुविधा होगी और ज्यादा काम होगा और जिम्मेदारी के साथ काम होगा। सारा सामान वही कन्ट्रोलर खरीदेगा और उचित रेट पर खरीदेगा, भ्रष्टाचार की गुन्जाइश कम होगी। सामान खराब होगा या चोरी जायेगा तो उनकी जिम्मेदारी होगी। अभी मान्यवर, यह व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, इसी तरह का कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स हाईडिल में भी बना हुआ है। हाईडिल में जब इसी तरह की शिकायतें हुई तो यह बना। रेलवे में भी कन्ट्रोलर आफ स्टोर्स है। इसी तरह से दूसरा मेरा सुझाव है कि बड़ी मशीनों के लिए सेन्ट्रल मैकेनिकल यूनिट यानी केन्द्रीय यांत्रिक संस्थान की स्थापना की जाए। तो इस तरह से यह सब अफसर देख सकेंगे और मरम्मत वगैरह में मितव्ययिता होगी। जहां जरूरत पड़ेगी सामान तुरन्त पहुंचेगा। काम का नुकसान नहीं होगा और कार्य-क्षमता बढ़ेगी, किसान को लाभ होगा। इसलिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको उपयोगी समझ कर कार्यान्वित करने का कष्ट करें। मान्यवर, मुझे बोलने को बहुत रह गया है। मैं तो कुछ भी नहीं बोला।

श्री अधिष्ठाता—

कुछ भी नहीं बोले तो उत्तर में कह दीजिएगा। माननीय सदस्यगण समय को ध्यान में रखते हुए 10-10 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने अपनी दलीलें दीं। मान्यवर, मैं माननीय देहलवी जी की भांति महुआ, मूसल जैसी बात न धमक कर वास्तविकताओं के आधार पर माननीय सिंचाई मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह कहना गलत है कि योजना बनाकर प्रदेश की प्रगति नहीं की गई है। वास्तविकता तो यह है कि विगत 27 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और यह इस प्रदेश की संकल्पित, संयोजित एवं संगठित प्रयासों की योजनाओं का फल है कि हम अनेक वर्षों की बाढ़, सूखे और पाले से इस प्रदेश को बचा सके हैं और आगे बढ़ा सके हैं।

मान्यवर, बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक संभव सिंचाई साधन जुटाने का प्रयास हो। विभिन्न क्षेत्रों को एक में मिला कर 5 क्षेत्रों में प्रदेश को बांटा गया है और वहां पर अनेक प्रकार की योजनाओं को रखा गया है। इस बजट में सरकार ने केवल राजस्व प्राप्ति का ही उद्देश्य सामने नहीं रखा है वरन् बहुमुखी बातों की ओर भी ध्यान दिया गया है, जैसे बाढ़, नहरों द्वारा सिंचाई, जल विद्युत् और साथ ही साथ नदियों के कटाव जैसी बातें भी माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने अपने बजट में रखी हैं। मान्यवर, विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप राजकीय सिंचाई साधनों की क्षमता बढ़ी है, दुगनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी यह

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र]
प्रयास है कि राज्य सरकार को जितनी आवश्यकता सिंचाई की है, उसके लिए अधिक से अधिक साधन जुटाये जायं। हम यह सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में 86 प्रतिशत जनता, जो ग्रामों में रहती है, खेती पर निर्भर करती है, और खेती के विभिन्न साधनों की मांग करती है। इसलिए हमारे माननीय मन्त्री जी ने यह अच्छा ही किया है कि सिंचाई के लिए और खेती को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को सामने रखा है।

मान्यवर, वर्ष 1974-75 में तीन वृहद् परियोजनाओं, राम गंगा, शारदा सहायक और गन्डक के विभिन्न चरणों को पूरा कर प्रदेश के ब भाग को सिंचाई के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराये हैं जिसके फलस्वरूप 44.4 लाख एकड़ सिंचाई राजकीय नहरों से हुई और गत वर्षों की अपेक्षा पांच लाख एक की अधिक सिंचाई सम्भव हुई। इसलिए ऐसा बजट लाने के लिए मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

यदि प्रदेश के मान-चित्र को देखा जाय तो स्पष्ट होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में और बुन्देलखंड में सबसे कम सिंचाई होती है। सरकार ने इस उपेक्षित भू-भाग की ओर भी ध्यान दिया है और अधिक से अधिक सिंचाई के साधन जुटाने के प्रयास किए हैं। आप जानते हैं कि बुन्देलखंड का जो क्षेत्र है वह भयंकर सूखे से प्रताड़ित रहता है। इस वर्ष भी वहां की भूमि, न तो ऊपर का पानी मिलने के कारण और न नहरों का पानी मिलने के कारण, परती पड़ी हुई है। वहां पर तालाबों, बांधों और कुओं में पानी नहीं है। बुन्देलखंड एक ऐसा हिस्सा है जहां की अपनी एक अलग ही समस्या है। वहां की नदियों के उद्गम मध्य प्रदेश में हैं। जब किसी बड़ी योजना को लेने का सवाल उठता है तो मध्य प्रदेश की सरकार से समझौता करना पड़ता है। उसमें इतना समय नष्ट होता है कि प्रदेश की सरकार, जो उसका लाभ उठाना चाहती है, वह शीघ्र नहीं मिल पाता है, देर हो जाती है। वहां पर तो योजनायें चल रही हैं। एक राजघाट बांध योजना है और दूसरी उर्मिल बांध योजना है। ये योजनायें आगे नहीं बढ़ पाती हैं क्योंकि कोई न कोई रुकावट आ जाती है।

राजघाट बांध योजना बनाने के लिए सरकार तत्पर है। यह योजना 42 करोड़ 44 हजार रुपये की लागत से संचालित होगी और 36 मीटर ऊंचा और लगभग 10 किलोमीटर लम्बा बांध बन कर तैयार होगा जिससे झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों को पानी प्राप्त हो सकेगा। हमीरपुर जिले का उर्मिल बांध जो उर्मिल नदी पर बन्ध रहा है 3 करोड़ की लागत से बन रहा है परन्तु उसमें मध्य प्रदेश सरकार का समझौता एक बाधास्वरूप खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश के इलाके में इस बांध के बनाने का काम तेजी से चल रहा है परन्तु मध्य प्रदेश के इलाके में वहां की सरकार की शिथिलता के कारण बाधायें आ रही हैं। हमें लगता है कि यह बांध, जो हमारी सरकार चाहती है उसके अनुसार पूरा नहीं हो सकेगा अगर हमारी सरकार ने जागरूकता और तत्परता का परिचय नहीं दिया।

यह हर्ष की बात है कि हमीरपुर जिले में मौदहा बांध जो लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला है उसका निर्माणकार्य प्रारम्भ हो गया है। यह जरूर ऐसा बांध है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के समझौते का सवाल नहीं उठता और हमारी सरकार अगर तत्परता दिखाए तो समय से बन सकता है और बुन्देलखंड के एक बहुत ब इलाके को उससे लाभ पहुंच सकता है। बुन्देलखंड की बड़ी नदियों में बांध बनाकर पानी देने की योजना समस्या मूलक हो जाती है परन्तु वहां लिफ्ट योजना से अधिक लाभ नहीं हो सकता है। मौदहा तहसील में खैर ग्राम के पास केन नदी की अथाह दहार है। वहां सर्वे हो चुका है और गत वर्ष उसके लिये 10 हजार रुपये दिया भी गया था परन्तु पता नहीं किस कारण वह रुपया वापस ले लिया गया और वह आर्डर कैन्सिल कर दिया गया। उस क्षेत्र के सूखे की हालत और वहां के लोगों की परेशानी को देख कर और वहां की परती पड़ी भूमि और उपजाऊ भूमि के नक्शे को देख कर उस योजना को लिया जाय और उससे संचालित कराने

की कृपा की जाय। वहां दूसरी भी नहरें चलायी जा रही हैं। पत्योरा सिंचाई नहर चल रही है। परन्तु अजीब स्थिति है। पानी उठ रहा है परन्तु काम कराने वालों को इस बात की चिन्ता नहीं है कि इस पानी का सदुपयोग वहां हो। उनका कहना है कि जब तक पूरी नहर नहीं बन जायगी तब तक पानी नहीं दिया जायगा। इस प्रकार का दृष्टिकोण अनुचित है। जितनी नहर बन चुकी है उतना पानी चढ़ना चाहिये। मन्त्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

जहां तक प्राईवेट कुंओं का सवाल है, जितनी बोरिंग राज्य सरकार की तरफ से हुई है मैं समझता हूं कि वह 90 फीसदी तक असफल है और उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पड़ोस के मध्य प्रदेश के इलाके में जो बोरिंग का काम रिग मशीन द्वारा हो रहा है वह बहुत कामयाब है। इस तरह की योजना हमारी सरकार को भी करनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र––

2-3 मिनट और दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता––

अच्छा दो मिनट और बोल लीजिए।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र––

भारत सरकार ने सूखे से पीड़ित क्षेत्रों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु 6 जिलों को चुना है जिसमें बुन्देलखंड के हमीरपुर, बांदा और जालौन जिलों को भी चुना गया है। परन्तु इस योजना के तहत जो भी काम लिया गया है, वह बहुत छोटा है और कोई लाभ देने वाला नहीं है। एक मन्शा जरूर पूरी होगी कि मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और कुछ रोजी-रोटी की समस्या हल होगी। इस प्रकार की 11 करोड़ की योजना है। इसको किसी कारगर योजना के माध्यम से संचालित किया जाय जिससे रोजी-रोटी भी चले, सिंचाई भी हो।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि पत्योरा खंड में हमीरपुर के जो ठेकेदार काम कर रहे हैं सरौली बुजुग की तरफ छोटे लाल और महाबीर वगैरह हैं, इन्जीनियर ने उनको भुगतान न करके कुछ गलत आदमियों को भुगतान कर दिया है। इस तरह के कामों को भी सरकार को देखना चाहिए। माननीय मन्त्री जी ने जो योजनायें रखी हैं वे नाजुक मिजाजी की नहीं हैं, वे काम की योजनायें हैं, उससे बड़ा लाभ प्रदेश को होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)––

यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि का सिंचाई से गहरा सम्बन्ध है। 27-28 वर्ष हमें आजाद हुए हो गए, मगर यह प्रदेश फिर भी पिछड़ा हुआ है। इस प्रदेश की तरक्की के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे प्रान्त में नदियों का जाल बिछा हुआ है। नदियों से बड़ी हानि होती है। हर वर्ष करोड़ों रूपये का नुक्सान होता है, फसलें बरबाद हो जाती हैं, और उस वक्त आप पीड़ित लोगों को राहत देने के लिये कभी-कभी एक किलो चना और नमक भेजते हैं। इसी पैसे को अगर इन नदियों के बहाव को रोकने की तरफ लगाया जाय तो बड़ा लाभ हो सकता है और प्रदेश की तमाम समस्यायें हल हो सकती हैं।

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। उनके बहाव को रोक कर उनसे बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरफ कतई ध्यान नहीं दिया गया। यह सरकार सदा झूठे नारों के बल पर जनता को गुमराह करती रही है।

यह प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश माना गया है। संयोग से भारत के 3 प्रधान मन्त्री हमारे ही प्रदेश के हुए, मगर किसी ने इस प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दिया। शास्त्री जी ने कुछ ध्यान दिया था, मगर दुर्भाग्य से वे हमसे छीन लिए गए। और किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन्दिरा जी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं सिंचाई मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की सुविधायें देने की ओर ध्यान दें। (व्यवधान) सिंचाई नलकूपों से, छोटी-छोटी नहरों से, तालाबों आदि से होती है। आज कितने ही तालाब ऐसे हैं जो सूखे पड़े हुये हैं। इस ओर यदि सरकार ध्यान दे तो इससे काफी सिंचाई हो सकती है।

किसानों को जो कर्ज मिलता है वह भी बहुत अधिक ब्याज-दर पर मिलता है। वही कर्ज पूंजीपतियों को कम ब्याज पर मिलता है। किसानों को कम सूद पर रुपया कर्ज में मिलना चाहिए। किसान को जो औजार जैसे बिजली का मोटर, पम्पिंग सेट्स, वगैरह खरीदने होते हैं और उसके लिए जो रुपया उसे मिलता है, उसमें बीच मे कई लुटेरे उसको लूट लेते हैं। ब्लाक वाले, तहसील वाले तथा बैंक वाले भी उसको लूट लेते हैं। उसको खुले बाजार से अपना सामान खरीदने की छूट होनी चाहिए। वह जहां से खरीदना चाहे, वहां से अपना सामान खरीदे। इसके बाद मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि बस्ती जिले में बखीरा झील से एक नाला निकलता है जो राप्ती नदी में जाकर मिलता है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था उनका ध्यान उस तरफ गया था लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोगों ने उस नाले को अपने नाम से दर्ज करा लिया है और उसमें मछली मारते हैं। इसकी वजह से उस क्षेत्र की पचासों हजार एकड़ जमीन जल में डूबी रहती है। सरकार को चाहिए कि वह उस नाले को अपने हाथ में ले और उसका रख-रखाव करे, तब जाकर वहां की समस्या हल हो सकती है। यह चोरना नाला बखीरा झील से जिसे तालबहाद भी कहते हैं, से निकल कर बुधना के पास राप्ती नदी में मिलता है लेकिन संयोग से खेती करना दिखलाकर कुछ लोगों ने उस पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। सरकार से मेरा आग्रह है कि उनका नाम कटवा कर यथावत् उसे दर्ज कराया जाय जिससे गरीब किसानों को राहत मिल सके। जो छोटे-छोटे किसान हैं जमींदारी खत्म होने के बाद से वे सरकार को लगान डांड़ के तौर पर दे रहे हैं। इसलिए उनकी मांग पूरी की जाए जिससे उनकी रक्षा हो सके।

इसके साथ ही साथ बस्ती जिले के बांसी तहसील में कौआताल के अन्दर 3 हजार एकड़ जमीन पानी में डूबी रहती है। इसी तरह से चवर ताल तथा पथरा ताल में हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी रहती है। माननीय मन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि वहां से पानी निकाल कर उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया जाय। बस्ती जिले में तमाम नदियां हैं। उनके लिए कोई ऐसी योजना बनायी जाय जिससे किसानों को राहत मिले और वहां सिंचाई की सुविधा हो सके। बस्ती जिले में नदियों के किनारे तटबन्ध बनाए जायं और उनसे छोटी-छोटी नहरें निकाल कर बस्ती जिले को राहत दी जाय जिससे वहां जो बाढ़ की समस्या है, वह भी हल हो सके और लोगों को सिंचाई की सुविधा भी मिल सके। हमारे जिले में ट्यूबवेल्स हैं, बड़ी नहरें हैं, छोटी-मोटी नहरें भी हैं जो जमींदारों के वक्त से बनी हुई हैं लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। वे जमींदार बन्ध कहलाती हैं जो टूटी-फूटी पड़ी हैं। उनकी मरम्मत करायी जाय, उनको आगे बढ़ाया जाय जिससे सिंचाई के साधन ढंग के हो सकें और उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया जा सके। जैसे नैपाल में पाइप जमीन में

गाड़ कर उसके जरिए पानी निकाला जाता है उसी प्रकार से सरकार सर्वेक्षण कराये और अपने तराई के इलाके में उसी प्रकार से पानी जमीन से निकालने का प्रबन्ध करे तो बड़ी सुविधा हो और वहां के लोगों को राहत मिल जाय।

इसके अलावा मुझे एक बात और कहनी है कि जब सिंचाई का समय होता है तब कहीं बिजली गायब रहती है तो कहीं मशीन बिगड़ी पड़ी रहती है। सिंचाई के लिए बिजली और मशीन का ठीक होना बहुत आवश्यक है। तो सिंचाई के समय बिजली की व्यवस्था ढंग से रहनी चाहिये। यह भी शिकायत है कि एक बोरी सीमेन्ट है तो उसमें 25 बोरी बालू मिला कर नालियां बना दी जाती हैं जो एक सीजन भी नहीं चल पाती हैं और फिर टूट जाती हैं। तो इसके रख-रखाव के लिए भी माननीय मन्त्री जी कोई उचित व्यवस्था करें जिससे इस तरह की लूटपाट जो मची हुई है, उसको रोका जा सके। इस विभाग में कितना भ्रष्टाचार है इसको माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कबूल किया है। मेरा माननीय मन्त्री जी से आग्रह है कि यदि कहीं पर इस तरह की शिकायत उनके कानों तक पहुंचे तो वे उस पर तुरन्त ध्यान दें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपये का गबन किया है, सख्त ऐक्शन लें जिससे भ्रष्टाचार दूर हो, जिससे देश हरा-भरा हो और उसकी खुशहाली की तरफ ध्यान दिया जाय।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र (जिला देवरिया)––

मान्यवर, श्री मोती लाल देहलवी, जो बोल रहे थे, कटौती के सिलसिले में तो उन्होंने इस सिलसिले में जो कुछ कहा उसका सिंचाई से सम्बन्ध नहीं था। जहां तक लूप का सम्बन्ध है, वह परिवार नियोजन से सम्बन्धित है, जब हेल्थ पर बोलने का समय आएगा तब विचार किया जायगा।

मैं इस अवसर पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह सत्य है कि प्रदेश की आमदनी का 54 प्रतिशत भाग खेती से आता है। इसलिए कृषि का महत्व सबसे ज्यादा है। कृषि के लिए सिंचाई इतनी आवश्यक है जितने शरीर के लिए प्राण। तो सिंचाई की अहमियत को देखते हुए आज की बहस सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहना है कि सिंचाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, यह सोलह आने गलत है। सन् 1947 में करीब 68 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सरकारी साधनों से होती थी। अब इससे कई गुने ज्यादा करीब 1 लाख ..... (माननीय सदस्य के कागज देखने पर)

एक सदस्य––

पढ़ लीजिए।

(हंसी)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र––

जो पढ़ा होगा वह तो पढ़ने पर ही विश्वास करेगा अन्दाज से बोलना मुझको आता नहीं है।

तो मान्यवर, अब पहले से 2-3 गुने ज्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई आज सरकारी साधनों से होती है। इस तरह से 30 प्रतिशत सरकारी साधनों से सिंचाई हो रही है। लेकिन मान्यवर, 27 वर्षों में सिर्फ 30 प्रतिशत कर सके यह कोई सराहनीय काम नहीं है। (हंसी) यह रेशियो बहुत कम है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उसको देखते हुए इस रेशियो को बहुत बढ़ाना होगा। हमारी सरकार ने काफी पैसा बजट में सिंचाई के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा]

लिए दिया है। तो केवल बजट में पैसा देने मात्र से सिंचाई के साधन बढ़ जायेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि रोजमर्रा इस विषय पर हाउस में चर्चा होती है। जिस तरह से पैसे की लूट इस विभाग में होती है उसका कोई अंदाजा नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार पर आप कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक बजट चाहे जितना ज्यादा से ज्यादा आप रखें उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से इस मद पर ज्यादा ध्यान दिया गया है उसी तरह से यदि भ्रष्टाचार के कन्ट्रोल पर ध्यान दिया जाय तो सिंचाई के कार्य में काफी प्रगति हो सकती है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है इस ओर ध्यान देने की।

माननीय मन्त्री जी बहुत शरीफ आदमी हैं इसमें कोई शक नहीं है। उम्र भी ज्यादा है, उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि उनको बहुत तेज गति से चलना होगा अगर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं।

मेरी कुछ शिकायतें हैं। मैं अपने जिले के बारे में कुछ शिकायतें मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं। देवरिया जिले में 2 तरह की व्यवस्था है। आधे जिले का उत्तरी हिस्सा जो है उसमें गन्डक नहर का पानी मिलता है लेकिन दक्षिणी भाग में गन्डक नहर की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने 10 ट्यूबवेल इसके लिए मंजूर किए थे। जिसमें से 5 की कटौती कर दी गयी और जो 5 बचे उसमें से 3 ट्यूबवेल उत्तरी क्षेत्र में एक बड़े प्रतिष्ठित आदमी के क्षेत्र में, रेंज में लगा दिये गये। जब इसकी शिकायत जिले के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी से की गयी तो उसने कहा कि सिंचाई विभाग ने आदेश दिया है, जबानी आदेश दिया है कि यहां लगाना जरूरी है लिहाजा हम मजबूर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया जिले के नाम पर यह जो व्यक्ति विशेष के लिए व्यवस्था की गयी है, यह अनुचित है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह इसकी जांच करवायें कि ऐसी क्यों व्यवस्था कराई गयी कि 3 मील के अन्दर 3 ट्यूबवेल लगाए गए और जहां कि नहर की व्यवस्था है? दक्षिणी क्षेत्र में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यदि इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहेगी तो मैं नहीं समझता कि प्रदेश की कैसे प्रगति होगी। मैं सिंचाई विभाग की कार्य-प्रगति पुस्तक से पहले पेज की आखिरी तीन लाइनों से भिन्न विचार रखता हूं। मैं उनको पढ़ रहा हूं--योजनाकाल में राजकीय सिंचाई कार्यों के निर्माण की नीति में भी आमूल परिवर्तन किया गया है और उनका निर्माण केवल राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से न करके, प्रदेश के समस्त भागों में आवश्यकता के अनुसार किया गया है। मैं चाहूंगा कि यह लाइनें यदि सही हैं तो वह 3 ट्यूबवेल जो एक ब्लाक के अन्दर लगाये गये हैं क्या उनकी और कहीं आवश्यकता नहीं थी? ठीक इसी प्रकार घाघरा नदी दक्षिणी छोर पर बहती है और बरहज नगरपालिका, गौरा, बरहज आदि की लगभग 30 हजार आबादी है जहां से कई वर्षों से रिपोर्ट आ रही है कि वह कटाव पर हैं और आज पूरा कस्बा और शहर घाघरा नदी में जाने वाला है। कागज आता है लेकिन उस पर ध्यान बिलकुल नहीं दिया जाता है।

प्रदेश में तो काम हो रहा है, बजट देखने से मालूम होता है कि जरूर कटाव रोकने के लिए काम हो रहा है लेकिन जहां आवश्यकता है कि सड़कों और रेलवे को बचाया जाय, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दर्जनों गांव जैसे कटैलवा, पूर्व परसिया और भागलपुर आदि कटाव पर हैं लेकिन उसमें कोई आपने व्यवस्था नहीं की है। इसलिए इनके लिए कोई तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों और उच्च व्यक्तियों के प्रभाव पर व्यवस्था की जा रही है और प्रदेश के स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, गन्डक नहर जो वरदान बनकर आयी थी, वह इस समय अभिशाप बनकर काम कर रही है। बरसात में लाखों आदमी परेशान होते हैं और लाखों मन गल्ले का नुकसान होता है। पानी की सूखे में जरूरत होती है लेकिन बरसात में जब प्रकृति पानी देती है तो उसी समय नहर भी पानी देने लगता है और उससे काफी नुकसान होता है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि इन बातों पर सरकार ध्यान देती है तो निश्चित रूप से कुछ कल्याण होगा। मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री बांके लाल––

अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव श्री मोती लाल देहलवी जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि सिंचाई विभाग बहुत बड़ा विभाग है और उसमें हजारों अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। इसलिए गड़बड़ियां तो हो सकती हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सब के सब अधिकारी भ्रष्ट हैं। यह कहना गैर मुनासिब है। बहुत ईमानदार हैं और बढ़िया काम करते हैं। इसलिए इस बात को कहने के लिए मैं कभी तैयार नहीं हूंगा कि सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और केवल सिंचाई विभाग में ही भ्रष्टता है। मान्यवर, सरकार ने बड़ी दया की कि हमारे पूर्वी जिलों में और खासकर देवरिया में नहरों का जाल निश्चित रूप से बिछा दिया है।

मैं शुरू में नहरों का बड़ा विरोधी था और चाहता था कि नहरें हमारे यहां न बनें इसलिए कि यह नहरें कभी बाढ़ का कारण बन सकती हैं। मैं ऐसा सोचता था कि यह नहरें नदी की शक्ल पकड़ लेंगी और सारा देवरिया जिला जलमग्न हो जायगा। पिछले वर्ष बाढ़ आयी और हर मीटिंग में मैंने यह कहा कि नहरों द्वारा बाढ़ आयी। बात सही भी थी कि जब नारायणी का बन्धा बना और उस पर पानी आने लगा तो उसको बचाने के लिए नहरें खोल दी गयीं। यह मेरा खयाल है, हो सकता है देवरिया जिले के और माननीय सदस्यों का भी यही खयाल हो। नहर खोलने से पानी इतना आया, इतनी तेजी से आया और फैला कि देवरिया जिले का दो बटा तीन हिस्सा पानी में डूब गया। सारी फसल बरबाद हो गयी। उसके बाद हमारे सिंचाई मन्त्री जी वहां हवाई जहाज से पहुंचे और मुख्य अभियन्ता साहब भी गए लेकिन फसलें बरबाद हो ही चुकी थीं। यह बात सही है कि इस वर्ष हमारे देवरिया जिले में नहरों से ड्योढ़ी सिंचाई हुई है।

हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने दौरा भी किया और जहां कुलावे नहीं थे, आवश्यकता थी उन्होंने वहां पर आदेश दिए कि वहां यहां पर कुलावे होने चाहिए। परिणाम अच्छा है, फसल अच्छी है और यह चाहे जगजीवन राम जी के भाग्य से, चाहे वजीरे आजम हिन्दुस्तान के भाग्य से या चौधरी चरण सिंह के भाग्य से, चाहे किसानों के भाग्य से फसल अच्छी हुई है। लेकिन मेरी एक शिकायत जरूर है कि नहरें जब टूट जाती हैं उस समय सिंचाई विभाग के अभियन्ता महोदय लोग अपनी-अपनी कोठियों में मौज लेते हैं। उन्हें चाहिए कि जो नहरें अपूर्ण हों उनको पूरा करा दिया जाय, जहां कुलावों की जरूरत है वहां कुलावे दिये जावें, जहां साइफन की जरूरत हो वहां साइफन दिए जायं और जब नहरें टूटें तब अफसर मुआयना करते रहें ताकि तत्काल इन्तजाम हो। ऐसा नहीं होता है। मेरे जिले में कैप्तानगंज और सोहनी गांवों में पचासों एकड़ जमीन पानी में डूब गयी, अकटहा गांव में पानी चला गया और 60 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पानी में डूब गयी, फसल बरबाद हो गयी, तो जहां सिंचाई से हमको लाभ हुआ वहां काफी हानि भी हुई है। सिंचाई मन्त्री जी तो चले गये लेकिन उनके विभाग के लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा

[श्री बांके लाल]

कि जब नहरें टूटें तो बन्धे फौरन बन जावें। हमारे क्षेत्र में एक अमडरिया शाखा है और उस से मांडेराय गांव डूब गया लेकिन सिंचाई विभाग के अफसर पहुंचे तक नहीं उन्हें पता नहीं कि कितनी फसल बरबाद हो गयी और किसानों को इसका मुआविजा मिलना चाहिए या नहीं। मैंने देखा कि जब नारायणी के बांध से हमारा देवरिया जिला प्रभावित हो गया तो उस पर मैंने देखा कि सिंचाई विभाग का पतरौल परताल कर रहा है। यह बिलकुल गैर-मुनासिब था।

मान्यवर, सिंचाई विभाग से जो यह पुस्तिका मिली है "सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की कार्य-प्रगति" इसका मैंने अवलोकन किया और जो प्रगति हुई है और कितना रुपया व्यय हुआ है। करोड़ों रुपया ही नहीं, अरबों रुपया प्रान्त के किसानों से कर के रूप में उगाही करके व्यय किया गया लेकिन जितना अच्छा परिणाम निकलना चाहिए था उतना अच्छा परिणाम नहीं निकला। बड़ी धीमी गति से प्रगति हुई है। सिंचाई विभाग की तरफ के एक पुस्तिका मिली है और कोई पुस्तिका नहीं मिली। इसमें भी मोटे-मोटे आंकड़े दिए गए हैं। नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए कितना रुपया सरकार ने खर्च किया, वह इसमें दिया है। 1968-69 के अन्त तक 20 करोड़ 12 लाख रुपया बाढ़ नियन्त्रण पर खर्च किया गया। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना काल में देखें। बाढ़ सुरक्षा हेतु 8 करोड़ रुपया खर्च किया गया है लेकिन खर्च हो गया 22 करोड़ 73 लाख रुपया। अन्त में जाकर 1973-74 में 5 करोड़ 66 लाख रुपया व्यय हुआ। इसमें दस करोड़ रुपये की केन्द्र से भी सहायता मिली है। अगर आप यह सारा का सारा जोड़ें तो अरबों रुपया बाढ़ नियन्त्रण पर खर्च हुआ। और जगह तो मैंने नहीं देखा कि कितना कार्य हुआ लेकिन देवरिया जिले में देखा कि बाढ़ पर नियन्त्रण पाने के लिए कोई काम शुरू नहीं हुआ है।

मैं बहुत छोटा आदमी हूं, पूरे प्रान्त की बात नहीं जानता। मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूं, एक छोटा सा वर्कर हूं। अपने जिले और क्षेत्र की बात कहता हूं। मैंने सुझाव दिया कि हमारे क्षेत्र में सोमताल साढ़े 6 हजार एकड़ का है। रफी अहमद किदवई साहब के जमाने में एक ड्रेन बनायी गयी। लेकिन वह कभी साफ नहीं की गयी और नतीजा यह है कि पानी रुक जाता है और साढ़े छः हजार एकड़ की फसल नष्ट हो जाती है। इसका इस पुस्तक में कोई वर्णन नहीं है। इसी तरह सकरोली गांव मोन नाले के किनारे है। दो तीन मील का इलाका डूब जाता है। मैं इन्जीनियर्स को ले गया और दिखलाया कि यहां पुल बनना चाहिए। इसी तरह से भोजौली गांव में दिखलाया और कहा कि यहां एक पुल बनना चाहिए और एक ड्रेन निकाल कर गन्डक नदी में डाल दें जिससे पानी की निकासी हो सके और इलाका डूबने से बचाया जा सके। एक बात भ्रष्टाचार के बारे में कहनी है। भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है। उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन यह बात सही है कि प्रजातान्त्रिक तरीके में पार्लियामेन्ट और असेम्बली के मेम्बर्स मिलकर शासन चलाते हैं। जब दो लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से मिलेगा तो वह रुपया कहां से आता है? अधिकारियों के ऊपर ही खाली आक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार का स्रोत कहां है। यह स्रोत ऊपर है और दिल्ली से लेकर गांव तक पहुंच गया है।

मान्यवर, इन अधिकारियों को कहना उचित नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार का निर्माण समूचे प्रदेश में किया है। अगर एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 ईमानदार हों और सही रास्ते पर चलें तो कोई भी अधिकारी गलत कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकता और ठीक काम करेगा।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है। वह कृपया बैठ जायं और अगर इस तरह से बोलेंगे तो रिकर्ड नहीं होगा।

श्री बाके लाल—

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं श्री मोती लाल देहलवी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

*श्री मन्नूलाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)—

सिंचाई और लघु सिंचाई का जो बजट यहां पेश हुआ है, उसका मैं आपके माध्यम से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सन् 1947 में इस प्रदेश में 66 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी, आज 178 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि सिंचाई विभाग ने कितनी प्रगति की है। जैसा आप जानते हैं, इस समय कितनी विषम समस्या है हमारे प्रदेश में और किस प्रकार पैसे की कमी है, फिर भी इस सिंचाई विभाग ने बड़ी तेजी के साथ काम किया है। सन् 1960-61 में निजी कुओं की संख्या 5,045 थी, इस समय 3,34,884 हो गई है। इसी प्रकार जो पम्पिंग सेट सन् 1960-61 में 3,907 थे, उसके विरुद्ध इस समय 2,10,715 निजी पम्पिंग सेट किसानों के पास हैं और यह व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इसी प्रकार से नलकूप की जहां तक बात है, छोटे ट्यूबवेल इस समय 3,38,884 हैं जब कि सन् 1961 में उनकी संख्या 5,045 थी। यह सही है मान्यवर, कि अब तक हम कुल 30 प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था कर पाये हैं जो कि नाकाफी है और इसमें सुधार की जरूरत है। जिस तेजी से काम हो रहा है, उसमें अगर थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाय तो सिंचाई की सुविधा अधिक बढ़ सकती है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि 70 करोड़ 67 लाख रुपये का सिंचाई का बजट जो रखा गया है, उसका उपयोग अगर सही हो, तो बहुत कुछ बढ़ोत्तरी हमारे प्रदेश में लाभ के लिए हो सकती है। लेकिन जो पैसा निर्माण कार्य में व्यय होता है, ऐसा लगता है कि आधा पैसा व्यय होता है ठीक से और आधे पैसे का गोलमाल हो जाता है। इस भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी जमी हुई हैं और उसको निकालने के लिए चाहें उधर के बैठने वाले लोग हों, चाहे इधर के, सबको मिलकर सामूहिक रूप से इसका प्रयास करना होगा। एक मामूली जूनियर इन्जीनियर एक साल के अन्दर स्कूटर खरीद लेता है और शायद इन्जीनियर भरती होते ही एक साल के अन्दर कार खरीद लेता है। यह सब कहां से आता है? जब लोग नौकरियों में आयें तो उनकी जो सम्पत्ति है, उसकी घोषणा करें और उसकी ठीक से जांच हो और फिर इसके बाद जब उनके विरुद्ध शिकायत हो तो उनकी सम्पत्ति की जांच की जाय कि किस तरह से यह धन पैदा किया गया अनैतिक रूप से। शारदा सहायक योजना हमारे रायबरेली जिले में भी चल रही है। वहां बार-बार अखबारों में निकलता है कि लाखों रुपयों का गोलमाल किया जा रहा है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक अलग से "सेल" बनाना होगा जिसमें विभाग के अलावा कुछ बाहर के भी लोग हों, उसमें गैर-सरकारी लोग भी हों ताकि जो काम हो रहा है उसका मूल्यांकन करें।

मान्यवर, आप देखें कि बांध टूट रहे हैं, पुलिया बनने के कुछ समय बाद ही टूट जाती हैं क्योंकि उनमें सीमेंट, लोहा तथा बालू का मिश्रण गलत होता है। उसके मिश्रण की विभाग को जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जिस रेश्यो से मिश्रण होना चाहिए था, वह किया गया या नहीं किया गया। और अगर मिश्रण ठीक अनुपात से न किया गया हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए और पुल आदि के बनाने में गलत मिश्रण किया गया हो तो मेरी राय में इसके लिए प्राण दन्ड तक दिया जाना चाहिए क्योंकि पुल टूटने से हजारों लोगों की जान जाने का खतरा रहता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नूलाल द्विवेदी]

जहां तक ऋण देने का सवाल है भूमि विकास बैंक के जरिए अथवा अन्य सहकारी बैंकों के जरिए, अपनी भूमि को किसान बन्धक रखता है, मेरा खयाल है कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। जब किसान 5-6 हजार रुपया ऋण लेता है तो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है उसे इस ऋण को लेने के लिए कर्मचारियों को 1 हजार रुपये तक देना पड़ जाता है। किसान जब अपनी जमीन को बन्धक रखता है तो उसे चेक मिलता है। चेक देने पर उस पर यह प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए कि अमुक फर्म से वह यह सामान खरीदे। अपनी मर्जी से वह सामान खरीद सके। मैंने पावर थ्रेशर का मामला पिछले साल उठाया था। जो चीज 800 रुपये में सीधे खरीदने से उसे मिल सकती थी तो भूमि विकास बैंक के अधिकारियों ने उसे 1,165 रुपये में तय कर रखी थी और इस तरह से बीच के ये दलाल काफी रुपया किसान का हड़प लेते हैं यह कह कर कि इस फर्म को रजिस्टर कर रखा है, इसी फर्म से किसान माल खरीदे। उस रजिस्ट्रेशन में बड़ा घपला रहता है। इसको सरकार को देखना होगा। अगर वह किसान को लाभ पहुंचाना चाहती है तो यह सब प्रतिबन्ध किसान पर से हटाने होंगे।

एक बात यह भी मुझे निवेदन करनी है कि बिजली की दर में कमी करनी होगी। सिंचाई का सीधा सादा बिजली का सम्बन्ध है। यह व्यवस्था थी कि निजी नलकूप लगाने वालों को 5 हार्स पावर तक 250 रुपये की छूट दी जाती थी। अब हो यह रहा है कि 6 हजार रुपया ऋण ले कर जब किसान ने मोटर बिठा दिया तो उससे कहा जाता है कि 8 हजार रुपया और लाओ तो बिजली देंगे। रायबरेली जिले में ऐसे-ऐसे मामले अनेक हुए हैं। मैंने मुख्य मन्त्री जी से कहा था कि यह छूट दिसम्बर तक दे रखी है, इसे मार्च तक बढ़ा दिया जाय।

इसके अलावा बड़ी-बड़ी ड्रेनेज के जरिए से बाढ़ का पानी निकालने की स्कीम बनाई है। कभी हमारे यहां सूखा पड़ता है तो एक पानी के बिना सारी फसल जल जाती है। मेरा सुझाव है कि दो तीन मील के बाद कुछ तालाब बना दिये जायें ताकि उनमें पानी स्टाक हो सके और जब सूखा पड़े तो उस समय उस पानी को खेतों में इस्तेमाल किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम अधार--

माननीय अधिष्ठाता जी, सिंचाई पर जो बजट पेश किया गया है उसमें बोलना तो बहुत कुछ था किन्तु समय कम है इसलिए उससे सम्बन्धित विद्युत् के मसले को मैं छोड़ देता हूं। विद्युत् के बारे में उस समय कहूंगा जब विद्युत् के बजट में कटौती का प्रस्ताव आएगा।

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में जो खेती योग्य जमीन है, उसके अनुसार सिंचाई का जो क्षेत्रफल है उसमें पहली योजना में 25.83 लाख हैक्टियर, दूसरी योजना में 32.62 लाख हैक्टियर और फिर इसी प्रकार 44 लाख हैक्टियर भूमि में सिंचाई हुई। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर खेती योग्य जो जमीन है उसमें 26 सालों में अब तक सरकार ने केवल एक चौथाई भूमि से भी कम जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था की है। बताया जाता है कि पैसे की कमी है। इसका सारा दोष मैं माननीय मन्त्री जी पर ही केवल नहीं मढ़ना चाहता हूं। क्योंकि हमारे मन्त्री जी बड़े सीधे-सादे हैं, उनके नाम पर दूसरे लोग भले ही खा पी लेते हों। हम लोगों को भी खिलाते हैं। यहां पर एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार आज किसान विरोधी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सरकार किसान विरोधी है और इसीलिए अब तक का 26 सालों का रिकार्ड है कि इन्होंने किसानों के लिए सिंचाई की कितनी व्यवस्था की है।

---

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़े उद्योगों को बिजली दी जाती है और सस्ती दी जाती है। कृषि के लिए 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है और बिरला को 10.50 पैसा प्रति यूनिट देते हैं और अन्य उद्योगों को 14 पैसे के हिसाब से देते हैं। यह कहां का न्याय है? अब तक लगातार बिरला को 2 पैसा प्रति यूनिट की दर के बिजली दी जाती थी और परिणामस्वरूप सरकार ने 40 करोड़ रुपये का लगातार घाटा इसमें उठाया है। मैं मानता हूं कि इसमें केवल एक व्यक्ति का दोष नहीं है, पूरी सरकार का दोष है और इसीलिए नलकूपों को बिजली नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अन्दर अन्य प्रदेशों की अपेक्षा--आन्ध्र, हरियाना, पंजाब आदि प्रदेशों में--बहुत कम बिजली किसानों को दी जाती है। सिंचाई की जो दर है वह भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले में अधिक है। आन्ध्र, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि में सिंचाई की दर हमारे उत्तर प्रदेश से कम है। तामिलनाडू में 9 पैसा प्रति यूनिट है, आन्ध्र में 10 पैसे, महाराष्ट्र में 13 पैसा और उत्तर प्रदेश में 30 पैसा है। यह सरकार किसानों की दुश्मन है और किसानों की हत्या करना चाहती है। इसमें पूरी केबिनेट का दोष है। वित्त मन्त्री सारा धन पहाड़ की ओर मोड़ रहे हैं।

आजमगढ़ जिला आज पिछड़ता जा रहा है। इसके अन्दर बड़ी तिकड़म की गई है। केन्द्र से अनुदान आता है तो वह सारा पहाड़ों के लिये दिया जाता है। मैं आजमगढ़ के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर खेती योग्य भूमि 1236.9 हजार हैक्टर, बोया हुआ क्षेत्रफल 1094.4 हजार हैक्टर, तृतीय योजना में सिंचन क्षमता 214.4 हजार हैक्टर, चतुर्थ योजना काल में के अन्त में 280.4 हजार हेक्टर तथा 1974-75 के अन्त में सिंचन साधनों द्वारा उपलब्ध सिंचन क्षमता का अनुमान 365 हजार एकड़ बताया गया है। इससे पता चलता है कि आजमगढ़ में 1/4 भूमि पर भी सिंचाई नहीं हो रही है। वहां का किसान कभी इन्दिरा के भरोसे रहता है और कभी इन्द्र के भरोसे रहता है। आजमगढ़ के साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिले गोंडा, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिले भी हैं जहां कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

कल माननीय वित्त मन्त्री ने बता दिया कि आपके क्षेत्र में शारदा नहर बनाई जा रही है और मैंने कहा भी था कि इस बात पर सदन में चर्चा हो जाय कि असलियत क्या है। सन् 1966-67 में जहां कुल सिंचाई का क्षेत्रफल 48.6 लाख हैक्टर था पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर, 1968-69 में 47.50 लाख हैक्टर हो गया और 1973-74 में घटकर 43.70 लाख हैक्टेर हो गई। इसके लिए मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं यह किताब रखी है, इसमें आप देखें कि यह सरकार की तैयार की हुई है। तो इसमें हमारे सिंचाई मन्त्री का ही दोष नहीं है, सारे कैबिनेट का यह फैसला है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि वह हिम्मत के साथ इस बात को उठायें चाहे उन्हें टिकट मिले या न मिले, चाहे बिरला का पैसा मिले या न मिले लेकिन यह जो किताब है उसको देखें और इन्साफ की मांग करें। यह सारा का सारा सिंचाई का खाता है इसको हमें बदलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रदेश के किसानों की तरक्की हो, इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी।

हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मन्त्री ने कहा कि हम सिंचाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं अब भी चैलेंज करता हूं कि सरकार प्राथमिकता नहीं दे रही है। अगर प्राथमिकता देती तो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक शारदा कैनाल के नाम पर नलकूपों के लिए भी पैसा देती। नलकूपों के लिए पूर्वी जिलों के लिए पैसा क्यों नहीं दिया गया कैबिनेट इस बात को देखे। ठीक है शारदा नहर बन रही है लेकिन शारदा नहर को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक रबड़ का बबुआ दिखा कर नहीं बहका सकती है। हमारे लोग श्री नारायण दत्त तिवारी की चालाकी जानते हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर 1974 में कोई

[श्री राम अधार]

भी नलकूप नहीं लगाया गया। हमारे जिले के कांग्रेस से लोग भी आये हैं, वह इस बात को जानते हैं।

शारदा नहर के नाम पर, मान्यवर, आप उन लोगों को धोखे में नहीं रख सकते हैं। आज किसान संगठित नहीं है। हम इस योजना का स्वागत करते हैं लेकिन इसके बारे में एक सवाल हमने मुख्य मन्त्री जी के सामने भी रखा था, आपके विभाग के आफिसर यहां पर हैं, वह जरा देखें। शारदा कैनाल जहां से निकल रही है, जो 124 फुट चौड़ी है, वहां ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें चकबन्दी हो चुकी है जैसे महराजगंज ब्लाक में बिलरियागंज, नरायनपुर, मितिहरा, इटौरा, खजियावर, देदेरा, परसरामपुर, जमीलपुर, अकबरपुर, भगतपुर आदि गांवों में चकबन्दी हो गई है, इनमें पुन: चकबन्दी कराई जाय और उसमें बेपरत जमीन निकाली जाय और तब शारदा नहर निकाली जाय। क्योंकि हजारों परिवार जिनकी जमीन इसमें जा रही है वह उजड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का घर बसाने के लिए दूसरे का झोपड़ा उजाड़ दें। (लाल बत्ती) मान्यवर, दो मिनट और चाहूंगा।

भ्रष्टाचार के बारे में मुझे अफसोस है कि मैं तारीफ नहीं कर सकता हूं हमारे भाई जैसा समझते हैं अग्रवाल साहब की तारीफ कर रहे हैं। एक 44 लाख का मामला है जब वह चीफ इंजीनियर नहीं थे तो तीन-तीन बार स्थानान्तरण हुआ, उसमें मन्त्री महोदय के पी0 ए0 भी हटाये गये। खैर मैं ज्यादा नहीं कहता सारे बड़े-बड़े आफिसर जो हैं, वह एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। सिंचाई विभाग में इस समय जातिवाद चल रहा है, वह जातिवाद में फंसा हुआ है। एक बचाता है तो दूसरा उसे छिपाता है। हमारे मन्त्री जी खुद ही कहते हैं, वह मानते हैं कि विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। 7, 7 करोड़ के मामले पकड़े गये। कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि उनके ही दल के एक महामन्त्री चुने गए, मैं नाम नहीं जानता हूं, जो सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर की पैरवी करने जाते हैं। तो फिर भ्रष्टाचार क्यों नहीं बढ़ेगा जब कोई कांग्रेस का विधायक जाकर सिफारिश करता है। आपको फिर कोई हक नहीं है कि आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहें। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि हमारे साथी उनका साथ न दें। मान्यवर यही कहकर मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी बातों पर विचार करे और अपनी नीतियों को बदलें।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मेरे कुछ विरोधी मित्रों ने यह बात कही है कि नलकूपों से कोई आमदनी नहीं होती है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार मैं कह सकता हूं कि फी नलकूप से 6,400 रुपये की आमदनी होती है जब कि उस पर 45 सौ रुपया फी नलकूप खर्च होता है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। जो बातें आपके सामने आ चुकी हैं उसके अलावा मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस साल जो बजट पेश किया है, और जो यहां पर कृषि के सम्बन्ध में, सिंचाई के सम्बन्ध में जो मांगे रखी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऊपर से जो पैसा चलता है उसका यदि सुचारु रूप से इस्तेमाल किया जाय तो न विरोधी दल को ही कोई शिकायत रहे और न इस पक्ष को कोई शिकायत रहे। इसलिए मैं कुछ सुझाव आपके समक्ष रखता हूं। पहला सुझाव यह है कि नलकूप विभाग में जो आपरेटर्स रखे जाते हैं, उन्हें एक नलकूप पर एक ही रखा जाए न कि एक-एक आपरेटर को दो या तीन नलकूप दे दिये जाएं। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो आपरेटरों की ड्यूटी के बारे में है। रात को बिजली आती है और रात को ही नलकूप चलते हैं, उस समय रात में नलकूप खराब होने पर जब आपरेटरों की तलाश की जाती है, तो वे कहते हैं कि हमारी ड्यूटी शाम के 5 बजे तक की है, इसलिए हम इस समय नलकूपों पर ड्यूटी नहीं देंगे। अत: नलकूप के चलने के समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी ड्यूटी उन पर रहनी चाहिए, ताकि जो नलकूप नित्यप्रति बिगड़ते रहते हैं, वे समय पर ठीक हो जाया करें। होता यह है कि रात के लिए वे किसानों को चाभियां दे जाते हैं, वे वहां मौजूद नहीं रहते हैं।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि हर नलकूप का जो क्षेत्र है, उसके घंटे बांट दिए जायं, ताकि वहां पर जो झगड़ा फसाद पानी लेने के लिए होता है, वह न हो और नलकूपों से समयानुसार सभी को पानी मिल सके। इसके अलावा मेरा सुझाव यह भी है जो नलकूप कई सालों से बन्द पड़े हैं, उनको शीघ्र ठीक कराया जाए। हमारे जिले आगरा में फतेहाबाद तहसील में 5 ट्यूबवेल जो बने थे, जिनको बने 15 साल हो गए, बन्द पड़े हैं। न उनकी कोई देख-रेख है न उसे चालू करवाने का कोई इन्तजाम है। उनको चालू कराया जाए।

इसके अलावा मेरा सुझाव यह भी है कि पैसे की भी कुछ बचत करनी चाहिए और उस बचत के हेतु मेरा सुझाव है कि नलकूपों के लिए जो जमीनें ली जाती हैं, उनका मुआवजा दिया जाता है। जबकि हर गांव में बचत की जमीन पड़ी रहती है। यही जमीन उसके लिए दे दी जाया करे, तो मुआवजे पर होने वाला व्यय बच सकता है। नलकूप के दो विभाग हैं––रिंग और नलकूप, जिस तरह से बिजली विभाग में रूरल विभाग और दूसरे विभाग को मिलाकर एक कर दिया गया है, उसी तरह से इसमें भी मिलाकर एक ही कर देना चाहिए। इससे आपरेटरों को सुविधा हो जाएगी तथा दूसरे अन्य कामों में भी सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा नलकूप विभाग में एक आपरेटर होता है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, फिर एक जिलेदार और उसके ऊपर एस० डी० ओ० होता है। इस व्यवस्था से मैंने अनुभव किया है कि इसमें जूनियर इंजीनियर का कोई काम नहीं पड़ता है। इसलिए इस पोस्ट को खत्म करते हुए उस पैसे की बचत की जाए। इस साल 1974-75 में नलकूपों को पूरे समय बिजली नहीं मिली है और आप नहरों को भी समय पर नहीं चला सके हैं। इसलिए सिंचाई की जो वसूली किसानों से की जाय, उसमें उनको राहत दी जाए, ताकि उनको सहूलियत मिल सके।

एक मेरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार से आपने उद्योग विभाग को प्रधानता दी है उसी प्रकार से कृषि को प्रधानता दें। जिस रेट पर बिजली उद्योग विभाग को दे रहे हैं उसी रेट पर कृषि विभाग को बिजली दें। इससे काश्तकारों के साथ रियायत होगी और काम करने में सहूलियत होगी।

नहरों के बारे में मेरा सुझाव यह है कि नहरें जो हर साल खुदवायी जाती हैं उनका पैसा बेकार जाता है। उनकी खुदाई में जो पैसा खर्च किया जाता है, उन नहरों को पक्का कर दिया जाय जिससे पानी की बचत हो और हर साल खुदाई में जो पैसा जाता है, वह बच सके। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी ने जो मांग पेश की है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा है कि मेरे सुझावों पर मन्त्री जी विचार करेंगे।

इसके साथ-साथ एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। वह यह है कि फतेहाबाद एक में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र है। मैं यह मांग करता हूं कि उस क्षेत्र में कम से कम 200 ट्यूबवेल इस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किए जायं। और एक नहर जिसका सर्वे कोटरा-गांव से निकलने का हो चुका है, अधिकारी वर्ग के विचाराधीन है। उसको स्वीकार करने की कृपा की जाय ताकि सारे क्षेत्र की समस्या जो सिंचाई की है, वह हल हो सके।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)––

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि सिंचाई के अनुदान पर आपने चन्द मिनट का मौका दिया है। इसमें मैं अपनी थोड़ी सी बात कहूंगा। जाहिर है कि इस कम वक्त में बहुत लम्बी बात नहीं कही जा सकती। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह देश

[श्री जाफर आजमी]

किसानों का देश है, खेतिहरों का देश है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रान्त है, 9 करोड़ इन्सानों का यह प्रदेश है जिसकी सबसे बड़ी आबादी का उसके जरियामाश का इनहिसार खेती पर ही होता है। इस की तरफ हमें जिस तरीके के तवज्जह देनी चाहिए, वह तवज्जह दी नहीं गयी। हमारी योजनायें बनी और योजनायें बनती रहीं लेकिन वह पूरी नहीं हुई। टाइम बाइन्डिंग का खयाल नहीं किया गया कि जो योजनायें बनायी गयीं वह पांच साल के अन्दर पूरी की जायेंगी या नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो यही कहना है कि हमारी योजनायें तो बनी हैं लेकिन टाइम की पाबन्दी कुछ भी नहीं हुई। इस वजह से पैसे का ज्यादा खर्चा पड़ा। जैसे-जैसे साल आगे बढ़ा मुद्रा की कीमत गिरी। मिसाल के तौर पर अर्ज करूं, बेलथरा रोड से एक नहर निकल रही थी। चार करोड़ की थी, और अब 16 करोड़ की हो गयी होगी। अब तक पड़ी हुई है। थोड़ी सन्तोष की बात कह दूंगा कि पिछले साल से वहां काम शुरू हो गया है।

मान्यवर, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बहुत अहम है। चूंकि इर्रीगेशन के साथ पावर का रिश्ता जुड़ा हुआ है तो मजबूरियां आ जाती हैं। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट कहता है कि बिजली डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और बिजली डिपार्टमेंट कहता है कि इर्रीगेशन की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट और पावर का मिनिस्टर एक होना चाहिए।

मैं आपसे एक बात और अर्ज करना चाहूंगा। जैसा कि माननीय राम अधार जी ने कहा है कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ों को दे दिया गया है। यह हमारे प्रान्त का हिस्सा है। मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन जितना रुपया उधर लग जायेगा उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना कि अगर वह रुपया पूर्वी प्रदेश को दे दिया गया होता तो अच्छा काम किया जा सकता था। पैसे का सही इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। मुझे कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है कि पहले ठेकेदार कमीशन 5 परसेंट दिया करता था लेकिन अब उसका रेट बढ़ गया है और वह 20 परसेन्ट तथा 22 परसेन्ट देता है। मैं जानता हूं कि बहुत से इन्जीनयर ठेकेदारों से कमीशन के एवज में अपना काम कराते हैं। हां यह जरूर है कि पिछले एक साल से कुछ सम्भला है। मैं माननीय मन्त्री जी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने 80 करप्ट आफिसरान को मुअत्तिल किया और कुछ को सर्विस से अलग किया। लेकिन फिर कुछ ऐसे घोटाले के केसेज हैं और ऐसे मसले हमारे सामने आये हैं कि जो मामला पकड़ कर आया है उसकी फाइल में से कागजात निकाल कर उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक करोड़ 58 लाख रुपये का घपला है लेकिन कसूरवार को बचाने की कोशिश की जा रही है।

जहां तक लिफ्ट योजनाओं का सवाल है, जो योजनायें आप बना रहे हैं। मैंने पिछले साल भी कहा था कि जब आप इन योजनाओं की बना रहे हैं तो क्या इनके लिए पम्प का भी इन्तजाम किया है? क्योंकि आपकी बिजली का क्या भरोसा है। आपको लिफ्ट योजनाओं के लिए इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे आपका बनारस हो, टोंस हो या टांडा हो।

अब कुछ और भी सुझाव देना है। आजमगढ़ जिले में जो ट्यूबवेल लगाये गए हैं वहां अब शारदा सहायक भी जा रही है। वहां एक इलाका ऐसा है जिसमें 50 साल तक पानी नहीं पहुंच पायेगा। आप उस एरिया को ट्यूबवेल का एरिया भी घोषित कर दें। शारदा सहायक भी वहां नहीं जाने देंगे और ट्यूबवेल भी नहीं बनायेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप आजमगढ़ और पूर्वी प्रदेश की तरफ खास तौर से ध्यान दें। बनारस की खास बात है। वहां पर मुख्य मन्त्री त्रिपाठी जी थे तो उन्होंने वहां काफी साधन करा लिए हैं। (आवाजें-खासकी एक तहसील चन्दौली में) चन्दौली में उन्होंने सिंचाई के अच्छे साधन करवा लिये हैं। जिधर का मुख्य मन्त्री हो गया उधर ही सारा रुपया चला गया। लेकिन हम कहां जायें। हमारा तो कोई मन्त्री भी नहीं है।

एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत सी हमारी योजनायें खटाई में पड़ गई हैं। एक बात मुझे यह कहनी है कि एक महकमा ऐसा है जिसका मरकज कलकत्ता में है। वह गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा सारी स्टेट के लिए वहीं से तय करता है कि किस को कितना मिलेगा। इसमें देर होती है। सब योजनाओं में नक्शा बनाना पड़ता है। नक्शा जो बनाते हैं उनके अलावा दूसरे लोग काम कराते हैं जिससे दिक्कत होती है। यह योजना में नक्शा कैसे फिट होगा जब उनकी समझ में नहीं आता। तब नक्शा बनाने वालों को ही भेजा जाता है। इसलिए जिस आदमी से नक्शा बनवाया जाए उसी से काम भी करवाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहूंगा कि असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स एडहाक बेसिस पर रख लिए जाते हैं। वह समझते हैं कि हमारी सर्विसेज मुस्तकिल नहीं हैं इस लिये वह काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसलिए वह काम नहीं करते हैं। इसी तरह से फोर्थ क्लास इम्पलाईज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे कई हजार लोग हैं। उनको मुस्तकिल किया जाना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे हैं कि उनको हटाने से भी बाज नहीं आते हैं। बड़े अफसर तो वहां जायेंगे नहीं, छोटे अफसरों को ही जाना पड़ता है और उन्हीं को परेशानी उठानी पड़ती है। मैं अर्ज करूंगा कि फोर्थ क्लास इम्पलाईज को काम में साझेदारी दी जाए। उनकी सर्विसेज मुस्तकिल की जायें। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस तरफ मजबूत कदम उठायें। भ्रष्ट अधिकारियों को अगर आप बरखास्त करें तो मैं आपको बधाई दूंगा। जब मुख्य अभियन्ता एवं सचिव अलग-अलग हो गये तो मैंने महसूस किया कि कार्य में कुछ प्रगति हुई है और कुछ घपले कम हुए हैं। आगे आने वाले सालों में भ्रष्टाचार को दूर करें और जो हमारी योजनायें हैं, उनको शीघ्रता के साथ कार्यान्वित करें ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके और जो हम बाहर के देशों में जाकर अनाज की भीख मांगते हैं, वह न मांगनी पड़े। अब मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं —

चमन में रह के भी गुलशन परस्त बन न सके।
खेंजा रसीदा वह फसले बहार क्या देखें ॥

श्री बादाम सिंह (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आज हमारे प्रदेश की जनता, 85 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था होना बहुत ही अनिवार्य है। खेत में चाहे जितना बढ़िया बीज, चाहे जितनी खाद डाली जाए जब तक पानी नहीं होगा सारी मेहनत बेकार जाएगी। मान्यवर, सरकार ने परियोजनायें बहुत सी बनायी हैं जिससे ऐसा मालूम होता है कि सिंचाई भली भांति से हो सकेगी, परन्तु खेद की बात है कि यह कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो सका है। मान्यवर, सिंचाई के जो छोटे कर्मचारी हैं जैसे पतरौल, ये किसानों को बहुत परेशान करते हैं। जो वास्तविक आबपासी होती है उसको नहीं लिखते हैं। कहीं की आबपाशी कहीं दर्ज कर देते हैं जिससे किसान को बड़ी दिक्कत होती है। इस सम्बन्ध में मैंने सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध भी किया था कि इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसी प्रकार से नलकूपों में वहां जब परचा बनता है तो नलकूप आपरेटर 5 रुपये बीघे के हिसाब से लेता है और किसानों से जबरदस्ती मांगता है। हमारे जिला बरेली में एक आंवला तहसील है जिसमें बहुत से नलकूप हैं परन्तु गूल न होने के कारण सिंचाई नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में खेती की बहुत बड़ी हानि हो रही है और निजी नलकूपों के लिए बिजली देने का समय अव्यवस्थित है जिससे कोई लाभ खेती को नहीं मिल पा रहा है।

[श्री बादाम सिंह]

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि ट्रान्सफारमर चोरी चले जाते हैं। इसको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि गांव के निकट इनको लगाया जाये। जिससे अगर किसी ट्रान्सफारमर की चोरी होती है तो जो समय, वहां के अधिकारियों को दूसरा लगाने में 2-3- महीने लग जाता है, वह न लगा करे।

बिजली की दरों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं सरकार ने 15 रुपया प्रति हार्स पावर कर दिया है जिससे बिजली बहुत मंहगी हो गई है और उससे किसानों को अपने ट्यूबवेल्स चलाने में बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इन दरों को कम करके 5 रुपया प्रति हार्स पावर कर दिया जाय।

जहां तक नहरों द्वारा सिंचाई का सम्बन्ध है, गूलों की बिलकुल भी सफाई नहीं हो पाती है। दूसरे बड़े-बड़े किसान गूलों को काट लेते हैं उससे जो छोटे काश्तकार होते हैं, या टेल एंड पर जो पड़ते हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता है। अगर काश्तकारों की सिंचाई का टाइम मुकर्रर कर दिया जाय तो गूलों की सफाई हो सकती है। आज झालें टूट गई हैं, कृषकों ने कई प्रार्थना-पत्र दिए लेकिन एक्जीक्युटिव इन्जीनियर ने कोई सुनवाई नहीं की। आज किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

देखने में यह भी आया है कि हमारी जो राम गंगा कालागढ़ की योजना है, उसमें 50-60 करोड़ रुपये की मशीनें बेकार पड़ी जंग खा रही हैं, उन्हें अभी तक खोला भी नहीं गया है। इसी प्रकार से 5 सौ टन लोहा मुरादाबाद के व्यापारियों की सांठगांठ से खरीदा गया है। इससे भी लाखों रुपयों का नुक्सान हुआ है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर शारदा सहायक परियोजना में विजीलेन्स द्वारा इन्क्वायरी कराई जाय तो कम से कम 1 करोड़ रुपये का घपला निकलेगा जिसमें मिट्टी का काम ऊंचे रेट से कराया गया है।

इसके अतिरिक्त स्टोर की व्यवस्था भी बहुत खराब है। जो वहां पर पुर्जे खरीदे जाते हैं, वे भिन्न-भिन्न सप्लायर्स से भिन्न रेटों पर खरीदे जाते हैं। मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक सैन्ट्रल स्टोर होना चाहिये। चूंकि सिंचाई विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है इसलिये इसको ठीक ढंग से चलाने की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा इस विभाग में भ्रष्टाचार को भी मिटाने की बहुत आवश्यकता है। नहरों के प्रबन्ध में बड़ी ही दुर्व्यवस्था है। जगह जगह पर उनको काट दिया जाता है जिससे न तो सिंचाई होती है और वह पानी इधर उधर बह कर बेकार हो जाता है।

जहां तक छोटी छोटी सिंचाई योजनायें हैं, उनके बारे में सरकार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये जिससे प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र बढ़ सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री राम जी सिंह (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि सिंचाई के अनुदान पर आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है। मान्यवर, यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां की आबादी को देखते हुए जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 86 प्रतिशत, खेती पर निर्भर करता है, सिंचाई क्षेत्र बहुत कम है। यह सही है कि प्रदेश में सिंचाई के साधन कुछ हुए हैं लेकिन फिर भी जितने होने चाहिये, उनके मुकाबले में नहीं हुए हैं।

जहां तक मेरी जानकारी है गाजीपुर जिले में खासतौर से जिस इलाके का मैं रहने वाला हूं--जमानियां तहसील का, वहां सिंचाई के नाम पर एक जमानियां लिफ्ट कैनाल है। जितना बड़ा रकबा उसके सिंचाई के क्षेत्र में दिखाया गया है दरअसल उतने रकबे की सिंचाई उससे हो नहीं पाती। आज भी सूखे के एक झटके से पूरा इलाका तबाह हो जाता है। इसके

अलावा एक दूसरी नहर है जो चन्द्रप्रभा कैनाल से सम्बद्ध है। जमानियां कैनाल थोड़ी दूर पर ही उससे सम्बद्ध है लेकिन उससे अलग कर के उसे बनारस डिवीजन में जोड़ दिया गया है जिससे जमानियां के किसानों को बहुत परेशानी होती है। चन्द्रप्रभा की नहर जमानियां तहसील में बनी हुई है। अगर वह जमानियां पम्प कैनाल के साथ जोड़ दी जाय तो वहां के किसानों की परेशानी बहुत कुछ दूर हो सकती है क्योंकि चन्द्र प्रभा नहर में पानी न होने के कारण सारा इलाका सूखे से तबाह है। इसके अलावा जो नहरें बनायी गयी हैं, उनका हेड तो बहुत नीचा है और टेल ऊंचा होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता और पूरा इलाका सूखा रहता है। बार बार कहने पर भी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि जो नहरें गलत ढंग से बनी हुई हैं, उनकी जगह पर ट्यूबवेल लगाये जायं तो किसानों की भलाई हो सकती है और पैदावार में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

इसके अलावा जो महालेखा परीक्षक नियन्त्रक की पुस्तिका मिली है, इसमें अलाभकर रिगों के रखरखाव पर जो फिजूलखर्ची हुई है उसका जिक्र है। दो लाख रुपये प्रति रिग की दर से कुछ मशीनें खरीदी गयीं। ये मशीनें फालतू और काम के अयोग्य घोषित कर दी गयीं। मार्च, 67 में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश ने इनकी सार्वजनिक नीलामी की स्वीकृति दे दी। फिर भी इन मशीनों को उपयोग में लाया जाता रहा और इनके कुल रखरखाव पर 7 लाख 15 हजार रुपया खर्च हुआ जबकि ये मशीनें बिल्कुल आयोग्य घोषित हो चुकी थीं। इस तरह पता चलता है कि जो भी पैसा खर्च होता है वह सिंचाई के साधन जुटाने में नहीं बल्कि फिजूलखर्ची में जाता है जिस से किसानों को कोई लाभ नहीं होता और बड़े-बड़े अफसरों के कारनामे से सरकार बदनाम होती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो भी अधिकारी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

गाजीपुर जिले में सिंचाई विभाग में, जैसा कि मालूम है, बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। उसमें कई अधिकारी और दूसरे कर्मचारी निलम्बित भी किये गये हैं। लेकिन निलम्बित करना या ट्रांसफर करना कोई सजा नहीं होती। बल्कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को सर्विस से निकाल देना चाहिये और नियम भी इस तरह का बने कि अगर भ्रष्ट अधिकारी पाया जायगा तो उसकी सम्पत्ति भी कुर्क होनी चाहिये क्योंकि बेजातौर से उसने उस संपत्ति को इकट्ठा किया है। मैं खासतौर से गाजीपुर जिले में देवकली पम्प कैनाल की चर्चा करना चाहता हूं। वहां जब चकबन्दी हो चुकी तो बड़ी चौड़ी नहरें खोदी जा रही हैं। इससे किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। चूंकि चकबन्दी हो चुकी है, छोटे छोटे काश्तकारों की जमीन आज नहर विभाग ले रहा है। मैं चाहूंगा कि उस इलाके में फिर से चकबन्दी करायी जाय और चकबन्दी से कटौती कर के जमीन ली जाय नहीं तो छोटे किसान उजड़ जायेंगे। मान्यवर, गाजीपुर जिले में और खास कर सैदपुर तथा मोहनदीपुर इलाके में जो भी नलकूप लगाये गये हैं, वे बेकार पड़े हैं। कोई अधिकारी उन्हें देखने के लिये कभी नहीं जाता है। मैं चाहूंगा कि उनकी मरम्मत करायी जाय ताकि पानी का संकट दूर हो सके, सिंचाई की व्यवस्था हो सके।

गाजीपुर उन इलाकों में है जो बहुत पिछड़े हुए कहे जाते हैं। जो यह पुस्तिका मिली है इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी साधनों से 30 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था दिखाई गयी है, मगर गाजीपुर में मुश्किल से 8 फीसदी ही सिंचाई हो पायी है। पिछले बजट के दौरान भी मैंने कहा था कि जमानिया तहसील में लिफ्ट योजना चालू करने से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। उसके लिये वहां से एक प्रोपोजल आया भी, मगर पता नहीं उसका क्या हुआ? पूरा इलाका आज भी सिंचाई के अभाव में तबाह हो रहा है। बहुत से इलाकों में रबी की बुआई तक नहीं हो पायी है। जमानिया पम्प कैनाल में 360 क्यूसेक पानी की क्षमता है। इस क्षमता को बढ़ाने के लिये एक प्रपोजल आया था,

[श्री रामजी सिंह]

मगर वह खटायी में पड़ गया। उसकी क्षमता बढ़ाने के लिये कार्यवाही अविलम्ब होना चाहिये।

रेवतीपुर ब्लाक में ताजपुर-कुर्रा, भतौरा में कोई नलकूप नहीं है। जमानिया तहसील में केवल 8 राजकीय नलकूप हैं। मेरी मांग है कि जहां जिन इलाकों में एक भी राजकीय नलकूप नहीं है, वहां नलकूप लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये तथा नहरों की भी व्यवस्था की जाय। जो नहरें मौजूद हैं उनकी भी मरम्मत व सफाई होनी चाहिये। मरम्मत न होने के कारण नहर बीसों जगह से कट जाती है और तमाम पानी बरबाद चला जाता है। उनको देखने के लिये कोई अधिकारी नहीं जाता है। जो किसान पानी नहीं भी लेता है उससे भी पानी का कर लिया जाता है।

गाजीपुर जिले में देवकली पम्प कैनाल जो बनी है उसके लिए चकबन्दी के अन्तर्गत किसानों की जो जमीनें ली गयी हैं, उससे किसानों को बहुत परेशानी है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रामजी सिंह--

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

सदन में कोरम नहीं है, श्रीमन्।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे नोट करेंगे और उसका निराकरण करके कुछ न कुछ हल निकालेंगे। सबसे पहले मैंने कल कहा था और आज भी कहता हूं कि कृषि और सिंचाई का दामन चोली का साथ है और सिंचाई इतनी महत्वपूर्ण है कि बगैर सिंचाई के कृषि नहीं। अगर सिंचाई छोड़ दें तो आधी कृषि अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिये मैंने कल भी कहा था कि जिस रफ्तार से सरकार सिंचाई योजनायें बना रही है उस रफ्तार से हजारों सालों में भी पूर्ण भूमि को सिंचित भूमि नहीं बनाया जा सकेगा। जैसे जाड़े में किसी व्यक्ति को स्वेटर पहना दें और स्वेटर के ऊपर कोट पहना दें और उसके ऊपर ओवर कोट पहना दें, सिंचाई की इसी तरह से व्यवस्था चल रही है। मैंने कल भी इंगित किया था कि जहां नहरें हैं, बम्बे हैं उनके किनारे किनारे ही नलकूप और सिंचाई के कुवें बनाये जा रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि उससे उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हो सकती है लेकिन अगर ये नलकूप और कुवें ऐसी जगह बनवाये जाते जहां नहरें और बम्बे नहीं पहुंच सके हैं तो इससे अनुपात में ज्यादा उत्पादन कृषि का हो सकता था। इसलिये मेरा सुझाव है कि ये नलकूप और बम्बे ऐसी जगह बनाये जायं जहां गुलें और बम्बे नहीं पहुंच सके हैं। इससे कृषि का उत्पादन ज्यादा हो जायेगा।

इसके अलावा हमारे प्रदेश में आम शिकायत है कि जो पतरौल लोग हैं वे घर बैठे ही सिंचाई लिखते रहते हैं और इस तरह से किसानों की सिंचित भूमि को असिंचित और असिंचित भूमि को सिंचित लिख देते हैं जिससे इस तरह के तमाम घपले होते रहते हैं। माननीय मंत्री जी विशेष तौर पर इस तरह के सरक्युलर इश्यू करें ताकि मौके पर जाकर वे सिंचाई को देखें कि किस क्षेत्र में सिंचाई हुई है और किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं हुई है और उसको सही सही दर्ज करें। हमारे किसान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामले ले जाना चाहते हैं कि

यह कौन सा तरीका है, यह कौन सा न्याय है कि जहां पर सरकारी नहरों और राजकीय नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है, और सिंचाई फसल की एक बार नहीं, कई बार होती है वहां एक बार पानी देने के बाद दूसरी बार पानी नहीं मिलता है, फसल सूख जाती है जिससे किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के बावजूद उनसे सिंचाई वसूल की जाती है। होना यह चाहिये कि सिंचाई तो वसूल ही नहीं की जानी चाहिये उसके बदले उल्टे उनको हरजाना दिया जाना चाहिये। सरकार ने एक प्रकार से यह अनुबंध कर रखा है कि हम तुमको पानी देंगे और तुम हमको आबपाशी दोगे। तो जब किसान को पानी नहीं मिलता है और उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो उसके लिये उसको हरजाना अवश्य मिलना चाहिये। किसान लोग इसके लिये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुचने की बात सोच रहे हैं। आपने इकरार किया है कि पानी देंगे, पानी समय पर नहीं जाता है, किसान की फसल सूख जाती है। तो मेरा सुझाव है कि सरकार को इसके लिये हरजाना देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं ने इटावा में पुंजा माइनर और नंदपुर माइनर आदि को बढ़ाने के लिये तथा तमाम जगह कुलावें बढ़ाने की दरख्वास्त दी थी। लेकिन दरख्वास्त नामंजूर की गयी तो मैं समझता हूं कि सरकार सीरियसली सिंचाई का प्रबंध नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि नहर सिस्टम को नलकूपों से दूर रखा जाय। इस तरह से सिंचाई ज्यादा भूमि की हो सकेगी। अगर नहरों से फसल सूख जाती है तो नहरों को नियमित कर दिया जाय जिससे सिंचाई आसानी से हो सके। गांवों में नलकूप जहां सिंचन क्षेत्रों में लगे हुये हैं, उनको असिंचन क्षेत्रों में ले जाया जाय, यह सुझाव मैं देना चाहता हूं। इसके साथ साथ जिला बुलन्दशहर में, मथुरा डिवीजन में, माठ ब्रांच जिसको सन् 58 में खारिज कर दिया गया था, पुनः आश्वासन दिया गया है कि इसको चालू कर दिया जायगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसको कब तक चालू कर दिया जायगा। मंत्री महोदय इसकी जानकारी देने की कृपा करें।

इसी के साथ मैं ने एक शिकायत राजघाट बांध के सम्बन्ध में की थी। यह बांध ललितपुर में बेतवा पर बनाया जा रहा है। इसमें काफी घपला किया जा रहा है। वर्क आर्डर से काम किया जा रहा है जबकि टेंडर इनवाइट करके इस काम को किया जाना चाहिये था। लाखों रुपयों का घपला इसमें किया जा रहा है। इस प्रश्न का सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

इसके साथ साथ आगरा, मथुरा जिले में पानी देने के लिये चंबल योजना चालू की गयी थी। इस पर बहुत बड़ी मात्रा में धन व्यय हो चुका है। इसको सरकार को जल्दी पूरा कर देना चाहिये।

इसी के साथ-साथ मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। शहरों में काफी गंदा पानी होता है। इसका दुरुपयोग हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस गंदे पानी का उपयोग सिंचाई के लिये किया जा सके तो उससे उत्पादन काफी बढ़ेगा और पानी बेकार न जाकर सिंचाई के काम आ जायगा। दिल्ली में जमुना के इस पार जहां काफी गंदा पानी निकलता है, इसका उपयोग सिंचाई के काम में किया जा सकता है। इसी तरह से बहुत से शहरों में ऐसा पानी सब बेकार हो जाता है इसका उपयोग सिंचाई के लिये किया जा सकता है।

मैं भ्रष्टाचार के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सी जगहों पर पतरौल मन माने ढंग से सिंचाई लिख देते हैं। इसलिये सरकार को एक सरकुलर इस पर निकालना चाहिये। इसके अलावा खंदी करवा दी जाती है। कहा जाता है कि किसान नहरों में यह खंदी कर देते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है, सरकारी कर्मचारी रुपया लेकर स्वयं खंदी करवा देते हैं और 2–3 घंटे बाद कहते हैं कि इसको बंद कर दो नहीं तो हमारे ऊपर आफत आ जायगी। तो इस तरह से जो खंदी बनायी जाती है उससे जो पानी लिया जाता है उसका 3/4 भाग

[श्री गोरे लाल शाक्य]—

पानी व्यर्थ चला जाता है। इसलिये मेरा कहना है कि यह पानी जो अमृत है, नेक्टर है एलेगजाइर है उसका उपयोग ठीक से किया जाना चाहिये। इसी के साथ मैं ज्यादा सुझाव न देकर अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने बोलने का समय दिया। हमारे 1975–76 के बजट में जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया था उसमें मान्यवर, खेती को ही टाप प्राइरिटी दी गयी थी। इसके माने यह हैं कि सिंचाई की अहमियत को बढ़ावें और उसको प्राइरिटी दें। खेती की तरक्की का जहां तक सवाल है, उसमें सिंचाई के अलावा खाद, बीज और जुताई की जरूरत है। यदि यह चीजें कुछ कम मात्रा में भी हो तो भी मैं समझता हूं कि धरती माता कुछ न कुछ पैदावार दे देती है। लेकिन यदि खाद पूरी हो, जुताई पूरी हो और बीज अच्छा हो किन्तु सिंचाई बिल्कुल न हो तो तीनों के बावजूद भी कोई भी पैदावार नहीं ले सकता है। इसलिये सिंचाई की अहमियत को देखते हुये इसके लिये जितना ज्यादा पैसा दे सकते हैं, वह इस सदन को देना चाहिये।

मान्यवर, जो यह प्रोग्रेस रिपोर्ट सिंचाई विभाग ने पेश की है उसमें मैं मंत्री जी और कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि जिलेवार और एरियावाइज उन्होंने बहुत तफसीली से, जितनी योजनायें चल रही हैं, उन पर, रोशनी डाली है। उससे अंदाजा होता है कि पिछले साल सूबे के दूसरे विभागों के मुकाबले में पैसे की कमी के बावजूद भी इस विभाग में कुछ काम हो सका है जबकि पैसे की कमी के कारण दूसरे विभागों में कोई काम नहीं हो सका। पिछले साल 5 लाख एकड़ जमीन और ज्यादा सींची गयी थी। इस के अलावा इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि आजादी के बाद 1947–48 में करीब 68 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी। लेकिन अब 1974–75 में 171 लाख एकड़ जमीन सेहराब होने लगी है इसलिये जब से 4 लाख एकड़ हर साल इसमें सिंचाई के लिये जमीन बढ़ती रही है। लेकिन यदि पूरे सूबे का अंदाजा लगाते हैं तो उसमें कुल 30 प्रतिशत ही रकबा ऐसा है कि जो अब तक सिंचाई विभाग के द्वारा सिंचाई के काबिल बन सका, जो कि बहुत कम है। यदि पैदावार लेना है तो मैं माननीय अपने सब साथियों से अपील करूंगा कि इस विभाग को ज्यादा से ज्यादा कोआपरेशन दें और ज्यादा से ज्यादा धनराशि जो मांगी गयी है, उसमें कंजूसी न करें और उसको खुशी से मंजूर करें।

मान्यवर, इस विभाग ने इतने दिनों के बाद भी पूरे सूबे का 30 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचाई योग्य बनाया इसलिये इसकी पिछले दिनों की जो प्रणाली होगी उसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट रहा होगा, वरना इतना कम एरिया नहीं होना चाहिये था। मैं समझता हूं कि इसमें आफिसरों की जहनियत रही है कि कुल सूबे के लिये जितने ट्यूबवेल मंजूर किये मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि मान लीजिये 100 ट्यूबवेल्स मंजूर हुये और जिलों में उनको बांटा गया। अब एक जिले में 30 ट्यूबवेल आये, अब उनकी जहनियत यह रहती है कि टारगेट को पूरा कर दो और वह ऐसी जगह ट्यूबवेल्स लगा देते हैं जहां 8 या 10 दिन में ट्यूबवेल लग सकें। इस तरह से हमारे सूबे के वह एरियाज जो पिछड़े हुये हैं, जहां ट्यूबवेल्स बहुत दिनों में लगते हैं या स्पेशल मशीनों से लगते हैं, जहां पत्थर है, रेत है और नदियां हैं उन इलाकों में बिलकुल नहीं लग पाये हैं उन इलाकों में न लगा कर सिर्फ टारगेट को पूरा करने के लिये वहां पर लगा दियेजाते हैं जहां पर प्राइवेट ट्यूबवेल्स लग सकते हैं। जहां पर प्राइवेट ट्यूबवेल्स लग सकते हैं वहां जरूरत नहीं होती कि वहां पर सरकारी ट्यूबवेल्स भी लगाये जावें क्योंकि अगर किसान को सबसीडी दी जाय, कर्जे दिये जावे जैसे पहले भी देते रहे हैं तो हर किसान सरकारी ट्यूबवेल के बजाय प्राइवेट ट्यूबवेल लगाना जरूरी समझेगा। तो किसानों को कुछ इनसेन्टिव देना चाहिये और उनको कर्जा आसानी से देना चाहिये। अभी हमारे अपोजीशन के साथी

कह रहे थे कि यह कर्जा जो बैंक किसानों को देती है, वह किसानों को न देकर वह उन फर्मों को देती है जिनसे वह मशीनें खरीदते हैं। सिंचाई मंत्री जी से मीटिंग में मैंने कहा था कि किसानों को सीधे कर्जा मिलना चाहिये। मुझे आशा है कि आइन्दा से यह जरूर हो जायगा कि किसानों को सीधे पैसा मिल जाया करेगा और पम्पिंग सेट के लिये जो दो हजार में लगता है वह डेढ़ हजार रुपये में कम से कम मिल जायगा और किसान को सहूलियत हो जावेगी। तो ऐसे इलाकों में जहां पर मैदानी इलाका है और जहां पर प्राइवेट ट्यूबवेल्स लग सकते हैं वहां पर वह आसानी से लगा लेंगे और हमारा जो सरकारी पैसा है उससे उन क्षेत्रों में जहां ट्यूबवेल नहीं लगते हैं और फिर जहां लगते भी हैं वहां 6 महीनों में लगते हैं, उन पिछड़े हुये इलाकों में आप पूरा पानी दे दें लेकिन इस रफ्तार से तो उनका नम्बर कभी भी नहीं आयेगा कि वह पूरे तरीके से फेड अप हो जावे। मशीनें अगर यहां बनती हैं तो वह खरीदी जाये और अगर मशीनें यहां नहीं बनती हैं तो फारेन से मंगाये जाने का भी इंतिजाम किया जाय। अपने सूबे में ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम है लेकिन अपने जिले के बारे में मैं कह सकता हूं कि वहां चन्द हिस्से ऐसे हैं जहां ट्यूबवेल्स की जरूरत नहीं है लेकिन वहां एक इलाका 50 मील लम्बा और 15 मील चौड़ा ऐसा है जहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं है और हमारे जो मौजूदा मंत्री जी सिंचाई विभाग के हैं उनको उस इलाके के चप्पे-चप्पे का खूब इल्म है और इसी वजह से इन्होंने इसमें दिलचस्पी ली है और कुछ काम भी हुआ है लेकिन उस स्पीड से मशीन न होने के कारण उस इलाके को सैराब करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा इसलिये मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि वहां पर दूसरी किस्म की मशीनों का इन्तजाम किया जाय और न सिर्फ मेरे जिले के उस इलाके में बल्कि जहां भी सूबे में ऐसे इलाके हों वहां उनको सैराब करें जिससे इर्रीगेशन का परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाय।

इसके अलावा, फ्लड के बारे में मेरी अर्ज यह है कि जिस-जिस इलाके में नदियां, रेत और पत्थर हैं उनको फ्लड के लिये कुछ ज्यादा पैसा दिया जाय क्योंकि फ्लड में जो गांव पिछले साल बह गये थे, पैसा न होने के कारण वहां काम नहीं हो सका था, इस साल मैं उम्मीद करूंगा कि फ्लड के सिलसिले में ज्यादा पैसा मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा झगड़ा जो हरियाणा से ताजेवाला का जमुना का था उसके बारे में फैसला हो चुका है लेकिन अभी तक कोई असली कदम नहीं उठाया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी जब जवाब दें तो बतावें कि उसमें हम कब तक इस काबिल हो सकेंगे कि जो हमारा शेयर है हरियाणा से वह हमें कब तक मिल जावेगा।

मान्यवर, हमारे अपोजीशन के साथी मोतीलाल जी देहलवी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है और कहा है कि इस मुहकमे में भ्रष्टाचार है तो हमारे मंत्री जी ने खुद उसको तसलीम किया है कि इस मुहकमें में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिये उन्होंने क्या क्या तरीके इस्तेमाल किये हैं। यह उन्होंने बताया था कि कितने इंजीनियर्स, कितने आफिसर्स सिंचाई विभाग के उन्होंने मुअत्तल किये, यह सब उन्होंने बताया था। मैं समझता

(इस समय 3 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती सरस्वती टम्टा पीठासीन हुईं।)

हूं कि हमें मशकूर होना चाहिये कि उनकी मेहनत और ईमानदारी का यह खुला सबूत है कि उन्होंने इतने लोगों को सजाएं दीं और सभी सदस्यों से अपील की है कि वह बतायें और जहां ऐसी बात है वहां ऐक्शन लेंगे। मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ मंत्री जी ने जो मांगें रखी हैं, उनका समर्थन करता हूं।

श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, सिंचाई अनुदानों पर श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। पिछले वर्ष 74-75 के अनुदानों पर कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए मैंने सिंचाई मंत्री जी के सामने पक्षपात और भ्रष्टाचार का कुछ जिक्र किया था। आज इस सदन में मंत्री जी ने अपने विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए स्वतः इस बात को माना है कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार काफी दूर तक है और उन्होंने उसको कम करने का यथासम्भव प्रयास किया है। उन्होंने बतलाया कि उन्होंने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की। जिस सीमा तक भी वह इसमें कामयाब हुए हैं मैं उन्हें उसके लिये बधाई और धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी जब पिछले दिनों पूर्वांचलों में भ्रष्टाचार के रैकट सामने आये थे तो मैं मंत्री जी से कई बार मिला था। उसमें छोटे मोटे लोग जो कम अपराधी थे उनको तो तुरन्त सजा दे दी गयी लेकिन जो विभाग के बड़े लोग हैं, घड़ियाल है और जिनकी बड़े घड़ियालों से सांठगांठ है वह स्वच्छन्द घूमते रहे। माननीय मंत्री जी ने पिछले दिनों हमारे साथ हुई बातों में शराफतपूर्ण अपनी विवशता भी जाहिर की। उन्होंने बतलाया कि वह उन लोगों के खिलाफ चाहते हुए भी तत्काल कार्यवाही नहीं कर सकते।

मान्यवर, मैंने पिछले वर्ष अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए यह सुझाव दिया था कि प्रशासनिक उच्च सेवा में सचिव और मुख्य अभियन्ता के पद एक आदमी अपने हाथ में रखे रहा है तो यह भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है और इनको अलग-अलग करना चाहिये। सिंचाई मंत्री जी ने आधी बात तो मान ली। विभाग अलग हो गये। लेकिन मैंने एक सुझाव और दिया था कि प्रदेश के कुशल अभियन्ताओं और देश के कुशल अभियन्ताओं का एक पूल बनाना चाहिये और भारत सरकार को ऐसा सुझाव देना चाहिये कि उसी पूल में से वरिष्ठ अभियन्ता और सचिव के पद पर नियुक्ति हो। मैंने यह भी कहा था कि विशेष रूप से सचिव तो प्रदेश की सेवा से नहीं ही लेना चाहिये। आज जो कार्यवाही मंत्री जी द्वारा नहीं की जा सकी तो उसका एक कारण यह भी है कि इस पद पर प्रदेश में रहने वाले अधिकारी को ही रखा जाता है जिसके लिये यह कहा जा सकता है कि एक ही विभाग में रहने के कारण उसका कुछ से लगाव और कुछ से दुराव हो सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पिछले साल जो सुझाव दिये थे उन्हें मंत्री जी देखें और उन पर विचार करें।

मान्यवर, हमारा अपना यह मत है कि जब तक इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया जायगा कि सारे देश में कुशल अभियन्ताओं का पूल बनाकर उसमें से मुख्य अभियन्ता और सचिव के पदों पर नियुक्तियां हों तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कामयाबी नहीं मिलेगी। माननीय मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से सलाह करके भारत सरकार को यह सुझाव दें। मान्यवर, सिंचाई एक ऐसी प्रमुख समस्या है जो कि प्रदेश की ही नहीं सारे देश की है। प्रदेश कृषि और कृषि जन्य जो अन्य वस्तुएं हैं उनका सिंचाई से गहरा सम्बन्ध है। सरकार के बजट का 30 प्रतिशत कृषि सम्बन्धित समस्याओं पर खर्च किया जाता है। इनमें विद्युत् और सिंचाई प्रमुख रूप से आती हैं। कर्मचारियों पर व्यय 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है और सिंचाई या उससे सम्बन्धित कार्यों पर लगभग 30 प्रतिशत हो रहा है बाकी 30 प्रतिशत अन्य कामों पर किया जाता है। जाहिर है कि कर्मचारियों के रख-रखाव पर जो रुपया व्यय होता है, उसके अलावा जो रुपया उपलब्ध है उसमें आधा सिंचाई पर खर्च होता है जिसमें भ्रष्टाचार होता है और है भी इतना कि सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कहा जा सकता है। मैंने माननीय मंत्री जी को पिछले साल कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये कुछ सुझाव दिये थे, उनमें कुछ पर अमल करने का प्रयास किया है और इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। चूंकि इस समय समय कम है इसलिये कुछ ठोस सुझाव ही मैं देने की परिस्थिति में हूं। पहली चीज माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि स्टोर्स के खरीदने में भ्रष्टाचार होता है। यह सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार का प्रमुख अड्डा है और यहीं भ्रष्टाचार कामयाब होता है। मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि केन्द्रीय व्यवस्था की तरह यहां भी डाइरेक्टर जनरल, सप्लाई और डिस्पोजल होना

चाहिये जहां केन्द्रीय रूप से प्रत्येक सामान की इन्वेन्ट्री रखी जाय और एक सरटेन स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से पूरे सामान की सेन्ट्रल स्टोर क्रय में व्यवस्था होनी चाहिये और उनकी शाखा प्रदेश के अन्य जिलों में भी होनी चाहिये। विभाग में कितना सामान है, क्या है और कहां कहां है उसकी एक इन्वेंट्री पूरे विभाग को उपलब्ध होनी चाहिये और समय-समय पर 3-6 महीने में यह इन्वेंट्री विभाग को सरकुलेट करते रहना चाहिये ताकि अधिकारियों को इसका ज्ञान हो सके कि कहां-कहां और क्या-क्या सामान उपलब्ध है। दूसरी बात यह है कि मशीनरी के रख–रखाव पर बहुत पैसा अपव्यय होता है। जब आपके यहां वर्कशाप में विशाल पूंजी व यन्त्र लगे हुये हैं तो अधिकारीगण बाजार से सामान खरीदने और मशीनरी का रख–रखाव क्यों करवाते हैं। जाहिर है कि उनका निजी पैसा बचता है इसलिये बाजार से ठीक करवाने में इन्ट्रेस्टेड रहते हैं। मशीनों के चलाने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितनी मशीनों को बाजार से ठीक करवाने में। इसी प्रकार स्टोर्स में सरप्लस भंडार पड़ा हुआ है। अगर आप स्टोर में छानबीन करेंगे तो करोड़ों की सरप्लस चीजों का अम्बार लगा हुआ होगा जिनकी अब कूड़े के ढेर से कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार से सामान खरीदा जाता है? इस पर भी आपको कड़ी नजर रखना चाहिये।

अधिष्ठात्री महोदया एक–दो मिनट और मुझे दीजियेगा। इसी सन्दर्भ में पूर्वी जिलों में विशेषकर वाराणसी जिले में लिफ्ट इर्रीगेशन डिवीजन व मूल खंड में पिछले दिनों 30 लाख रुपये को निकालकर गबन किया गया है जिसमें अधिकांश 5 फर्मों के नाम ही पैसा विदड्रा किया गया है––(1) एशिया फेब्रीकेटर्स (2) इन्डिया फेब्रीकेटर्स, (3) भवानी शंकर, (4) ईस्टर्न ट्रेडर्स (5) इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर एजेन्सी और पोद्दार सिन्डीकेट। इसकी चेक–बुक एक सादे स्लिप पर वाराणसी ट्रेजरी से प्राप्त की गई है और उन पर स्याही पड़ी हुई है ताकि यह न पता चले कि किस अधिकारी ने कब चेक–बुक मांगी है। अक्टूबर सन् 1972 से लेकर 21 जनवरी 1973 तक लिफ्ट इर्रीगेशन में लगभग 5 लाख 77 हजार रुपये का भुगतान 15–चेकों द्वारा इन फर्मों को किया गया है। इसी अवधि में लिफ्ट इर्रीगेशन सब डिवीजन 3 में 10 लाख 59 हजार रूपये का और मूसाखाड में लगभग 15 लाख रु0 भुगतान किया गया है। इसमें वाराणसी ट्रेजरी, स्टेट बैंक और सिंचाई विभाग के सभी कर्मचारी शामिल हैं और इसकी सरकार को निष्पक्षतापूर्वक जांच करनी चाहिये। और इस लूट विभाग के उच्चाधिकारियों को पता नहीं लग सका ऐसी बात नहीं है। जब उच्चाधिकारी इतने अक्षम हैं कि उनको अपने से नीचे अधिकारियों के भ्रष्टाचार का पता न लगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी उनके साथ सम्मिलित हैं। इसलिये वह उनको पकड़ना नहीं चाहते।

माधनर इर्रीगेशन में दो नियुक्तियां ऐसी की गयी हैं, उनको एक्जिक्यूटिव इंजीनियर बनाया गया है जो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हैं। यह विभाग की बड़ी धांधली है कि क्वालिफाइड तथा पब्लिक सर्विस कमीशन से पास जो लोग हैं उनको स्थान नहीं मिला। और चार्ज नहीं मिलता है इन शब्दों के साथ मैं मोतीलाल देहलवी द्वारा प्रस्तुत कटमोशन का समर्थन करता हूं।

*श्री दीपनारायण पाण्डेय–

अधिष्ठात्री महोदया, मंत्री महोदय ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जो उपलब्धियां हैं पहले मैं उनके विषय में बतलाना चाहता हूं। वास्तव में सिंचाई विभाग ने प्रदेश के किसानों का जीवन बदलने में काफी सहयोग दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीपनारायण पाण्डेय]

है। महोदय, इस समय हमारे देश के सामने जो समस्यायें हैं विशेषकर किसानों की जिन्दगी में एक नया परिवर्तन लाने के लिये उसमें सिंचाई विभाग अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। 80 फीसदी लोग गांव में रहते हैं। जब तक गांव के लोगों की जिन्दगी में एक तब्दीली नहीं आती है उस समय तक शहरों में बड़े-बड़े मकान बनाने से, शहरों में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने से इस देश की उन्नति होने वाली नहीं है। सिंचाई विभाग की उपलब्धियां इस प्रकार हैं जहां 47 में सिंचाई क्षमता प्रदेश में 68 लाख एकड़ थी यानी 27.5 लाख हेक्टर अब वह बढ़ कर 1974–75 में 171 लाख एकड़ हो गयी है। इसके अलावा तीन बड़ी योजनायें भी पूरी हो रही हैं और उनमें भी काफी पैसा खर्च किया गया है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि सिंचाई विभाग द्वारा देश तथा प्रदेश के गांव की जिन्दगी में जितनी तब्दीली लानी चाहिये थी वह नहीं लाई गयी। सदन में कई बार यह बात कही जा चुकी है कि सिंचाई विभाग में करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है जैसे बनारस और कई अन्य स्थानों पर भी हुआ।

हमारे यहां गोंडा में भी कई मामलों में गड़बड़ी थी जिसके लिये मैंने मुख्य मंत्री जी से शिकायत भी की और यह मामला खरीद–फरोख्त से ताल्लुक रखता था। उसमें लाखों रुपयों की गड़बड़ी थी। मैं यह मान कर चलता हूं कि किसी अधिकारी के केवल तबादले मात्र से प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है जब तक कि उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही न की जाय। जिस इंजीनियर की शिकायत की उसे गोंडा से हटा दिया गया। मेरा कहना है कि ट्रान्सफर इज नो पनिशमेन्ट। अगर किसी अधिकारी का तबादला कर दिया जाय तो वह वहां जा कर भी बेईमानी करेगा। मैं यह नहीं कहता कि कुल अधिकारी बेईमान हैं, सिंचाई विभाग में सब अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं। मेरा तो यह कहना है कि जो ईमानदार हो उसे पुरस्कार मिलना चाहिये। बहुत से ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उनकी जिन्दगी में कोई उसके लिये इन्सेन्टिव नहीं है। लेकिन जो लाखों और करोड़ों रुपया जनता का खाया जाता है, ऐसे अधिकारियों को जेल में भेज देना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अब तक ऐसे कितने अधिकारियों को जेल में भेजा गया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि आप गरीब जनता की जिन्दगी में तबदीली लाना चाहते हैं, यदि आप गांव-गांव और जिले-जिले तथा प्रदेश के किसानों के खेतों में हरियाली लाना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आया जनता का पैसा ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि जितना करोड़ों रुपया आप इस पर खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए एक विजीलेन्स सेल भी बना दें जो यह देखे के जनता के पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां तक मेरे गोंडा जिले का प्रश्न है एक भी सिंचाई के लिये गतवर्ष राजकीय नलकूप वहां पर नहीं लगाया गया जब कि वह 25 लाख की आबादी का जिला है। वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। मैंने एक आपकी पुस्तिका देखी है, और मुझे उसे देखकर खुशी हुई कि उसमें गोंडा जिले के लिये कुछ प्राविधान किया गया है और कहा गया है कि गोंडा जिले में इसके लिये नई योजनायें शुरू होने वाली हैं और सिंचाई के लिये शारदा सहायक और घाघरा आदि के बाईं ओर कैनाल निकालने का इरादा है। इससे वहां के किसानों को कुछ राहत अवश्य हो जायेगी।

मान्यवर, वहां पर दो ब्लाक–कटरा और हलधर–ऐसे हैं जहां कि आजादी के बाद से एक भी ट्यूबवेल नहीं बना है। सात ब्लाकों में मेरे जिले में एक भी राजकीय नलकूप नहीं है। इससे किसानों को परेशानी होती है। आप जनता का पैसा खर्च करने जा रहे हैं। गत वर्ष आपने एक ट्यूबवेल दिया किन्तु इतने बड़े जिले में एक ट्यूबवेल से क्या होता है। मैंने इस सम्बन्ध में लिखकर भी दिया है कि गोंडा जिले के दो ब्लाकों के लिये 12 ट्यूबवेल होने चाहिये और उनकी स्वीकृति दी जाय किन्तु उस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मंत्री

जी से निवेदन करूंगा कि वे उसे देखें। मेरे जिले में जमीन अच्छी है और अगर किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले तो पैदावार बढ़ सकती है और प्रदेश की प्रगति में गोंडा जिला भी सहायक हो सकता है। सिंचाई विभाग में जो गड़बड़ियां होती हैं उन्हें मंत्री जी को सख्ती के साथ देखना चाहिये। सख्ती से मंत्री जी अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करें। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आदेश हो जाते हैं लेकिन ये ब्यूरोक्रेट उनका पालन नहीं करते हैं। इसलिये जो ब्यूरोक्रेट इन आदेशों का पालन न करें, तो चाहे कितना ही बड़े से बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो, उसके ऊपर जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यवाही होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त हमारे कुछ विरोधी भाइयों ने आरोप लगाये हैं। माननीय देहलवी साहब बोल रहे थे और उन्होंने आरोप लगाते हुये कहा कि इस क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं। मैं बतलाना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के लोग जो आरोप लगाते हैं, वे कुछ सोच समझकर लगाया करें। आपके सामने आंकड़े सारे प्रस्तुत हैं। जनतंत्र में विरोध पक्ष बहुत उपयोगी है। दूसरी बात यह है कि जो सही तथ्य हों उनको तो उन्हें स्वीकार कर ही लेना चाहिये। अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, इस मांग पर विरोध पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। एक पुस्तक मैंने देखा उससे लगता है कि सिंचाई विभाग के कुकर्म छुपाने के लिये.....

श्री बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)--

मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये, तीन दफा खड़ा हो चुका हूं लेकिन समय नहीं दिया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम योजना में 37.6 लाख हैक्टेयर की सिंचाई की क्षमता बढ़ी, द्वितीय योजना में 44.6 लाख हैक्टेयर क्षमता बढ़ी, तीसरी योजना में 51.7 लाख हैक्टेयर बढ़ी और चौथी योजना में 65.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई। कभी-कभी मेरे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी और उधर बैठने वाले भी आरोप लगाते हैं कि पहाड़ों पर ज्यादा खर्च हो रहा है। माननीया मैं कहता हूं कि पहाड़ों के हम बड़े आभारी हैं, उनके हम ऋणी हैं अगर पहाड़ नहीं होते तो गंगा, यमुना और सरयू आदि जैसी पवित्र नदियां कहां से आतीं। तो उनको जितनी भी सहायता की जा सकती है की जानी चाहिये। मैं इसमें नहीं मानता कि कोई बेईमानी है।

अब मैं एक बात कहता हूं कि यह पहाड़ और नदियों के संबंध में ऋगवेद में भी कहा है:

"पंच नद्यः सरस्वती मपयंति सस्रोतस
सरस्वतीतु पंचधा सो देशेभवत् सरित्"

तो जिस देश में सभी नाम नदियों के नाम से सम्बद्ध हों जिस देश में सारा इतिहास नदियों के नाम से सम्बद्ध हों जैसे पंजाब- जहां पांच नदियां हैं, सिंध जो सिंधु नदी से संबद्ध हो। जहां पर छोटे-छोटे नदी नाले जो हैं कुल 18 सौ हैं, यह 18 सौ प्रमुख नाले हैं जिनका इतिहास में वर्णन है जो गंगा में मिलते हैं। तो हमारे इस देश का पवित्र इतिहास नदियों पर आधारित है। जिस देश में आप सुबह उठते ही स्मरण करते हैं 'गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन संनिधं कुरु।' कहने में तो यह बड़ा सरल सा लगता है किन्तु इसका व्यापक अर्थ है। जब गंगा और यमुना का नाम लिया तो पहाड़ से लेकर-

[श्री बाबा राम नाथ]

बंगाल तक का स्मरण कर लिया। यमुना और नर्मदा का नाम लिया तो गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और राजस्थान के विशाल भू-भाग का स्मरण कर लिया। गोदावरी के नाम स्मरण से आन्ध्र आदि दक्षिण देश का चित्र साकार हो उठा। कावेरी से तामिलनाडु का पवित्रक्षेत्र। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आज जो दक्षिण के लोग तरस रहे हैं आपको याद होगा कि गंगा और यमुना को मिलाने की योजना थी उसके लिये डा० के० एल० राव ने गंगा लिफ्ट नहर योजना बनाई थी। लिफ्ट करके वह गंगा को साउथ में ले जाना चाहते थे ताकि मैसूर, कर्नाटक, मद्रास केरल तक फायदा हो सकता लेकिन उसके सर्वे में जो खर्च आया वह अरबों रुपया होता था।

आपने जो 1954 में एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की उसका लाभ कितना हुआ है। केवल 6 लाख हेक्टेयर के लिये उसकी व्यवस्था हुयी उस पर कितना खर्च हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उसमें 989 कि० मी० सीमांत बांधों को व्यवस्था हुई, 11,234 जल विकास नाले बनाये तो उसका लाभ कितना हुआ केवल 6 लाख हेक्टेयर में। तो हमारे जो ब ब प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका लाभ तब तक नहीं होगा जब तक कि उनसे आप जो वहां पर ब ब ड़े मगरमच्छ बैठे हैं उनको बाहर न निकालें।

यहां पर शारदा सहायक योजना की बात कही जाती है लेकिन उसके प्रशासक और सर्वोच्च अधिकारी कौन है जिस पर कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया? हर आदमी जानता है कि वह बहुत रिश्वतखोर आदमी है। तो ऐसे आदमी को शारदा सहायक योजना का प्रशासक बनाया गया। और हम कल्पना करते हैं कि हम उसमें तरक्की कर लेंगे। यह सब झूठ है। विश्व बैंक, यू० एन० ओ० और देश विदेश से भारी कर्जा लेकर हम सब बेकार करते जाएंगे। मैं अभी आन्ध्र गया था। एक दो महीने पूर्व की बात बताता हूं। वहां कृष्णा और गोदावरी ये दो प्रमुख नदियां हैं। वहां कृष्णा और गोदावरी के जल का जितना पूर्ण सदुपयोग किया गया है, वह हम सभी के लिये अनुकरणीय है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने अभियन्ताओं की टीम लेकर वहां जाएं और अपने अभियन्ताओं को वहां का कार्य देखें और दिखाएं। मंत्री महोदय तो आपस में बात में लगे हुए हैं, मेरी सुन नहीं रहे हैं। वहां पर इन दो नदियों के नाम पर दो जिलों का नामकरण किया गया है। वहां इन दो पवित्र नदियों के जल का इतना सुन्दर उपयोग किया गया है जो सराहनीय है। कहां आंध्र और कहां उत्तर प्रदेश, क्या हमारी भूमि उससे कम है।

हमारे यहां गंगा और यमुना के दोआब तथा गंगा और घाघरा के दोआब की ऐसी उपजाऊ भूमि है जिसकी कोई तुलना नहीं है। जब गंगा हिमालय से अथाह जल लेकर चलती है तो वह अपने साथ उत्तम उत्तम वनस्पतियों के ऐसे-ऐसे तत्व लिये रहती है, जो फसलों को और भी बढ़ा देते हैं। इसको देखकर दक्षिण के लोग तरसते हैं। उन लोगों ने अपने यहां कृष्णा और गोदावरी के एक एक बूंद का सदुपयोग किया है। मैंने वहां का दृश्य देखा विजयवाड़ा से बरहामपुर तक के 900 मील के विशाल इलाके में दोनों ओर लहलहाते, हरे-भरे खेत दिखाई दिए। धान, तम्बाकू और गन्ने के अच्छे-अच्छे खेत ख ब थे। गन्ने के खेत ऐसे ख ब थे, जैसे मिर्जापुर के बांस। हमारे ऐसे प्रदेश में जहां नदियों का जाल बिछा हुआ है, फिर भी यह दशा है—

कहीं बाढ़ से खंड प्रलय है, कहीं अवर्षण, सूखा है,

गद्देदारों को अपच और मेहनतकश नंगा और भूखा है।"

आज हमारे यहां फसलें और खेत प्यासे हैं, इन्सान प्यासा है। जहां ऐसी पवित्रतम नदियां हों, वहां पर ऐसी दशा है। मेरे एक व्यक्तिगत मित्र ने जिक्र किया। सन् 63 में मूसाखाड़ बांध बना, वहां के एक सहायक इंजीनियर ने 4 लाख रुपये का भारी घोटाला किया और अपनी रिश्वतखोरी को छिपाने के लिये उन्होंने कैश-बुक का पन्ना फाड़ दिया। मैं उनके कुकर्मों को अच्छी तरह जानता रहा, मैं उनके पीछे लगा रहा। बाद में उसे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया और छितौनी बंध पर भेज दिया गया। वहां भी मैंने उसके

बारे में निगरानी रखने का प्रयास किया कि देखें इसके चरित्र में कोई बदलाव आया है या नहीं। वहां भी कोई फर्क नहीं आया उसमें। मिर्जापुर बोल्डर की पम्पिंग में जालियों की बुनाई में उसने बड़ा भारी घोटाला किया और सीमेन्ट वगैरह हड़प गया। मैंने देखा 10 प्रतिशत का वहां सदुपयोग होता था और 90 प्रतिशत रिश्वतखोरी में जाता था। मैं भी पीछे लगा रहा। इन्होंने कहा कि उसका केस हमने सतर्कता आयोग को दे दिया है।

मैं अपने जनपद के बारे में भी बताना चाहता हूं। हमारे यहां छितौनी बांध जो है, सिंचाई विभाग का कोई भ्रष्टाचार देखना चाहे तो वह सिंचाई विभाग के मूर्तिमान भ्रष्टाचार के मूल स्रोत छितौनी बांध को देख ले, वहां के भ्रष्टाचार की, गबन घोटाले की कोई सीमा नहीं है। वहां के गड़बड़ कार्य देखने के लिये जाने कितने बार लोगों की टीमें गईं, किन्तु कोई असर नहीं पड़ा। मैं यह नहीं कहता कि इस विभाग में कुल व्यक्ति बेईमान हैं। कुछ अच्छे भी हैं। एक व्यक्ति है, जो एक कुशल प्रशासक और ईमानदार अभियन्ता है, आपने कौन सा पुरस्कार उसको दे दिया? उसका नाम है शेरसिंह। जैसा नाम है, वैसा ही उसका काम है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार का, इतने भयंकर आर्थिक संकट के समय में 1 करोड़ रुपया बचाया है। 60 लाख रुपया उसने बोल्डर का बचाया है और 40 लाख रूपया गलत एग्रीमेंट्स को रद्द करके बचाया है। इतना ही नहीं उसने अपने जीवन का भी होम किया। जब नदी के कटाव से जन धन की भयंकर क्षति हो रही थी, तो उसका जीवन संकट में फंस गया था। उसके पास बड़ी सुन्दर योजना है। समस्या है जल निकासी की। देवरिया जनपद में सबसे बड़ी समस्या वाटर लागिंग की है। इस प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है गन्ना। मैंने कई बार लिखकर दिया, अगर देवरिया जनपद में जल निकासी की व्यवस्था हो जाती तो 10 करोड़ रुपये के गन्ना का नुकसान जो किसानों का हो जाता है वह बच जाता और 30 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा चीनी के निर्यात से अर्जित करते। वाटर लागिंग से गन्ने में रेड राट हो गया है। जल निकासी की भी व्यवस्था हो जाय तो वहां की भूमि इतनी उर्वरा है, करहिया हजारी, पट्टीताल, नादह चंवर, डुम्बरभार चंवर, साखूपार चंवर, पिपरा तिवारी चंवर, माधी चंवर, बलकुरिया चंवर, घोर एरिया चंवर सिरसिया दीक्षित चंवर, बिरइठ चंवर, बनचनहीं चंवर, गोइनी चंवर, सिधारिया ताल, सोमलताल में ऐसी उर्वरा भूमि है कि अगर वहां जल निकासी की व्यवस्था हो जाय तो लाखों टन गन्ना बरखान्न बढ़ जाय।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, चौकीदार, जमादार, इनकी छटनी हो रही है। सिंचाई विभाग में कम से कम 20 प्रतिशत अफसरों की छटनी हो जानी चाहिये। कोई जरूरत नहीं है इतने चीफ इंजीनियरों, एडीशनल चीफ इंजीनियरों की। आप इस देश की कमर तोड़ रहे हैं। अगर मंत्री जी में क्षमता है तो इतने इंजीनियरों की कोई आवश्यकता नहीं है उनकी छंटनी कीजिये और छोटे कर्मचारियों की रक्षा कीजिए। आंध्र में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्यों है? इन्होंने दस-दस लाख रुपये कमा लिए हैं। ये भूखों नहीं मरेंगे। इनको निकालिए और छोटे कर्मचारियों की रक्षा कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोतीलाल देहलवी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं प्रस्तुत बजट के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं गत वर्ष से सदन की कार्यवाही देख रहा हूं जिसमें शासक दल और विपक्ष दल बजट प्रस्तावों पर विरुदावली और आलोचना की झड़ी लगाता है और उसी सन्दर्भ में दोनों

[श्री जगन्नाथ सिंह परमार]

पक्षों की ओर से प्रस्तुत बजट पर माननीय सदस्य अपने-अपने विस्तृत विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं अपने विचार विरुदावली और आलोचना से बिलकुल अलग व्यक्त करने जा रहा हूं।

माननीया, मैं सिर्फ अपने जिले की कुछ बातों को कहूंगा जिनमें मेरे जिले की, शासन द्वारा की गयी उपेक्षा का स्पष्टीकरण होगा। मैं उस झांकी को माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। महोदया, अभी जो सिंचाई प्रगति का संक्षिप्त विवरण माननीय सिंचाई, मंत्री जी की ओर से वितरित किया गया है उस को देखकर बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ कि मेरे जिले की जो स्कीमें हैं उनको किस प्रकार उपेक्षित रखा गया है। मैं उसका स्पष्टीकरण थोड़े में ही सदन के समक्ष रखूंगा। माननीया, केन नहर के लिए गत वर्ष 40 लाख रुपये शासन ने रख-रखाव के लिये स्वीकार किया था, इस साल 49 लाख उसके पुनर्निर्माण व प्रसार के नाम पर दिये हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस नहर के नाम पर दिये गये धन पर माननीय सदन और शासन भी विचार करे कि यह दिया गया धन रख रखाव में है या नये निर्माण का। मेरी समझ में यह दिया गया धन केवल नहर के रख रखाव का है जिसे नये निर्माण के लिये कहा गया है। यह नहर मध्य प्रदेश में बने बांधों से निकलती है और हमारे जिला बांदा के मध्य भाग को तरसा-तरसा कर सींचती है। गत वर्ष से यह देखा गया है कि मध्य प्रदेश शासन ने उस क्षेत्र में जहां से यह नहर निकलती है गतिरोध उत्पन्न कर दिया है। जिसे शासन स्वीकार नहीं करता है, मैं नहीं समझता कि इस नहर के निर्माण करने से क्या लाभ होने वाला जब तक इस गतिरोध वाली समस्या को सुलझाया न जाय। यह कोई बुद्धिमानी का प्रसंग नहीं है। इतनी विशेष बात के सुलझाव के बिना कोई निर्माण किया जाय।

माननीया, आगे आप इस रिपोर्ट में देखिये कि चिल्ली मल और अवगामी यह दो लिफ्ट योजनायें हैं। इनमें 98 लाख और 146 लाख रुपया सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है ओरा के डी0 पी0 ए0 पी0 में ओरा लिफ्ट के लिये 34 लाख रुपया स्वीकार किया गया है। मेरे जिले में केवल यही तीन योजनायें हैं। जिनमें दो 73-74 की है तथा दो पुरानी योजनायें हैं और भी 67-68 की जौहरपुर, और अलौआ की हैं। लेकिन इनमें बहुत कुछ नहीं हुआ। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। और इन पुरानी स्कीमों को यथाशीघ्र पूरा करवाना चाहिये।

मेरे जिले बांदा को जो हिस्सा दिया गया है वह कितना नगण्य है और उसके मुकाबले में जो हमीरपुर जिले को दिया गया है वह कितना अधिक है। सदन उसको सुनने की कृपा करे। इसमें पहली स्कीम राजघाट की है। इसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों को लाभ होने वाला है। इसमें 42 करोड़ 44 लाख रुपया दिया गया है। हमीरपुर के विकास के हिस्से में 14 करोड़ 15 लाख रुपया के लगभग आता है। दूसरा मौदहा बांध बनाया जा रहा है। उसके लिये 20 करोड़ 20 लाख रुपया स्वीकार किया गया है। तीसरा उर्बिल बांध है। इसमें 2 करोड़ 7 लाख रुपया दिया गया है। इसी प्रकार डी0 पी0 ए0 की आठ स्कीमें हैं। उनके लिये 2 करोड़ 12 लाख रुपया स्वीकार किया गया है। माननीय सदन ध्यान देने की कृपा करें कि एक जिले को तो लगभग 40 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। उसी के बगल में जिला बांदा की पुरानी दो स्कीमों को जो 73-74 की हैं छोड़कर औरा की स्कीम में केवल 34 लाख रुपया स्वीकार किया गया है। जबकि बांदा में सिंचाई एक भीषणतम समस्या है तथा जो हमीरपुर से अधिक सूखा है। शासन की तरफ से समाजवाद लाने तथा असमानता मिटाने के लिये रोज ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन जनता की आंखों में किस प्रकार धूल झोंकी जा रही है। इसका सबूत बांदा जिला हर विषय में है।

माननीया, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष 12 जून को मेरे एक प्रश्नोत्तर के मध्य में सिंचाई मंत्री जी ने कहा था कि भौरा नाम की एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम बांदा जिले में है। यह बात सत्य से परे थी। जब वह असत्य सिद्ध हुई

तो सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि उस पर विचार किया जा रहा है। माननीया, मैं आपके द्वारा शासन और माननीय सदन से कहना चाहता हूं कि इस तरह का विचार करते 27-28 साल बीत गये। बांदा जिले की समस्याओं के प्रति यदि इसी तरह से उपेक्षा की दृष्टि रखी गई तो यह अन्याय है और इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इस उपेक्षा का क्या कारण है इसको माननीय सदन जानता है और संसार भी कि जिले से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली इसी से यह हर मामले में उपेक्षा है। माननीया, इसी प्रकार नलकूप बुन्देलखंड में केवल 3 जिलों-बांदा, हमीरपुर और जालौन में बताये गये हैं उनकी संख्या 120 है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि किस जिले में कितने नलकूप हैं। यह हो सकता है कि 20 नलकूप बांदा जिले में हों और 100 नलकूप हमीरपुर में ही हों। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आगे आने वाली स्कीमों में कितने नलकूप बनाये जायेंगे। और किन-किन जिलों में उनकी संख्या क्या होगी। यह मेरा आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जहां वह कहते हैं कि पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी और वहीं वह इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह इस ओर गम्भीरता से विचार करें। मेरे जिले की समस्याओं की ओर एक बार निगाह डालें। मैं माननीय सदन में कई बार बांदा की लिफ्ट सिंचाई पर कह चुका हूं लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बांदा जिले में 5 नदियां हैं जिनके जल के उपयोग से उसे हरा किया जा सकता है। जिले में केन नदी का पश्चिमी इलाका सूखाग्रस्त है जहां जमुना, चन्द्रावल और केन नदियां हैं और यहां पर सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है। यहां पर पशु प्यास से मर रहे हैं। अछरौड़ और दुरेनी में पेय जल की योजनायें हैं जिन्हें अब तक चालू नहीं किया गया वह बन्द पड़ी हुई हैं। क्षेत्र के कुएं, तालाब सूख गये हैं। विकास के नाम पर यहां पर एक भी ईंट नहीं रखी गयी है। आजादी प्राप्त किए हुए लगभग 28 वर्ष होने को हैं लेकिन इस क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ है। शासन के पास इसका क्या उत्तर है ?

(लाल बत्ती होने पर)

माननीया, मुझे 5 मिनट का समय और देने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता--

2 मिनट का समय ले सकते हैं।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

तो माननीया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से विचार करें। भवरा स्कीम और दौलतपुर लिफ्ट स्कीम में जो शासन के विचाराधीन हैं उनको भी कार्यान्वित करने का कष्ट करें। तथा यह आग्रह करूंगा कि जो धन सिंचाई योजनाओं में दिया जाता है उसको अधिकांश सरकारी चूहे खा जाते हैं और जितना काम होना चाहिये वह आधा भी नहीं हो पाता है। मेरा अन्त में माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह मेरे जिले की ओर भी ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठ जायं।

बाबू प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)--

अधिष्ठात्री महोदया, खेती का सिंचाई से बड़ा गहरा सम्बन्ध है, किन्तु प्रतापगढ़ जिला सिंचाई के मामले में बहुत ही अल्प विकसित है। प्रतापगढ़ जिले की गणना पूर्वाञ्चल के जिलों में होने लगी है लेकिन उसका स्थान सूची में सबसे नीचे है। सिंचाई के लिए हमारे पास

[बाबू प्रभाकर सिंह]

पर्याप्त साधन नहीं है। जितनी 27 वर्षों की अवधि में सिंचाई की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है। सिंचाई के हम साधन बढ़ायें यह तो विचार करने का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि हमारे जो भी सीमित साधन हैं, जो भी हमने सिंचाई की व्यवस्था कर ली है, उसका समुचित लाभ किसान को मिलता है या नहीं। जो भी हमारी वर्तमान व्यवस्था है, उसकी 2-3 मोटी-मोटी त्रुटियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका आए दिन हमें अनुभव होता रहता है। अभी रबी की फसल के समय सिंचाई विभाग की ओर से यह सूचना हम लोगों को दी गई कि अमुक-अमुक समय पर अमुक-अमुक नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा। सभी सदस्य यह अनुभव करते हैं कि उन्नत बीज का इस्तेमाल पहले की अपेक्षा ज्यादा पानी की आवश्यकता रखता है और सच्चाई तो यह है कि हमारी नहरों में उतना ही पानी आता है जितना कि उस समय आता था जब कि हम पुराने ढंग का बीज इस्तेमाल किया करते थे। आज हमारी जरूरत बढ़ गई है लेकिन नहरों की क्षमता बहुत कम है। इन बातों को सामने रख कर प्रदेश में सिंचाई की कोई योजना बनानी चाहिए। यदि हमारी सरकार पर्याप्त मात्रा में हमारे किसानों को पानी नहीं दे सकती है तो उन्नत बीजों की वाहवाही लूटने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। सरकार के अधिकारियों को चाहिए कि वे समय से पूर्व किसानों को बताये कि फलां समय पर इतना पानी दे सकेंगे। मैं चाहूंगा कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो भी साधन हों, चाहे वे ट्यूबवेल के हों, चाहे वे पम्प नहर के हों, चाहे वे सामान्य नहरों से हों, मेरी निश्चित राय है कि उनके लिए एक कार्य-क्रम बनाना चाहिए तब तो सदन की जो आवाज है, जनप्रतिनिधियों की जो आवाज है, उसका कुछ महत्व हो सकता है वरना इसका कोई नतीजा नहीं होने वाला है कि जब चाहें और जितना चाहें उतना पानी किसान को दें।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि नहरों को काट दिया जाता है। और जिन लोगों को पानी का टैक्स देना पड़ता है, उनको पानी नहीं मिल पाता है। कभी-कभी पानी उन खेतों में भी पहुंच जाता है जिनको उसकी जरूरत नहीं होती है। होता यह है कि पतरौल और जिलेदार जाकर उन गरीबों पर टैक्स लगा देते हैं जिनके खेत में वह पानी अनायास ही पहुंच जाता है। तो एक प्रकार का झगड़ा पैदा हो जाता है। इसको सुधारने की जरूरत है। यह भी देखा जाता है कि नहरों का पानी किसी दूसरे नाले या गड्ढे में डाल दिया जाता है। उसमें नहर वालों का कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है। लेकिन अगर किसी जरूरतमन्द ने उस नाले या गड्ढे में पानी ले लिया तो उस पर सिंचाई का टैक्स लगा दिया जाता है। यह ठीक है कि टैक्स लगाया जाता है लेकिन उससे भ्रष्टाचार भी पनपता है। यह ऐसी दुर्व्यवस्था है कि जिसको दूर करने की जरूरत है। जब पानी के रख-रखाव पर कोई खर्चा नहीं होता है तो जनता टैक्स क्यों दे और अगर होता है तो फिर जो सही आदमी पानी ले रहा है, वह ही टैक्स का देनदार है। दूसरे, जहां पर नहरों की नालियां बनी हुई हैं, उनके इस्तेमाल के लिए आवश्यक है कि 15 दिन का नोटिस दिया जाय। बिजली विभाग की रोजमर्रा की आंख मिचौनी बनी रहती है। अगर ट्यूबवेल वाले इनका इस्तेमाल करते हैं तो विभाग वालों को यह पता नहीं रहता है कि उनका पानी था या ट्यूब वेल का पानी, तो उनसे कहा जाता है कि टैक्स दीजिए। अगर इन छोटी-छोटी चीजों का निराकरण नहीं होता है तो फिर दुश्मनी बढ़ती है और जन प्रतिनिधियों के वक्त को बरबाद करने का एक अच्छा मसला पैदा हो जाता है।

(इस समय 4 बजकर 11 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

हमारे प्रतापगढ़ जिले में कुंडा तहसील है। वहां प्रयोग के लिए एक ट्यूब-वेल लगाया गया, कई साल पहले, और यह आशा बंधाई गयी कि धीरे-धीरे करके ट्यूब-वेलों का जाल जौनपुर से बढ़ता-बढ़ता पट्टी तहसील और सदर होते हुए कुंडा तक पहुंच जायगा, वह आशा दुराशा ही रही। अब हमारे मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि धीरज रखो शारदा सहायक योजना से सारा इलाका सरसब्ज हो जायगा। धीरज तो हम रखेंगे ही। नहर

हर जगह नहीं पहुंच सकेगी। मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास है। गत वर्ष भी डिवीजनल मीटिंग में मैंने बतलाया था कि सई के किनारे नहर नहीं पहुंचेगी इसलिए आप वहां पर ट्यूबवेल लगायें। "हां" कह दिया गया लेकिन उसका कोई ब्लू प्रिन्ट आज तक हमें नहीं मिला कि ट्यूबवेल कहा-कहां लगायेंगे। चाहे आपकी दस साला योजना हो चाहे सात साला योजना हो आपके और जनता के बीच में अविश्वास की खाई पैदा होती जा रही है। ऐसी बात तो आप कहिये जो निर्धारित समय पर कर सकें। हमारे अध्यक्ष जी आ गये हैं और मन्त्री जी भी बैठे हुये हैं। रामपुर खास क्षेत्र में गौखाड़ी पम्प योजना तय हुई थी। जाहिर है कि जब कोई योजना बनती है तो कुछ लोगों का नुकसान होता है और जनहित भी उसमें सम्मिलित रहता है। तो जिनका नुकसान हुआ उन्होंने खूब शोर मचाया तो हमारे वर्तमान सिंचाई मन्त्री और वर्तमान अध्यक्ष, दोनों उस जगह तक गये और देख आए और यह फैसला हुआ कि जहां तक गांव का हिस्सा आता है वहां तक नहर पक्की कर दी जायगी और किसी का नुकसान नहीं होगा। गत वर्ष जब मैं चुन कर आया तो मैंने यह प्रश्न उठाया कि वह गौखाड़ी सिंचाई योजना पर क्या हो रहा है। आज मैंने फिर प्रश्न उठाया तो पता लगा कि उस योजना का कहीं नाम ही नहीं है सरकारी अभिलेखों में। जिस योजना को सिंचाई मन्त्री और अध्यक्ष जी देख आयें उसका पता न रहे तो कैसी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है एक जन प्रतिनिधि की जनता के सामने, ऐसे थोथे आश्वासनों से। मैं चाहूंगा कि गम्भीरता-पूर्वक इसकी जांच की जाय कि आखिर यह योजना क्यों नहीं चल पायी ?

इसी सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि बेवक्त का राग अच्छा नहीं होता। जब सिंचाई का वक्त आता है तो आप नहरों की सफाई करते हैं। ऐसी बातों के लिए भी क्या किसी डिग्री की जरूरत पड़ती है या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ? लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सिंचाई का जब मौका आया तो नहरों की सफाई हो रही है। माननीय मन्त्री इन छोटी-छोटी चीजों की ओर देखें। बड़ी-बड़ी चीजों की ओर हमारे बहुत से सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है और अगर हम महसूस करते हैं कि सिंचाई और खेती का गहरा सम्बन्ध है, मैं तो कहूंगा कि सिंचाई खेती का प्राण है और उस प्राण को जीवन शक्ति मिलती है बिजली से। अगर इन तीनों का समन्वय 3, 4, 5 साल के लिए नहीं बन सकता, एक प्रदेश के लिए नहीं बन सकता तब तो मुझे बड़ी शंका होती है कि 60 करोड़ लोगों का विकास कैसे हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मेरी बातों पर गौर करें। इन शब्दों के साथ माननीय सिंचाई मन्त्री ने जो अनुदान पेश किए हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शान्तिपूर्वक मेरी बात को सुना।

*बाबा रामनाथ––

मान्यवर, आज जो भी सिंचाई योजनायें हमारी चल रही हैं उनकी असफलता का एक मुख्य कारण केन्द्र है। एक रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि 1951 से लेकर आज तक करीब 1 हजार करोड़ रुपये का घाटा इन सिंचाई योजनाओं पर हुआ है। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि नलकूप लगाने की योजनाओं को पूरा करने का काम विदेशी फर्म्स को दिया गया जिसके कारण उत्तर प्रदेश का काफी धन वे विदेशी फर्म्स लूट कर ले गयीं। क्या कारण है कि इतनी बड़ी धनराशि ये विदेशी फर्म्स ले गयीं। जब हमारे यहां एटम बम बन सकता है, तो यह कार्य यहां के इन्जीनियर्स नहीं कर सकते थे ? अगर छोटी-छोटी योजनाओं की ओर ध्यान दिया गया होता तो आज सिंचाई की जो समस्या है वह हल हो गयी होती। छोटे-छोटे तालाबों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बाबा राम नाथ]

खोदाई करके उनसे सिंचाई के लिए पानी निकाला जा सकता था। इसी तरह और कई छोटी-छोटी योजनाओं के द्वारा सिंचाई की समस्या को हल किया जा सकता था। अगर 10 साल के बजट को आप देखें तो पायेंगे कि बजट चौगुना हो गया है, मगर क्या आपके यहां नहरें व नलकूप चौगुने हो गए हैं? नहीं, उनकी संख्या नहीं बढ़ी है। यह पैसा कहां गया?

मान्यवर, पब्लिक सेक्टर में जो नलकूप बने हैं उनकी दुर्गति हो रही है। प्राइवेट नलकूप प्रगति कर रहे हैं। उसमें मुनाफा हो रहा है, सरकारी नलकूप घाटे पर चल रहे हैं। प्राइवेट नलकूप पैसे वाला ही लगा पाता है (व्यवधान) छोटा आदमी नहीं लगा पाता। वह तो किसी प्रकार प्राइवेट नलकूप वाले से ही अधिक पैसा देकर पानी ले लेता है। अगर सरकार ने नलकूप अधिक लगाए होते, वे ठीक तरह से चलते होते, तो सरकार की आमदनी भी बढ़ती और गरीब किसान को पानी भी मिलता।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पुस्तक में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे गलत हैं। सिंचाई के यह आंकड़े किस तरह से एकत्र किए जाते हैं, वह मैं बताना चाहता हूं। अगर किसी धान या गेहूं के खेत में एक बार पानी दे दिया गया तो उस क्षेत्र को सिंचित मान लिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या धान के खेत में एक ही बार पानी की जरूरत होती है, गेहूं को एक ही बार पानी की जरूरत होती है? पानी तो आपने एक बार दिया, मगर कागज में उस रकबे को सिंचित दिखा दिया गया। किसान से कभी नहीं पूछा जाता है कि तुमको कितनी बार पानी मिला है। और जो रकबा आपने अकांड़े वाली किताब में दिखलाए हैं उससे जाहिर होता है, जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा था कि अगर इसी रफ्तार से उत्तर प्रदेश की सरकार का सिंचाई विभाग काम करता रहा तो हजार वर्ष नहीं लेकिन 100 वर्ष लग ही जायेगा तब आप यहां की पूरी भूमि को सिंचित कर पायेंगे। आपने इसमें दिखलाया है कि सिंचित रकबा जो है वह बोए हुए रकबे का 42.6 प्रतिशत है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक बोये हुए 58 प्रतिशत रकबे को आप सिंचित नहीं कर पाए हैं। इसलिये आप अपने विभाग की तरफ ध्यान दें और उसकी चेकिंग करें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपके ब्योरोक्रेट्स हैं, इन्जीनियर्स हैं चाहे वे देहात में रहते हों या शहर में रहते हों, उनका जनता के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। अगर जनता के बीच में सर्वे कराने की जरूरत हुई तो उसको शहर से अपने साथ किसी नेता को ले जाना पड़ेगा तब जाकर इंजीनियर साहब वहां सर्वे कर पायेंगे। उनको चाहिए कि वे जनता से जाकर पूछें कि किस जगह पानी की जरूरत है लेकिन आज स्थिति यह है कि जिस जिले के मन्त्री हैं उसी जिले में विकास कार्य होता है।

मैंने देखा कि विकास के नाम पर मैनपुरी का कोरा नाम है। लेकिन राय बरेली, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ का नाम है। मैनपुरी जैसे पिछड़े जिलों का नाम नहीं है। जिस जिले का कोई नेता है, मिनिस्टर है या प्रधान मन्त्री है वहां तो तमाम योजनायें चल रही हैं। आप देख लें कि राय बरेली में कितनी योजनायें चल रही हैं। क्योंकि वह प्रधान मन्त्री का वह क्षेत्र है जहां से उनको चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश के कुछ दिन पहले राज्यपाल जो श्री बी० गोपाल रेड्डी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश का किस तरह से सही विकास किया जाय। उनकी प्रयोजना उस डाकुमेंट में है। एक तरफ तो एक जिले का विकास लम्बा चौड़ा होने जा रहा है, दूसरी तरफ जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिंचाई मन्त्री जी इस बात को देख लें कि किस-किस जगह ट्यूबवेल की जरूरत है और किस जिले में नलकूप हैं और किस जिले में नहीं हैं। आज हालत यह है कि जहां ट्यूबवेल की जरूरत नहीं है वहां ट्यूबवेल फिट किया जा रहा है, ट्रान्सफारमर चोरी चले जाते हैं और मौके पर जाकर आपके इंजीनियर या कोई आफिसर स्थिति की सही जानकारी नहीं करता है। इस तरह से जनता का एक बहुत बड़ा क्लास बन रहा है, और वह इसलिए कि जनता के साथ उनका

कोई सम्पर्क नहीं है और जो स्कीम है वह सफल नहीं हो रही है। इनफ्लेशन की वजह से आपका बजट तो 4-6 साल के अन्दर बराबर बढ़ता गया लेकिन योजना की प्रगति बहुत कम है और टारगेट को आप एचीव नहीं कर पा रहे हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं की यह हालत है कि अगर पहली योजना में प्रगति 60 प्रतिशत रही तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में वह प्रतिशत 40 ही रहा और तीसरी पंचवर्षीय योजना में वह उससे भी कम हो गया। इसकी वजह क्या है? हमारी सरकार कोई योजना करे और उस पर इतना पैसा खर्च करे और टारगेट को हम प्राप्त न कर सकें तो उसके लिए क्या हम केन्द्र की सरकार से जवाब तलब करेंगे? हम तो आप ही से पूछ सकते हैं। हमें तो बहुत हक है कि प्रान्त का पैसा अमेरिका और जर्मनी की विदेशी कम्पनियां लेकर बाहर चली गयीं। आप देखें कि 51 से 57 तक कितने ट्यूबवेल इन कम्पनियों द्वारा लगाए गए। आज हमारी सरकार समाजवाद का दावा करती है लेकिन आज उसका ख्याल प्राइवेट सेक्टर में ट्यूबवेल लगाने वालों पर ही अधिक है। किसानों की समस्या की तरफ उसका ध्यान बहुत कम है। जो नयी योजनायें हैं वे पूरी हो जायं तो देखना पड़ेगा कि उनसे हमारी वर्किंग एक्सपेंसेज जो हैं वे भी निकल रही हैं या नहीं।

एक मुख्य बात यह है कि कोई कर आप लगाते हैं तो चाहे वह एक बीघा का काश्तकार हो, चाहे दो बीघे का काश्तकार हो, चाहे 100 बीघे का बड़ा काश्तकार हो, सब के ऊपर सिंचाई दर उत्तर प्रदेश में एक ही है जिससे छोटा काश्तकार परेशान है। जो किसान ज्यादा अन्न की उपज करता है उसके ऊपर ज्यादा सिंचाई का रेट होना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा लेना चाहिए। दूसरे प्रान्त जैसे आंध्र और बिहार में सिंचाई की दर है। वहां जिनके पास ज्यादा जमीन है उनके ऊपर ज्यादा कर लादा गया है। जो ज्यादा पानी लेते हैं, नहरों से लेते हैं या सरकारी ट्यूबवेलों से लेते हैं, उनसे ज्यादा पैसा लिया जाय। जो 2 बीघे वाले हैं जो 4 बीघे वाले हैं उनसे कम पैसा लिया जाय। जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं, सौ-सौ एकड़ के, उनसे ज्यादा पैसा लिया जाय ताकि पैसा ज्यादा सरकार को मिले और उससे दूसरी योजनायें चल सकें। आप अगर चाहते हैं कि हमारी योजनायें पूरी हों। उनकी उपलब्धता बढ़े तो ब्यूरोक्रेसी को आपको डांटना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप केन्द्रीय सरकार को ब्याज देते हैं, केवल ब्याज देने के लिए एजेन्सी न बने रहिये। इसके साथ-साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि एक लम्बे अर्से से छोटी सरयू को गहरी करने की योजना चल रही है, इस बात पर मुझे चीन की याद आ गयी। उन्होंने 2 तरीके किए हैं एक तो छोटी योजनाओं को अपनाया है और दूसरे बड़ी-बड़ी योजनाओं को भी चालू किया है। वहां किसान के पास रहट भी हैं। मान्यवर, ऐसा हमारे यहां भी होना चाहिए तभी हम सफल हो सकते हैं। अगर बिजली नहीं आयी तो किसान रहट से खेत सींच लेगा और फसल बरबाद होने से बच जायेगी। तो इस तरफ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा जिससे इमीजियेट गेन, तात्कालिक फायदा हो सके। तात्कालिक फायदे के लिए आपको मौलिक तरीके से जहां-जहां पानी भर जाता है चाहे वह नदियां हों, तालाब हों, उनको गहरा कर दिया जाय। इससे पानी तो मिलेगा साथ ही स्वायल इरोजन भी नहीं होगा। अगर सरकार ने इन सभी समस्याओं पर ध्यान दिया तो सफलता मिलेगी नहीं तो वह असफल ही जायगी।

श्री ध्रुव नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मान्यवर, यह जो बजट हम लोगों के सामने चल रहा है, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह हमारा देश कृषि प्रधान देश है और सिंचाई ही

[श्री ध्रुव नारायण सिंह]

इसके लिए एक ऐसा साधन है जिससे हमारे कृषि की तरक्की हो सकती है और देश का विकास हो सकता है।

मान्यवर, यह मानना पड़ेगा कि सरकार का ध्यान सिंचाई की तरफ अधिक है और अधिक रुपया इसके लिए खर्च किया जा रहा है। लेकिन मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि जितना रुपया खर्च हो रहा है उतना फायदा जनता को नहीं हो रहा है। मान्यवर, देखें हमारे जिले में 3 नहरें बनी हुयीं हैं। एक पाखिरा कैनाल, दूसरी मुखलिसपुर कैनाल जिसकी हालत बहुत ही जीर्ण शीर्ण है और जिससे आबपासी नहीं हो पाती है। इससे सारे इलाके की सैकड़ों एकड़ जमीन बरबाद हो गयी है और जो हमारे पुराने साधन सिंचाई के लिए हैं उनके लिए रास्ते बन्द हो गए हैं। यह दोनों कैनाल बिल्कुल बेकार पड़ी हुयी हैं।

मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से गन्डक कैनाल की ओर मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इसके बारे में तमाम शिकायतें चाहे देवरिया जिले के बारे में आती हों और चाहे यह शिकायतें गोरखपुर के उत्तरी भाग के बारे में हों। मान्यवर, कभी तो पानी आता ही नहीं है और कभी आता है तो बड़े पैमाने पर आता है जिससे फसलें बरबाद हो जाती हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक कोड़ीराम क्षेत्र है जिसका 3/4 हिस्सा बाढ़ से ग्रसित रहता है। गन्डक नहर के अधिकारियों की असावधानी के कारण 55 ग्राम सभाओं की जमीन इस क्षेत्र की नहर के पानी से डूब जाती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप गन्डक नहर का पानी रामगढ़ ताल में जाने से रुकवाने की व्यवस्था करें जिससे कि हजारों एकड़ जमीन उस क्षेत्र की बच सके। मान्यवर, दूसरी व्यवस्था सिंचाई के लिए नलकूप की आती है। नलकूप इतने कम हैं कि हमारी सिंचाई नहीं हो पा रही है। नलकूपों की हालत यह है कि पिछले अप्रैल-मई में नलकूप के अधिशासी अभियन्ता से निवेदन किया था कि जो आपने पक्की नाली बनवाई है उसकी मरम्मत करवा दें तो उसका कहना था कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिये जो स्टेट नलकूप बने हैं उनकी नालियां उसी तरह टूटी-फूटी रह गयीं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आप अपने विभाग के अधिकारियों पर जरा नजर रखें। नालियां बनती हैं तो उसमें यदि आपका विभाग इस्टीमेंट बनाता है कि एक और 4 के अनुपात में सीमेन्ट दी जाय। तो 8 और 12 के अनुपात से काम किया जाता है। इससे जिस साल नाली तैयार होती है उसी साल वह टूट जाती है।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारा गोरखपुर जिला साल ब साल बाढ़ से त्रस्त रहता है जिसमें कोड़ीराम क्षेत्र का 3/4 भाग बाढ़ से ग्रसित रहता है। बाढ़ के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी और मन्त्री जी ने दौरा किया था तो वहां की हालत को देखा है। एक बन्ध बोकटा परवार मारिजन बन्ध है और दूसरा बांध मलौनी बन्ध है। इन बन्धों से काफी राहत मिलती है लेकिन अभी जिस तरह बाढ़ पिछले साल आयी थी यदि उससे कम भी बाढ़ भविष्य में आई तो वे बांध नहीं रुकेंगे क्योंकि उन पर कोई मरम्मत नहीं हुयी है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पिछले साल मैंने एक आवेदन-पत्र दिया था कि भव्वापार से बेला तक एक बांध बनवा दें जिससे 6 हजार एकड़ जमीन बच सकती है। उस पर अधिशासी अभियन्ता से पत्र मिला कि योजना स्वीकार कर ली गयी है लेकिन रुपये मिलने पर काम शुरू किया जाएगा। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि भौवा पार से बेला तक बांध बनवायें। मलौली से गजपुर तक एक बांध और बनवा दें जिससे 15 हजार एकड़ जमीन बच सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उस बांध को भी बनवाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बोकटा बरवार मारिजन और मलौनी बांध को मई के अन्दर ही अच्छी तरह से मरम्मत करवा दें। बोकटा बंध की हालत यह है कि यदि यह टूट गया तो गोरखपुर जनपद का आधा हिस्सा जल से डूब जायेगा और खेती बरबाद हो जाएगी। आज बाढ़ ग्रसित लोगों

की हालत यह है कि जिन गांवों में बाढ़ का पानी गया है यदि वहां 106 मकान हैं, 5 या 6 मकान केवल बचे हैं और सब मकान ध्वस्त हो गए हैं। इन शब्दों के साथ जो सिंचाई बजट आया है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री जी हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय देने का कष्ट किया। मैं श्री मोती लाल देहलवी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद जिले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 27 साल की आजादी में इलाहाबाद जिले में पूरा पक्षपात हुआ है। जो बड़े-बड़े नेताओं से पहुंच रखते थे उनके गांवों में ट्यूबवेल लगे और जो गरीब किसानों के क्षेत्र रहे हैं, असली किसानों के, वहां ट्यूबवेल नहीं लगाए गए और उनके साथ घोर अन्याय किया गया। खासकर हंडिया तहसील और फूलपुर तहसील में जहां पर पीने के लिये पानी तक कुओं में नहीं है, जानवरों के पीने के लिये तालाबों में पानी तक नहीं हैं और जहां चार-चार साल से सूखे के कारण जनता पीड़ित है, वहां कोई इन्तिजाम नहीं किया गया है। यह जो किताब मिली है उसको पढ़ने से मालूम होता है कि गंगापार के क्षेत्र को छोड़ दिया गया है क्योंकि वहां से हमेशा विरोधी ही जीत कर आते हैं, इस बार भी गंगापार से 5 में से 4 सीटें विरोधियों ने जीती हैं और इसलिए उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इलाहाबाद में जो सिंचाई के लिए दिया भी गया है वह इस किताब से मालूम होता है कि जमुनापार को ही दिया गया है। माननीय सिंचाई मन्त्री से मैं कहना चाहता हूं कि शायद आप कभी इलाहाबाद गए ही न होंगे और गए होंगे तो सरकिट हाउस में रहे होंगे या बहुगुणा जी के घर तक गए होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गंगा पार का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, पीने के पानी के लिए और सिंचाई की कौन बात करे। मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार गंगापार का दौरा अवश्य करें।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके सिंचाई विभाग में इलाहाबाद में भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला है। इससे वहां की जनता काफी परेशान है। मैं कहना चाहता हूं कि हंडिया तहसील में धनूपुर ब्लाक में 147 नम्बर एच0 ट्यूबवेल है जगदीशपुर में। यहां पर एस0 डी0 ओ0 ने 30-40 हजार ईंटें रखी, बालू रखी, 30 बोरी सीमेन्ट लाकर रखी लेकिन न मालूम किस वजह से वह ईंट और सीमेन्ट उठा करके दूसरी जगह दे दिया या बेच दिया वह नाला आज तक कटा हुआ है और वहां पर तीन ट्रक बालू इस वक्त भी मौजूद है। इतना बड़ा अन्याय। जिस गांव में 10 मील से ईंट भट्टे से लाकर वहां रखी गयी, बालू रखा गया, सीमेन्ट रखीं गयी, लेकिन वहां के एस0 डी0 ओ0 साहब ने और वहां के ओवरसियर साहब ने उसको बेच दिया या किसी को दे दिया, वहां के स्टाफ ने उसको कहीं हटा दिया क्योंकि वहां पर एस0 डी0 ओ0 साहब वहां की जनता से पांच सौ रुपये मांग रहे थे कि अगर पांच सौ रुपये दो तो इस नाली को पक्का करा दें लेकिन वहां की जनता ने नहीं दिया और इसलिए वहां से सीमेन्ट उठवा ली गयी। यही बात नहीं है, मुझे वहां से एक चिट्ठी भी प्राप्त हुई है कि वहां एक जिलेदार को घूस लेते हुए पकड़ा गया और यह चिट्ठी है एक महान गरीब आपरेटर की जिससे जिलेदार ने घूस लिया था। आपरेटर का नाम है श्री चतुर्भुज कटिहार और वह 25 रुपये जिलेदार को दे रहा था उसी मौके पर जिलेदार को गिरफ्तार कर लिया गया था दिनांक 27 नवम्बर, 1974 को और एस0 पी0 ने उसे पकड़ लिया। वहां पर बहुत पक्षपात हो रहा है और उस आपरेटर को अब सताया जा रहा है और एस0 डी0 ओ0 और इन्जीनियर और ओवरसियर सब मिल कर उसको सता रहे हैं कि इसी ने हमारे डिपार्टमेन्टल आदमी को घूस लेते हुए गिरफ्तार कराया है। वहां थाने में रिपोर्ट भी लिखाई गयी किन्तु

[श्री अठाई राम]

जिलेदार और एस0 डी0 ओ0 न मिलकर उस आपरेटर को बुरी तरह से पिटवा दिया। किसी तरह से थाने में दिनांक 8 मार्च, 1975 को रिपोर्ट लिखाई गयी। जिस दिन पीटा गया था उसी दिन रिपोर्ट लिखाई गयी लेकिन वहां के एस0 डी0 ओ0 साहब थाने के पास ही रहते है और उन्होंने सिफारिश कर दी और उसकी सुनवाई नहीं हुई और वह गरीब कटिहार बेचारा रोता है। जो दो गवाह हैं, उन्होंने भी मुझे लिखा है। उनमें से एक का नाम है सोबरन लाल जाटव, हरिजन और कृषि निरीक्षक श्री कृष्णानन्द पांडेय हैं, जिनको भी वहां के एस0 डी0 ओ0 साहब और जिलेदार मिलकर चाहते हैं कि उनको जान से मरवा दें। उन लोगों ने मेरे पास दरख्वास्त भेजी है और मैं सिचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां के इन्जीनियर और ओवरसियर और जिलेदार को वहां से फौरन हटाया जावे और जांच कराई जावे। यह जांच भी वहां होना आवश्यक है कि वहां तमाम नालियां जो पहले बनवाई गई थीं जो गत बरसात में बह गयीं, वह कितनी थीं। लेकिन गरीब किसान तो आपको रोता हुआ मिलेगा, कहीं दो तीन घंटे बिजली गयी भी तो जिसके पास लाठी है, बल्लम है, गड़ासा है वह उससे अपनी सिचाई कर लेता है लेकिन गरीब बेचारा रोता हुआ सूख गया। यही नहीं गरीबों के ऊपर ऐसे-ऐसे जिन्सवार लिख दिए कि वह अपनी जमीन बेचकर अदा कर रहा है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप बहुत बड़े नवाब हैं, हमारा भाग्य है कि आपको यह विभाग मिला इसलिए जो पिछले 27 सालों में इन गरीबों के लिए नहीं हुआ उनके लिए कुछ राहत पहुंचायें। हंडिया क्षेत्र के किसान बहुत तबाह हैं। यहां आप सर्वे करवायें तो आप पायेंगे कि लोगों को सिंचाई के लिए ही नहीं पीने तक को पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको गांवों के नाम बतला रहा हूं, यहां आप जांच करवायें। ये गांव हैं कन्दला मवैया, सुअरा लमाही, विकवनिया, गोठवां, धनुपुर, भंवरगढ़, लोकमनपुर, जोगापुर, गनेशीपुर, लाला बुजुर्ग, संग्राम पट्टी, ढिकरी, उपरदहां, जवराडीह, लक्षागिर पूर्वी भाग, वरौत, होलापुर, ममरखा, खुरमणहपुर, मनोहरपुर, ओरा पूर्वी, वेलहा जगुवा, बगहा, दिसनी पट्टी हंडिया का पश्चिमी भाग, अर्जुन पट्टी, चकदन्दू।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह नाम आप लिख कर दे दीजियेगा।

श्री अठई राम—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने इन गांवों का नाम मांगा है। मैं आशा करता हूं कि आप पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामसमुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सिंचाई का बजट माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है मैं इसका समर्थन करने के लिए और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मोती लाल देहलवी जी तो चले गए। जब डेढ़ अरब में कुछ नहीं पाये तो एक रुपये में वह क्या पायेंगे। इसलिए यह बजट कुछ बढ़ाया जाय तब तो कुछ मिलेगा। मैंने इस डायरी को देखा इसमें पूर्वी जिले में इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ और गोंडा भी आते हैं। मैं समझता हूं बस्ती का जिला इसमें भूल से लिख गया है क्योंकि उसके पल्ले कुछ पड़ा नहीं। कमलापति त्रिपाठी जी जब सिंचाई मन्त्री थे तो बस्ती जिले में कुछ काम हुआ। वहां दो नहरें निकलीं। एक बखिरा और बानगंगा नहर निकली। चाहे इन नहरों में पानी न दिया हो लेकिन नहरें निकलीं। गांवों का कटान होती थी तो उनको ऊंचा किया गया और लिंक रोड्स भी बनीं। पं० कमलापति के जमाने में जो काम हुआ वह तो हुआ लेकिन उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। एक सज्जन ने अभी कहा कि आप बड़े नवाब हैं। नवाब का मतलब यह नहीं कि कोई ताल्लुकेदार हैं बल्कि

मतलब यह है कि आप बड़े हृदय वाले हैं। जैसे पंडित कमलापति जी का हृदय उज्जवल और निर्मल था उसी तरह से हम आपसे भी उम्मीद करते हैं। आपको चाहिये कि सारे सूबे की तरक्की हो क्योंकि जब मस्तिष्क से लेकर पैर तक सब अंगों को खून मिलेगा तभी शरीर स्वस्थ रह सकेगा। नहीं तो हमारी तरह से पेट निकल आयेगा और शरीर बेकार हो जायेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बस्ती जिले को कब तक आप भुलक्कड़ रखेंगे, कब तक हम अनुदान आपसे मांगते रहेंगे, कब तक 100-50 रुपये की भिक्षा मांगते रहेंगे। हमें कोई पश्चिमी जिलों से बैर नहीं है, वहां ज्यादा बुद्धिमान और मेहनती लोग हैं, लेकिन हम लोग मजदूरी करने के लिये कलकत्ता और बम्बई जाते हैं। हमें आप काम दीजिये और सिंचाई ही एक ऐसा साधन है जिससे सारा जीवन अच्छा बन सकता है। जिस प्रकार भगीरथ जमीन पर गंगा लाए थे, ऐसी ही आप सिंचाई मन्त्री जी आप गंगा बहा दीजिये। सारी जगह पानी-पानी हो जाय और इन सरकारी नौकरों से कह दीजिये कि बहुत दिनों तक खाया कमाया, कुछ दिनों के लिए हमको क्षमा कर दें। इस प्रदेश को बचाइए, नहीं तो देश नहीं बचेगा क्योंकि अमेरिका गेहूं के बदले देश का सौदा कर रहा है और कहीं देश गुलाम हो जाएगा तो देश नहीं रहेगा तो वह कहां रहेंगे? वह पैसा कहां ले जायेंगे, सब बेकार हो जाएगा। मन्त्री जी चाहे डेढ़ अरब के बजाय आप डेढ़ खरब दीजिए, वह सब पैसा नारायणी और गन्डक में नीचे चला जाएगा। इसलिए आप इन पर कन्ट्रोल कीजिए। घोड़ पर सवार को सवारी करनी चाहिए न कि सवार पर घोड़े को सवारी करनी चाहिए।

मन्त्री महोदय, फाइल मांगते हैं, सेक्रेटरी फाइल नहीं देता है, मन्त्री जी कैसे हुकुम पास करें। कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि ट्यूबवेल गड़ना है, इन्जीनियर ने कहा कि पानी नहीं है। पंडित जी ने कहा कि पानी निकालने के लिए ही तुम्हें नौकर रखा है और मुझे हुक्म देने के लिए यहां बैठा रखा है। मैंने हुकुम दिया इसलिए आपको पानी निकालना पड़ेगा। ऐसा ही मन्त्री जी आप कीजिए। हूजूरवाला शासन तो बुजुर्ग करने में बहुत होशियार होते हैं, कोई यहां लाठी और डन्डा थोड़े ही चलाना है। आज अस्पताल का कोई बड़ा डाक्टर पकड़ लिया गया, वैसे ही आप कोई बड़ा इन्जीनियर बांध लीजिए, हल्ला हो जाएगा। लेकिन आप तो पेशकार को पकड़ लेते हैं क्योंकि वह दो रुपया ले रहा था। अगर वह लेता है तो डिप्टी साहब की शह से लेता है क्योंकि शाम को बीबी के पास तरकारी पहुंचानी है, नहीं, तो नहीं ले सकता। बस्ती को बस्ती कहूं या उजाड़? वहां तो सभी कुछ उजड़ चुका है। आप हमें नहर दीजिए, ट्यूबवेल दीजिए, नाली दीजिए। हमारे गांव के पास थर्ड क्लास ईंटा पड़ा हुआ है, हम कैसे कह दें कि बहुत अच्छा काम होगा। हमारे यहां नाली में 1-12 का मसाला लगा और जब ट्यूबवेल का पानी चला तो सब नाली बह गई। वहां के तीन-तीन विधायक हैं तब वहां पर यह हाल है, तो 60 मील की दूरी पर क्या हाल होगा? अगर हमारे सरकारी अधिकारी बुरा न मानें, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अन्जाम गुलिस्ता क्या होगा। अगर आप उन्हें फांसी नहीं दे सकते, गोली नहीं मार सकते, तो उनको कस तो सकते हैं। कलेक्टर के यहां मीटिंग हुई तो वहां पर जो इन्जीनियर आए थे उनसे मैंने कहा कि वह दिन दूर नहीं है कि आपको गोली तो नहीं मारी जाएगी लेकिन बिजली के खम्भे में बिजली आ जाने पर वहां आपको ले जाकर बांध दिया जाएगा। इन असहाय लोगों से जिनके पास बदन पर कपड़ा नहीं है, उनको अधिक परेशान मत कीजिये।

आपने उन पर लगान और विकास कर लगा दिया--मैं कहता हूं कि ठीक किया आपने लिया। लेकिन उसको ठीक इस्तेमाल कीजिए ताकि वह गरीब कुछ दिनों में गरीब न रह जाय और अपने पैर पर खड़ा हो जाय, तब तो हमारा और इस प्रदेश का सर ऊंचा होगा। माननीय मन्त्री जी अच्छे आदमी हैं लेकिन उनकी अच्छाई हम ओढ़ेंगे अथवा बिछायेंगे। हमको तो काम चाहिये, प्रैक्टिस में चाहिये और हमको अपने खेतों में पानी मिलना चाहिए।

[श्री राम समुझ तिवारी]

होता यह है कि पतरौल घर चला गया। अब ट्यूबवेल बन्द पड़ा हुआ है। पानी नहीं मिल पाया, गेहूं और गन्ना सूख रहा है। आपने उत्तर प्रदेश को चार प्रदेशों में रखा है पहाड़ी प्रदेश, बुन्देलखंड प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश और मध्य प्रदेश लेकिन यह पूर्वी प्रदेश कहां गया? हमारे दो मन्त्री पूर्व के हैं लेकिन कमजोर पड़ते हैं। कैबिनेट में हमारा हिस्सा नहीं ले पाते। हम लोग भी कमजोर हैं। बहस नहीं कर पाते हैं। हल्ला करने में ही होशियार हैं। अध्यक्ष जी परेशान हो जाते हैं। आप लोग तो सदन में पुराने लोग हैं। मैं समझता हूं कि हमारा अधिकार इस सदन के गेट के अन्दर से शुरू होता है। हमको अपनी बात इसके अन्दर जोरदार तरह से कहने का अधिकार है। उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे मंत्री महोदय के द्वारा इन्जीनियरों से कहना है कि गंगा कैनाल जो बनाई गयी है वह काबिले तारीफ है। हरद्वार जाइये तो मन होता है कि यहां से मत जाओ और दूसरी तरफ बानगंगा कैनाल बनाई है जिसमें मछली मारने के अलावा और क्या हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य प्रायः इस बात पर एक राय हैं कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का बड़ा अभाव है और उस अभाव को जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। इसको कैसे दूर किया जाय? सरकार की ओर से कहा जाता है कि पैसा नहीं है लिहाजा पैसे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। लेकिन जो भी पैसा उपलब्ध हो उसका समुचित सदुपयोग भी होना चाहिये। इससे भी कार्यों में तेजी आ सकती है। इसके लिए सिंचाई विभाग द्वारा जो नीतियां तथा योजनायें बनाई जाती हैं उनमें से कुछ बहुत ही गलत तरीके से बनाई गई हैं और उनके बनाने में सरकार के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी भी दोषी हैं। सरकार ने एक नीति यह बना रखी है कि लिफ्ट विभाग द्वारा 25 लाख से नीचे कोई योजना नहीं ली जा सकती। अब बुन्देलखण्ड में जहां छोटे-छोटे नाले और नदियां बहती हैं और उनमें थोड़ा पानी भरता है और उनमें 5, 10 अथवा 15 क्यूसेक की योजनायें लागू कर सकते हैं लेकिन चूंकि वे योजनायें 25 लाख रुपये से कम की होती हैं। इसलिये विभाग यह जवाब दे देता है कि वह इस नाले अथवा नदी पर 5 क्यूसेक, 10 क्युसेक की योजना नहीं बना सकता क्योंकि इसमें 25 लाख रुपये कम लागत आएगी। तो सरकार को छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को जिनसे तुरन्त लाभ होता है, बढ़ावा देना चाहिए। इसमें संशोधन होना चाहिए और सारे प्रदेश में छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो लिफ्ट योजनायें हैं, उनके लिये विभाग कह देता है कि बिजली उपलब्ध नहीं है तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि 10-15 क्यूसेक की जो योजनायें हैं जिनको बिजली नहीं मिलती है उसके लिए सरकार को डीजल पम्पिंग सेटों की व्यवस्था करनी चाहिए और उसके जरिए इन योजनाओं को चलाना चाहिए। ये छोटी-छोटी योजनायें साल डेढ़ साल में तैयार हो जाती हैं और किसानों को इनसे तुरन्त लाभ भी होने लगता है। इन्तजार नहीं करना पड़ता है साथ ही इसके तहत जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह भी नहीं हो पायेगा। बड़ी योजनाओं में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। मेरा मतलब यह नहीं है कि बड़ी योजनायें न लगायी जायें किन्तु वर्तमान समय में जो योजना किसान को तुरन्त लाभ पहुंचा सके वह ज्यादा उपयुक्त हो सकती है।

एक टेक्निकल बात जो सिंचाई विभाग के लोग कह देते हैं वह यह है कि जब कोई योजना बनती है तो वे कह देते हैं कि थोड़ा पानी है और उसमें योजना नहीं लग सकती। हमारे बांदा जिले में एक ऐसी ही योजना थी पांच साल तक हम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहते रहे किन्तु उन्होंने यही टेक्निकल प्वाइन्ट लगाया। फिर जब हम लोगों ने जोर लगाया तो 5 साल में वही योजना मंजूर हुई और मैं आपसे कहता हूं कि आज वह लिफ्ट योजना बांदा जिले में सबसे अच्छी योजना है। तो आपके इंजीनियर लोग टेक्निकल आधार पर आपको

घुमाने की कोशिश करते हैं। इस पर मन्त्री जी को कड़ी नजर रखनी चाहिए। बड़ी-बड़ी योजनायें जो बनती हैं उनमें सरकार के धन का दुरुपयोग होता है। बुन्देलखंड के बांदा जिले में ग्रामीण सूखा सहायता योजना के अन्तर्गत जो योजनायें ली गई हैं वे उस योजना के बाहर के क्षेत्र की ली गई है जिसमें 50 लाख रुपये बिल्कुल बरबाद किया जा रहा है। इस योजना में पट्टियां लगा रहे हैं और उसके लिये पत्थर खरीदे जा रहे हैं। अब तक लाखों रुपये के पत्थर खरीदे गये हैं। लेकिन यह जो पुस्तिका मिली है उसमें लिखा है कि 50 लाख की योजना है जिसमें नहरों में लाइन और नई नहरों का निर्माण एवं सुधार के लिये है। मध्य प्रदेश से पत्थर मंगाये जा रहे हैं। उस पर खर्च होगा, मौके पर वे पत्थर जायेंगे, तब भी खर्च होगा जो कि बिलकुल बेकार चला जायेगा। कोई लाभ उससे होने वाला नहीं है और कोई बड़ी भारी सिंचाई की क्षमता भी उससे होने वाली नहीं है। मैंने यह बात मुख्य अभियन्ता की नोटिस में लायी और उन्होंने कहा कि उसको कन्सीडर करेंगे। 31 मार्च तक 25 लाख रुपये के पत्थर खरीदे जायेंगे। दुबारा-तिबारा खर्च होगा और इस प्रकार जनता के धन का दुरुपयोग होगा। इसीलिये मंत्री जी कृपया आज ही टेलीग्राम करके इस पत्थर की खरीद को रुकवा दें वरना ठेकेदार लोग मिलकर उस पैसे को खा रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष—

आप जारी रखेंगे। आपके 3 मिनट शेष हैं। मैं समय बढ़ा देता हूं।

श्री राम सजीवन—

सिंचाई की सुविधाओं का विशेषकर बांदा जिले में बड़ा अभाव है। वहां 8–10 बांध बने हुये हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने के हैं। वे पानी नहीं देते हैं।

मेरा एक सुझाव और है कि मऊ के पूरब जमुना में नदी से हजार डेढ़ हजार क्यूसिक की लिफ्ट योजना से पानी ऊपर ले जाया जाय और फिर पठार पर गिराया जाय और उसे बांधों में पहुंचाया जाय। हम ऐसा कर सकते हैं। इससे वहां जो लोग सूखे से शिकार हैं, जो भुखमरी के शिकार हैं उनकी समस्या हल हो सकेगी। सिंचाई के साधन इससे बढ़ाये जा सकते हैं।

नलकूपों के बारे में भी जहां पर आप नलकूप लगाते हैं उसके लिए जनप्रतिनिधियों से पूछा नहीं जाता है। जो जिले में कमेटी बनी हुई है वह फर्जी ही है। उसकी मीटिंग की सूचना सदस्य गणों को समय पर नहीं मिलती है। ऐसे समय में वह मीटिंग रखते हैं जब या तो ऐसम्बली चल रही होती है या फिर ऐसे समय में रखते हैं जब सदस्यगण न पहुच सकते हों। तो जान बूझ कर वह एवाइड करते हैं ताकि पैसे का दुरुपयोग करने का उनको मौका मिल जाय। इसलिए श्रीमन् जिले की सलाहकार समितियां जो हैं उनको रिवैटलाईज किया जाय जिससे उनमें सदस्यों का योगदान लाभकारी हो सके।

राजघाट परियोजना जो ललितपुर में है उसके बारे में भी मेरे साथी ने बताया कि पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है उसके लिए 40 करोड़ रुपया रखा है पर एक साल में एक करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो इस तरह से उसको पूरा होने में 40 साल लग जायेंगे। मैं कहूंगा कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाय। बेतवा नदी पर जारखोन पम्प नहर का सर्वे हो चुका है इसको तुरन्त बनाने का प्रबंध करें। इसी तरह से सरयू नदी की खुदाई पर जो बाबा रामनाथ जी ने कहा उसको भी जल्दी पूरा किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपके तीन मिनट रहते हैं आप उसे अभी पूरा करेंगे ?

श्री राम सजीवन—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, तो तीन मिनट आप बोल लें।

श्री राम सजीवन—

तो यह जो काम बताये हैं इनमें काम शुरू किया जाय जिससे बाढ़ की स्थिति से उस इलाके को बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, 24 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 3 मिनट पर सोमवार, 24 मार्च, 1975 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
22 मार्च, 1975।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0 यू0पी0—एल0 110 वि0सभा—(525)—1976—840।